रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234204
CG-DL-E-15032022-234204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 72] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

(मामला सं. (एसएसआर) 22/2021)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्युमिनियम फॉयल 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/27/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमिनियम फॉयल 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/06/2015-डीजीएडी द्वारा एक पाटनरोधी जांच शुरु की गई थी। प्राधिकारी ने 10 मार्च, 2017 को अंतिम

जांच परिणाम अधिसूचित किए जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 23/2017- सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। "

3. उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से सांक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और यत: मैसर्स हिंडाल्को इंडसट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉयल्स लिमिटेड, और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड, (जिन्हें आगे "आवेदक" या "आवेदक कंपनियां" या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संयुक्त रूप से एक विधिवत् रूप से एक साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमिनियम फॉयल 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

5. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस बात पर आधारित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

6. और यत: प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 16 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 07/27/2021-डीजीटीआर के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/06/2015-डीजीएडी दिनांक 10 मार्च, 2017 के सभी पहलू शामिल होंगे।

ख. प्रक्रिया

8. वर्तमान समीक्षा के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरु करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधि को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 सितंबर, 2021 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयतों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरु की गई।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और जांच शुरुआत अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।

घ. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली, के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबंद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति चीन जन.गण. से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी।

1. आरडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लि.	2. लोंग्सी नार्थवेस्ट एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड
3. एटीईसी न्यू मैटिरियल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	4. लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, चीन
5. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हांगकांग ट्रेडिंग, चीन	6. पेइक्सियंट फेंगयुआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन
7. डोंग गुआन काई युआन प्लास्टिकेशन, चीन	8. किंगडाओ डोंघाई एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
9. फेंगचेंग हुआर्किंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	10. शानडोंग डेलि एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
11. गुआंगझोऊ माइवोव डेकोर कंपनी लिमिटेड	12. शंघाई संताल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
13. गल्फ वर्ल्डवाइड डिस्ट्रीब्यूशन	14. टारग्रे टेनोलॉजी इंटरनेशनल इन्क.
15. हांगझोऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, चीन	16. टावाजोन केमिकल कंपनी एलएलसी
17. हेबेई नार्थ चाइना एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	18. टेट्रा पाक जुरोंग प्राइवेट लिमिटेड
19. हेनान मिंगटाई टेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन	20. टीजेपीएफटीजेड एल.एक्स, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
21. हीरोज लिमिटेड	22. विक्ट्री फूड स्पेशिलिटीज एफजेडई
23. हुगेमेटिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	24. वुक्सी जिएंट ब्रांड थर्मल इन्सुलेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड
25. जियांग्सु अलचा एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	26. वुक्सी माइरायड कारपोरेशन
27. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड, चीन	28. जियामेन जियाशन एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड
29. जियांग्सु फेंगयुआन एल्युमिनियम मास्टर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	30. जियामेन कोलिसेन पैकेजिंग इंटीग्रेशन कंपनी लिमिटेड
31. जियांगसु झोंगजी लैमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन	32. युन्नाम हाओक्सिन एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड
33. जियांगयिन बोंडटापे टेक्नोलॉजी कारपोरेशन	34. झांगझोऊ बनरुओ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
35. कोनमैक्स जियाजिंग न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड	36. झेंगझोऊ मिंगटाई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन
37. कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चीन	38. शानडोंग मिंगडा पैकिंग प्रोडक्ट कंपनी
39. फ्लाईटपार्ट्सजियामेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	

छ. इसके उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

i. डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

ii. हांगझोऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

iii. हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

iv. जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

v. जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक

vi कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

vii. शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

viii. शांगक्यू यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

ज. कुनशान एल्युमिनियम कंपनी, लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर के साथ एसएसआर प्रश्नावली भाग II प्रस्तुत नहीं किया। कुनशान एल्युमिनियम कंपनी, लिमिटेड द्वारा एसएसआर प्रश्नावली का विलंबित उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत औचित्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया है।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वुस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी:

1. 3डीसीओएम इम्पैक्स	2. महेशर मेटअलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
3. एएआर डीईई	4. मालिंदी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
5. अभिजीत इन्टरप्राइजेज	6. मरुधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
7. एक्कुमेन लेमिनेटर्स एलएलपी	8. मारुति पेपर इंडिया कंपनी
9. Aएसीई ओवरसीज	10. मास्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11. एसीजी फार्मापैक प्राइवेट लिमिटेड	12. माजदा एजेंसीज
13. एरो इन्कॉरपोरेशन	14. मेडिकैप हैल्थकेयर लिमिटेड
15. एअर इंडिया लिमिटेड	16. मेघा हैंडल्स
17. अजंता पैक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	18. मेरिना इंडस्ट्रीज लिमिटेड
19. एल्पाइन इंटरनेशनल	20. मॉर्डन लेमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21. अल्स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	22. मोहन मुथा पोलिटेक प्राइवेट लिमिटेड
23. अलुफॉयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	24. मोंटेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटिड – नई दिल्ली
25. अलुटेक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	26. मोनटेक्स ग्लास फाइबर इंड प्राइवेट लिमिटेड
27. अलुवेयर पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	28. नागरीकाइंडकोन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29. एमको इंडिया लिमिटेड	30. एनडी लेमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
31. एमकोर फैलैक्सीबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	32. नोबल चोकोलाट्ज
33. अंसापैक प्राइवेट लिमिटेड	34. ओसवाल एक्स्ट्रुशन लिमिटेड
35. असावा इन्सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड	36. फोनिक्स इनोवेटिव हैल्थकेयर मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट
37. अशोका टेसाइल्स	38. पिल्लर केमिकल्स प्राइवेटलिमिटेड
39. औडैक्स प्रोटेक्टिव फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड	40. पोलीबोंड इन्शुलेशन प्राइवेट लिमिटेड

41. एवी एंटरप्राइजेज	42. प्रज्ञा फ्लेक्सी फिल्म इंडस्ट्रीज
43. बालाजी पैकेजिंग कंपनी	44. प्रिंटमान ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड
45. बानको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	46. राधिका एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन
47. वेटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	48. रहेजा पोलिमर्स ऐंड केमिकल्स
49. बिलकेयर लिमिटेड	50. प्योरिटी फ्लेक्स पैक लिमिटेड
51. बीके जवार्स संस	52. आरएस फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड
53. सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल साल्युशन्स लिमिटेड	54. रॉयल इंटरनेशनल
55. डीबी इंटरनेशनल	56. एसएल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
57. डागा पोली लेमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	58. शारबिन इंटरनेशनल
59. दीशा कंपनी	60. श्री महावीर सेल्स कारपोरेशन
61. देवी चंद संस रेक्टांगल	62. श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड
63. ऐनापाई ट्रांसफोर्मर कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64. श्रीनाथ रोक्टोपैक प्राइवेट लिमिटेड
65. ऐस्सल प्रोपैक लिमिटेड	66. सिद्धि प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
67. ऐस्सल थर्मोवेयर प्राइवेट लिमिटेड	68. सिल्वर फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड
69. फ्लोरा इंडस्ट्रीज	70. सिल्वरशाइन
71. फुटुरिस्टिक मार्केटिंग साल्युशंस	72. सिल्पा साल्युशंस
73. जीके एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	74. स्पर्श पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
75. जीएलएस फिल्म्स इंडस्ट्रीज प्राइवेटलिमिटेड	76. एसएमवी इम्पैक्स
77. गजरा ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	78. एसएनएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
79. जीप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	80. सोरिच फॉयल्स लिमिटेड
81. गुजरात पोलिफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	82. थर्मोपैड्स प्राइवेट लिमिटेड
83. हिना रोटो प्रिंट्स	84. स्वास्तिक मेटल रोलिंग मिल्स
85. हिंद फॉयल्स एलएलपी	86. सिंथिको फॉयल्य लिमिटेड
87. हिंद ग्लोबल	88. तानिया पोलिफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
89. होममेडबेकर्स इंडिया लिमिटेड	90. टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड
91. हुटामाकी पीपीएल लिमिटेड	92. टेट्रा पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
93. इनोक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	94. दि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
95. इंटरनेशनल ट्रेडर्स	96. थर्मल इंजिटेक प्राइवेट लिमिटेड
97. आईटीसी लिमिटेड	98. ट्रेड चैनल्स
99. जेवी कन्बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	100. ट्राफोमेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
101. जैश पैकेजिंग कंपनी	102. ट्रेंडज इंटरनेशनल
103. जिल पैक	104. टू वैल्यू इंटरनेशनल
105. जुपिटियर लेमिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	106. यू.पी. टिविगा फाइबरग्लास लिमिटेड

107. केएच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	108. वंदना इम्पैक्स
109. कनोडिया टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड	110. यूनिटेक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
111. काप कोन्स प्राइवेट लिमिटेड	112. यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड
113. केफलैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	114. विशाल कन्टेनर्स लिमिटेड
115. किंजल इम्पैक्स	116. विवा कम्पोजिट पैनल प्राइवेट लिमिटेड
117. कुलडे उपद्योग	118. जैफ ओवरसीज एलएलपी
119. लिली पिन्स प्राइवेट लिमिटेड	120. यूनिफलेक्स लिमिटेड
121. एमवाई ट्रेडर्स	122. जीयूस एंड ट्रूम्फ पैकेजिंग
123. महावीर पेपर ट्रेडिंग कंपनी	
124. नाट्रिप इम्प्लीमैंटेशन सोसायटी नाटिस	125. पारिख पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
126. रोकडयुड इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड	127. राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
128. सतनाम प्रिंट एन पैक – ना –वोल्ज	129. एसएपीएल स्टील एलएलपी
130. शेल एन ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड	131. सांवरिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
132. सिंघानिया अलुफॉयल कन्टेनर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी	133. श्री तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी
134. एसआर 3 कारपोरेशन	135. सुवजे इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी
136. श्री वेंकेटश्वर कॉयल मिल प्राइवेट लिमिटेड	137. स्वाम टोयल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
138. सुपर पैकेजिंग	139. स्टरलाइट टैक्नोलॉजी

ञ. एकमात्र आयातक अर्थात् मैसर्स जिल पैक ने प्रत्युत्तर में आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

ट. प्रयोक्ताओं/आयातकों की एक एसोसिएशन, दि एसोसिएशन ऑफ एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर एंड रोल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया (एएएफसीआरएम) ने जांच शुरुआत संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। तथापि, किसी भी सदस्य ने प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितधारकों के अनुरोध पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 7 नवंबर, 2021 तक समय बढ़ा दिया था।

ड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से उनकी उत्तर के अगोपनीय अंश को पक्षकारों की एक सूची के साथ अन्य पक्षकारों से शेयर करने का निर्देश दिया था। पक्षकारों ने ई-मेल के ज़रिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने उत्तर के अगोपनीय अंश साझा किए हैं।

ढ. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक टेबल अध्ययन और वास्तविक सत्यापन के ज़रिए, सत्यापन किया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए केवल आवश्यक सुधार के साथ ऐसी सत्यापित जानकारी जहां लागू हो पर भरोसा किया गया है ।

ण. यह जांच 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 माह) (जिसे आगे जांच अवधि या पीओआई भी कहा गया है) की अवधि के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण में 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018 , 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 और पीओआई की अवधि शामिल है।

त. वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईएंडएस) से विगत तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए

थे। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद, आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

थ. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन और संबद्ध उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" भी कहा गया है) ज्ञात की गई है।

द. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 15 दिसंबर, 2021 को मौखिक सुनवाई आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया था। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के लिए खंडन अनुरोध करने का भी अवसर दिया गया था।

ध. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने की सीमा तक विचार किया है। इस जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को संगत पाया गया, इस अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकारी द्वारा उन पर ध्यान दिया गया है।

न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी, इससे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

प. जहां कही भी किसी हितबद्ध ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या उसे प्रदान नहीं किया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

फ. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2022 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया। 9 मार्च, 2022 तक, उन पर टिप्पणियां मांगी गई। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

ब. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 4 मार्च, 2022 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्य का प्रकटन किया गया था। कुछ अनजाने में टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के कारण, प्रकटीकरण कथन के प्रासंगिक पैराग्राफ के संबंध में एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था । 9 मार्च, 2022 तक टिप्पणियां मंगाई गई थी। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

भ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार/किसी अन्य पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुसार गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

म. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर =75.22 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:-

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण.,मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमिनियम फॉयल 80 माइक्रोन या उससे कम के आयातों संबंधी समानांतर एडीडी जांच में परिभाषित पीयूसी के दायरे की तुलना में अलग है।

ख. एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज सिलिकॉन आधारित मिश्रण, चाहे क्लैड या अनक्लैड हों; एडहेसिव टेप्स; और कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल को मलेशिया, थाइलैंड और

इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के लिए हाल ही में संपन्न पाटनरोधी जांच में जांच से बाहर रखा गया है क्योंकि घरेलू उद्योग इनका उत्पादन नहीं करता है क्योंकि ये उत्पाद किस्में 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच हो सकती हैं, इसलिए इन्हें वर्तमान समीक्षा जांच से बाहर रखा जाना चाहिए।

ग. तीनो में से कोई भी याचिकाकर्ता पीसीएन-लाइट गेज कन्वरटेड का उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए उक्त उत्पाद किस्म को उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. विचाराधीन उत्पाद " एल्युमिनियम फॉयल चाहे मुद्रित या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकिंग सामग्री के साथ हो अथवा नहीं, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच हो" है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

ख. एलु एलु लेमिनेट: एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लेमिनेट होता है जहां एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग कैप्सूल/टैबलेट में प्रयोग के लिए गोंद के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म से समर्थित होती है।

ग. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड: 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर या स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से समर्थित हो, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग्स एप्लीकेशन में प्रयोग के लिए प्लेन या मुद्रित हों।

घ. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट: एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से लेमिनेटेड या समर्थित हो, चाहे पोलि एथीलीन सहित हो या उसके बिना, चाहे मुद्रित हो या अमुद्रित हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या समर्थित एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे के भीतर है।

ड. कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल: कैपिसिटरों के लिए एल्युमिनियम फॉयल 99.35 प्रतिशत शुद्धता के साथ 500 मि.मी. से कम चौड़ाई सहित 5 माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल होती है जो विद्युत उपकरणों जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवर, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेटोज, इलैक्ट्रोनिक टैस्टिंग उपकरण, कापी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, विद्युत ट्रांसमिशन उपकरण, विद्युत मोटर, कंट्रोल यूनिट और समान वस्तुओं में प्रयोग होती है।

i. एच्ड या फोर्म्ड एल्युमिनियम फॉयल: इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली एल्युमिनियम फॉयल।

ii. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल: एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच जुड़ा हुआ एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) होता है।

iii. क्लैड, कम्पेटिबल गैर क्लैड एल्युमिनियम फॉयल सहित: एल्युमिनियम सरफेस लेयर से बनी एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन पूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणाली में प्रयोग के लिए उच्च मजबूती के एल्युमिनियम अलॉय कोर सामग्री से धात्विक रूप से जोड़ा जाता है, जैसे रेडिएटर, कन्डेन्शर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

iv. बीयर बॉटल के लिए एल्युमिनियम फॉयल: रफ सर्फेश और परफोरेटेड के साथ 10.5 माइक्रोन की एल्युमिनियम फॉयल, चाहे प्रिंटेड हों अथवा नहीं; जो बीयर बॉटल में प्रयुक्त होती है।

च. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम **760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 और 76072010** के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

छ. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथा-परिभाषित के समान रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं।

ज. आवेदकों ने उत्पाद की विभिन्न किस्मों के बीच उचित तुलना के लिए बेयर फॉयल और कन्वर्टेड फॉयल के रूप में दो व्यापक श्रेणियों पर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव किया है। बेयर फॉयल प्लेन फॉयल होती है और कन्वर्टेड फॉयल के साथ पेपर, क्राफ्ट, पालिथीन आदि लगा होता है।

झ. कतिपय प्रकार के फॉयल को जांच से बाहर रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

i. एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित मिश्रण चाहे क्लैड हो या अनक्लैड- घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच के उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ii. एडहेसिव टेप – घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच के उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है।

iii. कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल - घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच के उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है

iv. लाइट गेज कन्वर्टेड – घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान पीसीएन-लाइट गेज कन्वर्टेड का उत्पादन नहीं किया है। तथापि, क्षति अवधि और मूल जांच अवधि में इस उत्पाद किस्म का उत्पादन हुआ है। यह कोई नई जांच नहीं है, संबद्ध वस्तु की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की क्षमता और समर्थता की मूल जांच में विस्तार से जांच की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने लाइट गेज बेयर का उत्पादन किया है और बेयर बनाने के बाद जोड़ी जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया एलडीपी, पेपर, बीओपीपी आदि को जोड़कर इसे परिवर्तित करना है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग सरलता से लाइट गेज कन्वर्टेड का उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा ऐसे अन्य घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने पीओआई के दौरान लाइट गेज कन्वर्टेड का उत्पादन और बिक्री की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा दिनांक 10.3.2017 की अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/06/2015-डीजीएडी द्वारा मूल जांच में यथा परिभाषित, के समान रहेगा और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"एल्युमिनियम फॉयल चाहे मुद्रित या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकिंग सामग्री के साथ हो अथवा नहीं, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन हो" जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

i. एलु एलु लेमिनेट: एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लेमिनेट होता है जहां एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग कैप्सूल/टैबलेट में प्रयोग के लिए गोंद के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म से समर्थित होती है।

ii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड: 5.50 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर या स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से समर्थित हो, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग्स एप्लीकेशन में प्रयोग के लिए प्लेन या मुद्रित हों।

iii. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट: एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से लेमिनेटेड या समर्थित हो, चाहे पोलि एथीलीन सहित हो या उसके बिना, चाहे मुद्रित हो या अमुद्रित हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या समर्थित एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे के भीतर है।

iv. कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल: कैपिसिटरों के लिए एल्युमिनियम फॉयल 99.35 प्रतिशत शुद्धता से कम चौड़ाई सहित 5 माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल होती है जो विद्युत उपकरणों जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवर, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेटोज, इलैक्ट्रोनिक टैस्टिंग उपकरण, कापी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, विद्युत ट्रांसमिशन उपकरण, विद्युत मोटर, कंट्रोल यूनिट और समान वस्तुओं में प्रयोग होती है।

v. एच्ड या फोर्म्ड एल्युमिनियम फॉयल: इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली एल्युमिनियम फॉयल।

vi. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल: एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच जुड़ा हुआ एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) होता है।

vii. क्लैड, कम्पेटिबल गैर क्लैड एल्युमिनियम फॉयल सहित: एल्युमिनियम सरफेस लेयर से बनी एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन पूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणाली में प्रयोग के लिए उच्च मजबूती के एल्युमिनियम अलॉय कोर सामग्री से धात्विक रूप से जोड़ा जाता है, जैसे रेडिएटर, कन्डेन्शर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

viii. बीयर बॉटल के लिए एल्युमिनियम फॉयल: रफ सर्फेश और परफोरेटेड के साथ 10.5 माइक्रोन की एल्युमिनियम फॉयल, चाहे प्रिंटेड हों अथवा नहीं; जो बीयर बॉटल में प्रयुक्त होती है।

12. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 और 76072010 के उपशीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का आयात विभिन्न माइक्रोन में किया जा रहा है। आवेदकों ने पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया था, ऐसे मापदंडों पर विचार करते हुए जो उत्पाद की संबद्ध लागत और कीमत को प्रभावित करते हैं तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान देने के बाद प्राधिकारी ने पत्र संख्या 07/27/2021-डीजीटीआर दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 द्वारा एक पीसीएन पद्धति अधिसूचित की। वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति निम्नानुसार है:

क्र.स.	विवरण	पीसीएन	
		माइक्रोन रेंज	बेयर/कन्वर्टेड
1.	अलु अलु स्टॉक	45-60	बेयर
2.	होम फॉयल	8-22	
3.	लाइट गेज (एलजी)	7-<20	
4.	मीडियम गेज (एमजी)	20-60	
5.	सेमी रिग्ड कन्टेनर (एसआरसी)	30-80	
6.	अल्ट्रा-लाइट गेज	5.5 - <7	
7.	बैटरी फॉयल	9-20	
8.	सिगरेट फॉयल	<- 7	कन्वर्टेड
9.	हाउस फॉयल कन्वर्टेड	8-22	
10.	एलजी कन्वर्टेड	7-<20	
11.	एमजी कन्वर्टेड	20-60	
12.	एसआरसी कन्वर्टेड	30-80	
13.	बैटरी फॉयल कन्वर्टेड	9-20	

14. विचाराधीन उत्पाद फॉयल स्टॉक से विनिर्मित है। फॉयल स्टॉक फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम (एफआरपी) होता है और वह रोलिंग इनगॉट द्वारा उत्पादित है। दूसरे शब्दों में, एल्युमिनियम फ्लैड रोल्ड उत्पाद (एफआरपी) को आगे फॉयल में रोल किया जाता है। इसे या तो फॉयल में रोल्ड किया जाए या इसी प्रकार उपयोग किया जाए या पेपर, बोर्ड, प्लास्टिक या किसी पैकेजिंग सामग्री के साथ मुद्रित/लेमिनेटेड (जिसे बैक्ड भी कहा जाता है), किया जा सकता है। एल्युमिनियम फॉयल को उत्पादक या कन्वर्टरों या अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रित किया जा सकता है। एफआरपी को फॉयल में रोल करने के लिए काफी निवेश की जरूरत होती है।

15. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित को बाहर रखने का अनुरोध किया है:

    i. एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज सिलिकॉन आधारित अलाय, चाहे क्लैड या अनक्लैड हों।

    ii. एडहेसिव टेप

    iii. कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल

    iv. लाइट गेज कन्वर्टर

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि (क) एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज सिलिकॉन आधारित अलाय, चाहे क्लैड या अनक्लैड हों (ख) एडहेसिव टेप और (ग) कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है क्योंकि मूल मामले में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकृत रूप से इन उत्पाद प्रकारों का उत्पादन नहीं होता है और इनका वर्तमान क्षति अवधि में भी उत्पादन नहीं हुआ है।

17. इस दलील के संबंध में कि लाइट गेज कन्वर्टेड को भी जांच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान पीसीएन-लाइट गेज कन्वर्टेड का उत्पादन नहीं किया है, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में इस उत्पाद प्रकार का उत्पादन हुआ है और मूल जांच में भी यह उत्पादित हुआ था। लाइट गेज कन्वर्टेड को मूल जांच में तथा मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में दिनांक 18 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से संपन्न पाटनरोधी जांच में स्पष्ट रूप से उत्पाद के दायरे का हिस्सा माना गया था। संबद्ध वस्तु के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की क्षमता और समर्थता की मूल जांच में विस्तार से जांच की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान लाइन गेज बेयर का उत्पादन किया है और घरेलू उद्योग लाइट गेज बेयर को परिवर्तित करके आसानी से लाइट गेज कन्वर्टेड का उत्पादन कर सकता है क्योंकि बेयर फॉयल से कन्वर्टेड फॉयल बनाने में कोई बड़ी प्रक्रिया शामिल नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के वर्तमान दायरे से लाइट गेज कन्वर्टेड को बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

18. पूर्वोक्त के मद्देनजर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार है:

    "एल्युमिनियम फॉयल चाहे मुद्रित या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकिंग सामग्री के साथ हो अथवा नहीं, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन हो" जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

    i. एलु एलु लेमिनेट: एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लेमिनेट होता है जहां एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग कैप्सूल/टैबलेट में प्रयोग के लिए गोंद के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म से समर्थित होती है।

    ii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड: 5.50 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर या स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से समर्थित हो, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग्स एप्लीकेशन में प्रयोग के लिए प्लेन या मुद्रित हों।

    iii. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट: एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से लेमिनेटेड या समर्थित हो, चाहे पोलि एथीलीन सहित हो या उसके बिना, चाहे मुद्रित हो या अमुद्रित हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या समर्थित एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे के भीतर है।

    iv. कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल: कैपिसिटरों के लिए एल्युमिनियम फॉयल 99.35 प्रतिशत शुद्धता से कम चौड़ाई सहित 5 माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल होती है जो विद्युत उपकरणों जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेटोज, इलैक्ट्रोनिक टैस्टिंग उपकरण, कापी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, विद्युत ट्रांसमिशन उपकरण, विद्युत मोटर, कंट्रोल यूनिट और समान वस्तुओं में प्रयोग होती है।

    v. एच्ड या फोर्म्ड एल्युमिनियम फॉयल: इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली एल्युमिनियम फॉयल।

    vi. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल: एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच जुड़ा हुआ एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) होता है।

vii. क्लैड, कम्पेटिबल गैर क्लैड एल्युमिनियम फॉयल सहित: एल्युमिनियम सरफेस लेयर से बनी एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन पूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणाली में प्रयोग के लिए उच्च मजबूती के एल्युमिनियम अलॉय कोर सामग्री से धात्विक रूप से जोड़ा जाता है, जैसे रेडिएटर, कन्डेन्शर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

viii. बीयर बॉटल के लिए एल्युमिनियम फॉयल: रफ सर्फेश और परफोरेटेड के साथ 10.5 माइक्रोन की एल्युमिनियम फॉयल, चाहे प्रिंटेड हों अथवा नहीं; जो बीयर बॉटल में प्रयुक्त होती है।

ix. एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज सिलिकॉन आधारित अलाय, चाहे क्लैड या अनक्लैड हों।

x. एडहेसिव टेप

xi. कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल

19. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह आवेदन मैसर्स रविराज फॉयल लिमिटेड, मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश से किसी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं। आवेदन का जांच शुरुआत के स्तर पर मैसर्स ग्रीन बैरी फॉयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थन भी किया गया है। अब संबद्ध वस्तु के विभिन्न अन्य उत्पादकों (भावी और मौजूदा) ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है, ये हैं (क) एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड (ख) श्याम सेल और पावर लिमिटेड (ग) मरुधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

ख. आवेदक कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है और इस प्रकार यह नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(क) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

23. यह आवेदन मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉयल लिमिटेड, और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इसके अलावा, आवेदन मैसर्स ग्रीन बैरी फॉयल इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थित है। समर्थक के साथ आवेदक कंपनियों अर्थात मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉयल लिमिटेड, मैसर्स जिंदल

इंडिया लिमिटेड और मैसर्स ग्रीन बैरी फॉयल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत बनता है। इस प्रकार आवेदक नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद मैसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स श्याम सेल और पावर लिमिटेड और मैसर्स मरुधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी समर्थन-पत्र दायर करके संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है।

24. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी आवेदक कंपनी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं।

25. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स रविराज फॉयल लिमिटेड, और मैसर्स जिंदल इंडिया लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26 गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने संबंधित व्यापार सूचना के उल्लंघन में अपनी याचिका में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उन्हें बिना कोई सही कारण बताए व्यापार संवेदी सूचना के रूप में माना है, जो व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के विपरीत है। आवेदकों का यह दायित्व है कि वे लागत, व्यय, समयावधि आदि के संगत शीर्षों वाले प्रपत्र ए-ई और आई-एल का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करें।

ख. क्षति रहित कीमत से संबंधित तर्कसंगत सूचना के अभाव में हितबद्ध पक्षकार असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि इसमें घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई वास्तविक क्षतिरहित कीमत का कोई तर्कसंगत अनुमान नहीं है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

क. सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता दिनांक 7 सितंबर, 2018 को अधिसूचना संख्या 10/2018 के माध्यम से जारी व्यापार सूचना का खुले आम उल्लंघन है। उत्तरों में कमियां इतनी गंभीर हैं कि आवेदक प्रस्तुत सूचना के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं और केवल अत्यधिक गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां देने तक सीमित रहे हैं।

ख. व्यापार सूचना केवल घरेलू उद्योग पर ही बाध्यकारी नहीं हो सकती है बल्कि यह सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार किए बिना सभी पर बाध्यकारी है।

ग. सभी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों ने संबंधित पक्षकारों के नाम और उनके संदर्भ में संगत सूचना को जांच परिणामों में उनके नियमित रूप से प्रकटन के बावजूद गोपनीय माना है। घरेलू उद्योग को मूल्य श्रृंखला के पूरा या अधूरा होने के बारे में टिप्पणी करने से भी वंचित कर दिया गया है।

घ. दावा किए गए समायोजन केवल गोपनीयता के लिए दावा किए गए हैं, यह सूचना अपने आप में गोपनीय नहीं है क्योंकि प्राधिकारी यदि समायोजनों की अनुमति देते हैं तो जांच परिणाम में उनका स्पष्ट प्रकटन करते हैं।

ड. "कच्ची सामग्री या संबंधित पक्षकारों से खरीदी गई सुविधा, आपूर्ति के ब्यौरे, उनका उचित बाजार" के संबंध में प्रश्नावली के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों ने केवल संबंधित अनुबंधों का संदर्भ दिया है, जिनके गोपनीय होने का दावा किया गया है।

च. स्वामित्व, संयुक्त लिंक आदि संबंधी सूचना के पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है।

छ. घरेलू उद्योग ने समस्त आवश्यक सूचना घोषित की है और केवल संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। आवेदन के साथ गोपनीय सारांश संलग्न है जिसमें कतिपय सूचना की गोपनीयता के दावे के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

ज. निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में माननीय अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार

एनआईपी और परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन को शुल्क की राशि के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा तब निर्धारित करना होता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस प्रकार, जब एनआईपी केवल जांच समापन के स्तर पर संगत हो तो कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसी सूचना के अप्रकटन के लिए जांच प्रक्रिया के दौरान किसी पक्षपात का दावा कैसे कर सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे जाने की सीमा तक नीचे जांच की गई है:

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

ख. उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।""

30. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो (उदाहरणार्थ, जिसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन के कारण सूचना देने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिससे सूचना प्राप्त की गई है, पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया हो, को सही कारण होने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए, ऐसी सूचना का उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी ने आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क) समर्थक ग्रीनबेरी फॉयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना संगत व्यापार सूचना में यथा-निर्धारित अपेक्षित प्रपत्र में नहीं है।

ख) संबद्ध देश से आयात भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को केवल पाटने के लिए हो रहे हैं और घरेलू उद्योग के पास भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के उत्पादन के एक हिस्से का उपयोग आबद्ध खपत के लिए भी होगा और अन्य देशों को निर्यात होने से यह अंतर और बड़ा हो जाएगा।

ग) याचिकाकर्ता बाजार में मांग के अनुसार हाउस फॉयल और एसआरसी की आपूर्ति नहीं कर रहे थे, परिणामस्वरूप पीसीएन की इन श्रेणियों में आयात हुआ।

घ) दिनांक 29.07.2021 की 2021 की व्यापार सूचना सं. 6 प्रश्नावली के उत्तर के विषय पर सभी पूर्ववर्ती व्यापार सूचनाओं को अतिव्याप्त करती है और मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने इस व्यापार

सूचना के अनुसार पूरा उत्तर प्रस्तुत किया है। निर्णायक समीक्षा के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रपत्र विहित नहीं है। क्षमता, क्षमता उपयोग, अतिरिक्त क्षमताओं और तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरे पहले ही परिशिष्ट-I में उपलब्ध हैं।

ङ) प्रतिवादी का यह सद्भावपूर्ण और वास्तविक विश्वास था कि 2021 की व्यापार सूचना सं.6 के पैराग्राफ-5 में विवरण के मद्देनजर अतिरिक्त प्रश्नावली प्रपत्र लागू नहीं था। अत:, प्रतिवादी प्राधिकारी से उसे सहयोगी मानने का अनुरोध करता है क्योंकि उसने कानून के अंतर्गत यथाअपेक्षित सभी जरूरी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

च) पांच वर्षों के बाद शुल्क को जारी रखना मानक का अपवाद है।

छ) दि फ्लेक्शिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस निदेशालय को भेजे गए अपने एक पत्र में दलील दी है कि एल्युमिनियम फॉयल (पीयूसी) एसेप्टिक पैकेजिंग मैटिरियल के विनिर्माण में एक प्रमुख निविष्टि है। शुल्क अधिसूचना के फुटनोट के अनुसार उक्त उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण के लिए पात्र होगा और आयातक केवल इस तर्क पर पाटनरोधी शुल्क से नहीं बच सकते हैं कि एक्सेप्टिक पैकेजिंग पेपर अध्याय 76 के बजाए अध्याय 48 के अंतर्गत आता है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. समर्थक ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 05/2021 के द्वारा हाल में यथा-प्रदत्त आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है, जिसमें यह प्रावधान है कि समर्थक को स्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा और बिक्री मात्रा तथा मूल्य (घरेलू निर्यात और आबद्ध खपत के लिए अलग-अलग) के संबंध में सूचना देना आवश्यक है।

ख. विभिन्न प्रयोक्ता/आयातकों तथा प्रयोक्ता एसोसिएशन ने भागीदारी की है और उनमें से अधिकांश ने प्राधिकारी द्वारा विहित किसी दिशा-निर्देश/प्रपत्र का पालन नहीं किया है।

ग. देश में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग के पास देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

घ. 2021 की व्यापार सूचना संख्या 6 ने पाटनरोधी प्रश्नावली में संशोधन किया है और इसे डीजीटीआर की वेबसाइट पर भी अद्यतन बनाया गया है। तथापि, "निर्यातक प्रश्नावली भाग II" में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उसे प्रस्तुत करने की निरंतर आवश्यकता का संकेत मिलता है।

ङ. परिशिष्ट I निर्यातक देश में कुल उत्पादन; घरेलू बाजार में अन्य उत्पादक की बिक्री, घरेलू बाजार में कुल बिक्रियों, संबद्ध देश में आयातों, निर्यातक देश में कुल मांग, भारत को अन्य उत्पादक का निर्यात और भारत से इतर देशों को अन्य उत्पादक के निर्यात को कवर नहीं करता है।

च. प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली भाग II के उत्तर के अभाव में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ऐसे निर्यातक को असहयोगी मानना चाहिए।

छ. शुल्क की अवधि बढ़ाना पांच वर्षों के लिए शुल्क की मौजूदगी के सामान्य नियम का अपवाद है, तथापि धारा 9क(5) इस परन्तुक के अधीन है। इस प्रकार, यदि परन्तुक के अधीन अपेक्षा पूरी होती है, अर्थात यदि केन्द्र सरकार की राय है कि शुल्क की समाप्ति से एडी नियमावली के नियम 23 के अनुसार पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो शुल्क को आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाना होगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

क. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि मैसर्स ग्रीनबेरी फॉयल्स इंडिया लिमिटेड ने व्यापार सूचना के अनुसार सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स ग्रीनबेरी फॉयल्स इंडिया लिमिटेड ने स्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा और बिक्री मात्रा तथा मूल्य से संबंधित सूचना प्रस्तुत की थी, जैसा कि दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 05/2021 के अंतर्गत अनुमत्य है। किसी भी तरह केवल आवेदक कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदन मैसर्स ग्रीनबेरी फॉयल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए समर्थन पर विचार किए बिना भी स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

ख. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति के बीच अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। सभी पीसीएन के लिए निर्यातो हेतु निर्धारित पाटन मार्जिन शुल्क लागू होने के बावजूद सकारात्मक है। इसके अलावा, मांग-आपूर्ति संबंधी यह अनुरोध किसी विश्वसनीय साक्ष्य के साथ नहीं किए गए हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने देश में मांग की तुलना केवल आवेदक घरेलू उद्योग की क्षमता के साथ की है, जबकि यह माना गया है कि ऐसे अनेक अन्य उत्पादक हैं जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन में भी शामिल हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता को भी ईष्टम रूप से उपयोग नहीं किया गया है, इस प्रकार किसी मांग को पूरा करने के लिए उपयोग हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। एसआरसी और हाउस फॉयल की आपूर्ति में कमी संबंधी विशिष्ट तर्क को भी किसी साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।

ग. किसी भी तरह संबद्ध वस्तु के ऐसे विभिन्न अन्य उत्पादक हैं जो विभिन्न पीसीएन की मांग को पूरा कर सकते हैं और इस प्रकार मांग और आपूर्ति का अंतर पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चीन द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकृत करना चाहिए क्योंकि एसएसआर प्रश्नावली भाग-II काफी देरी से प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी मानते हैं कि एसएसआर प्रश्नावली उत्तर भाग-II प्रश्नावली के उत्तर का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग है और देरी से सूचना प्रस्तुत करने को इस बात पर विचार करते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध जांच होती है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक के पास यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि व्यापार सूचना सं. 06/2021 के मद्देनजर इस प्रश्नावली का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना को स्वीकार किया है।

ड. प्राधिकारी फैलेक्शिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में नोट करते हैं कि शुल्क अधिसूचना और मूल जांच परिणाम में फुटनोट के होने को मूल जांच में स्पष्ट रूप से अभिज्ञात पीयूसी से जोड़ा गया है और यह कि एसोसिएशन द्वारा बताया जा रहा यह औचित्य कि पूर्वोक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए, निराधार है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

35. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

क.. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ख. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

ग. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

घ. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

क. भारत को यूरोपीय संघ से आयात इस दृष्टि से अप्रतिनिधिक हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, उन पर प्रतिनिधि देश के रूप में विचार किया गया है।

ख. भारत को यूरोपीय संघ से 7 पीसीएन के कोई आयात नहीं हुए हैं जिसमें चीन जन.गण. से 3 सर्वाधिक आयातित उत्पाद शामिल हैं -होम फॉयल, लाइट गेज, और सेमि-रिगिड कन्टेनर (एसआरसी)। इसके अलावा, आयातित पीसीएन में से भी दो पीसीएन की मात्रा अधिक है। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि ईयू से आयातित नहीं हुए पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य कैसे निर्धारित किया गया।

ग. याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अन्तर्देशीय भाड़ा, कमीशन और बैंक प्रभार की श्रेणी के अंतर्गत कटौतियों का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, कुछेक समायोजन काफी बढ़ाए गए हैं और उन्हें अस्वीकृत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, समुद्री बीमा सामान्यत: सीआईएफ के 110 प्रतिशत का 0.125 प्रतिशत होता है और यह सीआईएफ के 0.5 प्रतिशत जितना अधिक कभी नहीं होता, जैसा आवेदक ने दावा किया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे निवल कारखाना निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने में इन उत्तरों का सत्यापन करें।

घ. पैराग्राफ 7 में निर्धारित मापदंडों और प्रतिनिधि देश के चयन के लिए प्रचालन प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के अनुसार "संबंधित देश के विकास का स्तर/दर्जा" समान होना चाहिए। ईयू चीन से अलग एक विकसित देश है और ईयू और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारी अंतर है। सरकार ईयू को विकसित देश भी मानती है।

ड. चीन जन.गण. से "नैचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट, कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 8.6.2021 के अंतिम जांच परिणाम (अधिसूचना फा.सं. 6/8/2020-डीजीटीआर) का संदर्भ दिया गया है जिसमें प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ को अस्वीकृत किया था क्योंकि यूरोपीय संघ से आयात की मात्रा चीन जन.गण. की मात्रा से तुलनीय नहीं थी।

छ.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को केवल तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 का पालन करना चाहिए, यदि प्रतिवादी चीनी यह दर्शा सकते हों कि उनकी लागत और कीमत अपनाई जा सकती है। प्राधिकारी को चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 का पालन करना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमतों संबंधी सूचना प्राप्त करने में समर्थ रहा है और इसलिए ऐसी तीसरी बाजार अर्थव्यवस्था में परिकलित मूल्य संभव नहीं था। पाटनरोधी शुल्क वाले स्रोतों के अलावा भारत में ईयू से आयात काफी अधिक हैं।

ग. सामान्य मूल्य भारत को ईयू से निर्यात कीमत के आधार पर परिकलित किया गया है।

घ. कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेस्टैट के निर्णय का संदर्भ दिया गया है जिसमें माननीय सेस्टैट ने माना था कि विकास का स्तर केवल तभी संगत होगा यदि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन लागत अपनाई जाए और तब नहीं होगा जब प्रतिनिधि देश से तीसरे देश या भारत को निर्यात पर विचार किया जाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का कार्य है और वह आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होती है।

ड. भारत को तीसरे देश से कीमतों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी पीसीएन का आयात होना आवश्यक नहीं है। ऐसे पीसीएन जिनमें ईयू से कोई आयात नहीं हुआ है, सामान्य मूल्य पर भारतीय उत्पादन और बिक्रियों के आधार पर लागत अंतर के लिए आवश्यक समायोजनों के पश्चात विचार किया गया है। तब भी जब विभिन्न पीसीएन वाली जांच में निर्यातक उत्तर दें, यदि निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर कुछ पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य पर विचार नहीं हो सकता हो तो प्राधिकारी ऐसे पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करते हैं। चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, ताईवान, इंडोनेशिया, यूएसए, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, हांग कांग, सिंगापुर, मेक्सिको, वियतनाम और मलेशिया

से स्टेनलैस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों का संदर्भ दिया गया है।

च. घरेलू उद्योग ने भत्तों के दावे में सीमित नीति पर विचार किया है। डिंगशेंग ग्रुप कंपनीज ने अपने उत्तर में केवल यह बताया है कि कोई समायोजन लागू नहीं है। इसके अलावा, उत्पादकों तथा निर्यातकों ने घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए परिशिष्टों के गोपनीय होने का दावा किया है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग इस समझ से वंचित हो गया है कि क्या उत्पादक/निर्यातक ने कारखाने से निकासी के बाद हुए आवश्यक व्यय की सूचना दी है।

छ. नैचुरल माइका बेस्ड पर्ल पिगमेंट का संदर्भ गलत है क्योंकि उक्त निष्कर्ष में यह नहीं कहा गया था कि विकास के स्तर में अंतर के कारण ईयू पर उपयुक्त प्रतिनिधि के रूप में विचार नहीं किया जा रहा है।

ज. वर्तमान मामले में उत्तर देने वाले नए निर्यातक को अलग मार्जिन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत को आयात मात्रा में भारी गिरावट आई है और बाजार आसूचना के अनुसार इन निर्यातकों से निर्यात मात्रा भी (क) कम और (ख) सीमित पीसीएन के लिए है। निर्यात की यह कम मात्रा और सीमित उत्पाद प्रकारों के निर्यात, निर्यातकों द्वारा सूचित किए जा रहे पाटन की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी और प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करके जांच में सहयोग किया है:

i. मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड

ii. मैसर्स डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

iii. मैसर्स हांगझोऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

iv. मैसर्स हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

v. मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

vi. मैसर्स शांगक्यूसुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड

vii. मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

viii. मैसर्स जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

39. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है*:*

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की

स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

40. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक में से किसी ने भी पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

41. तद्नुसार, चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. चूंकि चीन जन.गण. से किसी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निर्धारित "बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य" के बारे में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने "भारत सहित अन्य देशों को ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत" संबंधी पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

43. पैरा 7 में सामान्य मूल्य निर्धारण के क्रम निर्धारित हैं और उसमें यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर या जहां ऐसा संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यथाआवश्यक रूप से समायोजित भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

44. आवेदकों ने बताया है कि वह कीमत जिस पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अर्थात यूरोपीय यूनियन से भारत को बेचा गया है, पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जाना चाहिए।

45. प्राधिकारी शेनयांग मस्तसुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिविल अपील सं. 617112003 दिनांक 23/12/2005), में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, मैसर्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड (आई)

लिमिटेड और अन्य – बनाम – भारत संघ तथा टीयुआर (डब्ल्यूर.पी सं. 6568/2017 दिनांक 4.10.2018) मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपली संख्या सी1768,600,601, 773, 769/2005 –एडी – दिनांक 9.9.2005), कुइतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019 की अपील सं. 52291 दिनांक 5 अगस्त, 2020) मामले में सेस्टैट की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली के निर्णय में दिए गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन संबंधी मौजूदा न्याय-शास्त्र को भी नोट करते हैं। ये निर्णय उचित विकल्प को चुनने और उसके संबद्ध दायित्वों के संबंध में एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश देते हैं।

46. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के अलावा, एडीडी लागू होने वाले अन्य देशों और यूरोपीय संघ से आयात मात्रा अधिक थी। चूंकि पाटित स्रोतों को उचित देश नहीं माना जा सकता है, इसलिए प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया भारत में यूरोपीय संघ से आयातों को जांच शुरुआत के स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित आधार माना है।

47. जांच की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया और सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उचित पद्धति ज्ञात करने के लिए आगे जांच की। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तु के लिए परिकलित सामान्य मूल्य की भी जांच की। यह देखा गया है कि परिकलित सामान्य मूल्य और यूरोपीय संघ से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के बीच कोई खास अंतर नहीं है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला है कि जांच शुरुआत के स्तर पर यूरोपीय संघ से आयात कीमत को अपनाना चीन में संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य का संकेत और प्रतिनिधि है। अत: प्राधिकारी भारत को ईयू से कीमतों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

48. इसके अलावा, जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि सभी पीसीएन यूरोपीय संघ से बाजार में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, यह नोट किया गया है कि उन पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य जो ईयू से आयात नहीं हुए हैं, पर उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण में एकरुपता बनाए रखने के लिए पीसीएन के बीच कीमत अंतरों के लिए सीमित समायोजन के बाद विचार किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड और मैसर्स हांगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

49. मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड ("जियांग्सु डिंगशेंग") और मैसर्स हांगझोऊ फाइव स्टार एन्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ("हांगझोऊ फाइव स्टार") चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल संबंधित कंपनियां हैं। जियांग्सु डिंगशेंग और हांगझोऊ फाइव स्टार ने भारत को सीधे और संबंधित व्यापारिक कंपनियों, मैसर्स हांगझोऊ डिंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग आईएंडई") और मैसर्स डिंगशेंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ("डिंगशेंग एचके") के माध्यम से भी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। सभी चारों कंपनियां अर्थात जियांग्सु डिंगशेंग, हांगझोऊ फाइव स्टार, डिंगशेंग आईएंडई और डिंगशेंग एचके ने निर्यात प्रश्नावली के विहित प्रपत्र में संगत सूचना प्रस्तुत की है।

50. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे ***मी.टन संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है और संबंधित निर्यातकों के ज़रिए ***मी.टन का निर्यात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान मैसर्स हांगझोऊ फाइव स्टार ने संबंधित निर्यातकों के जरिए भारत को *** मी.टन का उत्पादन और निर्यात किया है। ये सभी निर्यात भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को किए गए हैं। निर्यातक/उत्पादक ने समायोजन अर्थात् महासागर माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, बैंक शुल्क और नुकसान के साथ क्रेडिट लागत का दावा किया है और इस पर विचार किया गया है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड

51. मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और इसने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने स्वयं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है और एक संबंधित व्यापारी मैसर्स शेंगकी यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल्स लिमिटेड से खरीदी गई वस्तु का भी निर्यात किया है जिसने बाद में असंबंधित चीनी

उत्पादक से संबद्ध वस्तु की खरीद की है। यह भी नोट किया गया है कि मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन जन.गण. में असंबंधित उत्पादकों से खरीदी गई कुछ मात्राओं का भी निर्यात किया गया है। असंबंधित चीनी उत्पादक जिसकी वस्तुओं का मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात किया गया है, ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी ने कारखानाद्वार निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य निर्धारित करने के लिए मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के भारत को केवल निर्यात सौदों पर विचार किया है। मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड और मैसर्स शेंगकी यांगगुआंग एल्युमिनियम मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड ने विहित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना दी है।

52. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** मी.टन संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। निर्यातक ने दावा किया है कि समायोजन जैसे महासागर माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और उसी पर विचार किया गया है । यथानिर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iii. मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

53. मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। पीओआई के दौरान मैसर्स कुनशान ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे ***मी.टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। यथा-निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iv. मैसर्स जियांग्सु झोंगजी लैमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड

54. मैसर्स जिआंगसु झोंगजी लेमिनेशन मैटेरियल्स कं, लिमिटेड ("झोंगजी") चीन पीआर में विषय वस्तुओं का एक उत्पादक है। झोंगजी ने विषय वस्तुओं का सीधे निर्यात किया है और भारत में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ग्राहकों के लिए कैटरलिंक्स कॉर्पोरेशन (एचके) लिमिटेड नामक एक गैर-संबंधित ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से भी निर्यात किया है। झोंगजी ने निर्धारित निर्यातकों प्रश्नावली प्रारूप में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है। कैटरलिंक्स कॉरपोरेशन (एचके) लिमिटेड ने विषय की जांच में अलग से प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है।

55. यह ध्यान दिया जाता है कि पीओआई के दौरान, झोंगजी ने भारत में सीधे 48 मीट्रिक टन और कैटरलिंक्स कॉर्पोरेशन (एचके) लिमिटेड के माध्यम से 5 एमटी (10% से कम) विषय वस्तुओं का निर्यात किया है। झोंगजी ने महासागर माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के खातों पर समायोजन का दावा किया है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है। चूंकि कैटरलिंक्स कॉरपोरेशन (एचके) लिमिटेड ने प्रासंगिक सूचना प्रदान नहीं की है, इसलिए प्राधिकरण ने कैटरलिंक्स कॉरपोरेशन (एचके) लिमिटेड के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात लेनदेन के लिए एक्स-फैक्ट्री मूल्य की गणना के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों पर विचार किया है। तदनुसार, पूर्व-कारखाना स्तर पर विषय वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य, जैसा कि निर्धारित किया गया है, डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	एनईपी यूएसडॉलर/ एमटी	एनवी यूएसडॉलर/ एमटी	पाटन मार्जिन यूएसडॉलर/ एमटी	पाटन मार्जिन %	रेंज
1	चीन	मैसर्स जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	चीन	मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल	***	***	***	***	40-50

		कंपनी लिमिटेड					
3	चीन	मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
4	चीन	मेसर्स हांगझोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
5	चीन	मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
6	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	60-70

ज. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

56. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क. आयातों में भारी गिरावट पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुछ क्षमता वृद्धि के कारण हुई है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे ए1 में है। फॉयल स्तर जहां उत्पाद मिश्रण निर्णायक होता है और कुछ औसत कोई वास्तविक तस्वीर नहीं दर्शाएंगे।

ग. पीओआई के दौरान की स्थिति घरेलू उद्योग के लिए काफी अनुकूल थी जहां उसने मात्रा में शानदान वृद्धि की और पीओआई में अपने बाजार हिस्से में *** प्रतिशत से *** प्रतिशत तक की वृद्धि की। घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता मापदंडों की दृष्टि से भी अच्छा कार्य-निष्पादन किया है।

घ. लागू पाटनरोधी शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और घरेलू उद्योग ने आयातों से प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त प्रचालनात्मक मजबूती हासिल कर ली है और अब उसे आयातों से खतरा नहीं है। पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क का अनावश्यक लाभ मिलता रहेगा।

ड. याचिकाकर्ता के क्षमता उत्पादन और बिक्री संबंधी दावे की कड़ाई से जांच होनी चाहिए क्योंकि उत्पाद मिश्रण एक मुद्दा है और उत्पादन बिक्री तथा आयात भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए पीसीएन आधार पर जांचे जाने चाहिए।

च. प्रयोक्ता पीसीएन आधार पर संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए संभव सीमा तक घरेलू आपूर्तियों पर निर्भर है और मांग-आपूर्ति में अंतर को पाटने के लिए केवल कुछ आयात हुए हैं। इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होगी और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर अप्रैल, 2020 से जून 2020 के दौरान सर्वाधिक प्रभाव पड़ा होगा, जब पूरे भारत में कड़ा लॉकडाउन लगा था। अत: प्राधिकारी को कोविड-19 महामारी के कारण पीओआई के दौरान पड़े प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षति विश्लेषण हेतु पीओआई से 2020-21 की पहली तिमाही को बाहर रखना चाहिए। चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस स्टेपल फाइबर" इंडोनेशिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनकोटेड कोपियर पेपर" संबंधी हाल के अंतिम जांच परिणामों का संदर्भ दिया गया था जिनमें प्राधिकारी ने कोविड-19 प्रभावित अवधि को अलग करने के बाद क्षति की जांच की है।

ज. व्यापार उपचार जांच की प्रचालन परिपाटी संबंधी नियम पुस्तिका के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन के लिए पीओआई के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही

है।

झ. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है क्योंकि चीन जन.गण. के आयातों और मांग में बाजार हिस्से में कमी आई है और घरेलू उद्योग के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है।

ञ. घरेलू उद्योग हाल में किए गए क्षमता विस्तार के कारण घाटा उठा रहा है और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घाटा नहीं उठा रहा है। लाभ में गिरावट प्रत्याशित है और आगामी वर्षों में स्थिर लागत के सामान्य होने पर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी सुधार होगा।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

57. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क. मांग में 2018-19 में शुरुआत में गिरावट आई उसके बाद 2019-20 और पीओआई में पुन: वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात में 2019-20 तक गिरावट आई और तत्पश्चात पीओआई में वृद्धि हुई। उत्पादन के संबंध में आयात में क्षति अवधि में गिरावट आई है जबकि खपत की दृष्टि से आयात में 2019-20 तक गिरावट आई और तत्पश्चात पीओआई में पुन: मामूली वृद्धि हुई।

ग. संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है और इससे घरेलू कीमतों में भारी कटौती हो रही है।

घ. बिक्री लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम है। यद्यपि घरेलू उद्योग को 2019-20 में भारी कीमत मंदी का सामना करना पड़ा है, तथापि अब घरेलू उद्योग भारी कीमत ह्रास का सामना कर रहा है।

ड. क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। क्षमता उपयोग में 2019-20 और पीओआई में गिरावट आई है।

च. शुल्क लागू होने से 2017-18 और उसके बाद 2018-19 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को 2019-20 और पीओआई में घाटा हुआ है। पीबीआईटी, आरओआई में भी यही प्रवृत्ति रही है।

छ. घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों, दोनों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देश के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ज. घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

झ. क्षमता में वृद्धि के साथ रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है। उत्पादकता में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ञ. घरेलू उद्योग ने सभी कीमत मापदंडों में प्रस्तावित पीओआई में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

ट. संबद्ध वस्तु की मांग में पीओआई में वृद्धि हुई है, जिसमें कोविड अवधि भी शामिल है। संबद्ध वस्तु की मांग पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि कोविड संबंधित आपूर्तियों में इसकी भूमिका होती है। इसके अलावा, लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि में संयंत्र भी बंद नहीं हुए थे क्योंकि यह उत्पाद "अनिवार्य श्रेणी" के अंतर्गत आता है।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विस्कोस स्टेपल फाइबर और अनकोटेड कोपियर पेपर का उल्लेख भी दर्शाता है कि विस्कोस स्टेपल फाइबर के मामले में प्राधिकारी ने लॉकडाउन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षति जांच हेतु पीओआई में बदलाव किया था। इसके अलावा, कॉपियर पेपर के मामले में प्राधिकारी ने कोविड अवधि को अलग करने के बाद पीओआई की अलग से जांच की थी क्योंकि 14 दिनों तक शटडाउन था और कोविड के कारण मांग घट गई थी।

ड. मैनुअल में विभिन्न मापदंड सूचीबद्ध हैं जिनकी निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की जा सकती है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें प्राधिकारी ने पीओआई के बाद की जांच नहीं की है। जब प्राधिकारी के पास संभावना की जांच करने और निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना है तो उन्हें संभावित व्यवहार देखने के लिए पीओआई के बाद जांच करने की आवश्यकता नहीं है। चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम

वाणिज्यिक वाहनों के लिए "फ्रंट एक्सल बीम" और "स्टियरिंग नकल्स" के मामले में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम का संदर्भ दिया गया है जिसमें प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना था कि निर्णायक समीक्षा जांच में पीओआई के बाद की जांच करना अनिवार्य नहीं है।

ढ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में 2018-19 तक सुधार हुआ और पीओआई में कुछ सुधार के साथ 2019-20 में गिरावट आई। पीओआई में कार्य-निष्पादन अब भी 2018-19 में प्राप्त स्तर से कम है। घरेलू उद्योग पाटन के पूर्ववर्ती बुरे प्रभावों से उबरने में सक्षम नहीं रहा है। बाजार में निरंतर पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को कमजोर कर दिया है।

ण. घरेलू उद्योग ने, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमताएं स्थापित की हैं। घरेलू उद्योग को विस्तार के कारण कतिपय खर्चों का वहन करना पड़ता है, तथापि उन पर आने वाली लागत उत्पाद की समग्र लागत की तुलना में काफी कम है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

58. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

59. इस नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति संबंधी मानदंडों जो नियम 11 और इस नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत अपेक्षित है तथा इस बात की संभावना का विश्लेषण कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप संभवत: पाटन और क्षति जारी रहेगी अथवा फिर से होगी, का मूल्यांकन किया है।

60. जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की इस अंतिम जांच परिणाम में जांच और समाधान किया गया है।

61. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावना पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

62. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनो पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का वस्तुत: समाधान किया गया है।

क. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

63. भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया गया है।

भारत में मांग	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	123	144

समर्थकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	135	162
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	110	125
संबद्ध देश चीन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	40	44
अन्य देशों से पाटित आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	396	424
अन्य देश	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	85	79
कुल भारतीय मांग	मी.टन	1,36,181	1,32,843	1,34,618	1,44,834

64. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2017-18 से 2018-19 तक आरंभ में गिरावट आई है। तत्पश्चात् 2019-20 और पीओआई में मांग में वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयात मात्राएं

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:-

विवरण	**इकाई**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**जांच की अवधि**
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	40	44
ऐसे देशों से आयात जिन पर एडीडी लागू है – इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	158	196	174
अन्य देशों से आयात	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	85	79
घरेलू बिक्री – घरेलू उद्योग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	123	144
घरेलू बिक्री – समर्थक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	135	162
घरेलू बिक्री – अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	110	125

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कुल भारतीय मांग	मी.टन	1,36,181	1,32,843	1,34,618	1,44,834
खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	41	41
उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	34	32

66. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात में समग्र रूप से 2019-20 तक गिरावट की प्रवृत्ति रही है और उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है। समग्र आधार पर आयातों में गिरावट आई है। तथापि, अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों से रिक्त बाजार हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया है। यह भी नोट किया गया है कि चीन ने भी भारी मात्रा में 5.5 माइक्रोन से कम की एल्युमिनियम फॉयल का निर्यात शुरु कर दिया है और ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना सं. 51/2021 दिनांक 16.09.2021 के द्वारा लगाया गया है।

67. उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है। समग्र रूप से और सापेक्ष, दोनों तरह से संबद्ध आयातों में शुल्क लागू होने के बाद गिरावट आई है, तथापि शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू बाजार में चीन के आयात काफी अधिक ***प्रतिशत बने हुए हैं।

ख. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति, बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर विश्लेषण किया है क्योंकि विभिन्न पीसीएन की प्रति इकाई कीमत में अंतर है।

क) कीमत कटौती

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	101
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	102	101
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	76	103
कीमत कटौती	% रेंज	10-20	0-10	10-20	10-20

70. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत संपूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है और इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है।

ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

71. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे थे और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमत में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना की है और उसे नीचे तालिका में दर्शाया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
बिक्री लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	103	104
बिक्री कीमत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	100	101
पहुंच कीमत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	102	101

72. यह देखा गया है कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों में 2017-18 से 2018-19 में आरंभ में समान दर से वृद्धि हुई है। तत्पश्चात 2019-20 में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है जहां बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। समग्र आधार पर भी बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम है। यह अन्य देशों द्वारा पाटन का भी प्रभाव था, तथापि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम रही है। इस प्रकार यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में पीओआई के दौरान ह्रास हुआ है और यदि शुल्क समाप्त होता है तो संबद्ध आयातों से घरेलू बाजार में ह्रास और न्यूनीकरण के बढ़ने की संभावना है।

ग. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	131	170
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	123	148

क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	94	87
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	123	144

75. यह नोट किया गया है कि:

i. घरेलू उद्योग की क्षमता में देश में मांग के मद्देनजर पूरी क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

ii. परिणामस्वरूप, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में भी संपूर्ण जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

76. यह देखा गया है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि आवेदक उद्योग के पास देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तथापि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का ईष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग की काफी क्षमता अपर्युक्त पड़ी है। चीन से देश में निरंतर पाटन और अन्य स्रोतों से बढ़े हुए पाटन के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में ईष्टतम स्तर तक वृद्धि नहीं कर पाया है।

77. इसी के साथ, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षमता विस्तार में वृद्धि हुई है और इससे 2019-20 और पीओआई में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। यह नोट किया गया है कि यद्यपि इस अवधि में मूल्यह्रास और ब्याज लागत बढ़ गई होगी, तथापि वह इतनी अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। 2019-20 की तुलना में पीओआई में मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है जबकि घाटे में वस्तुत: गिरावट आई है, यह दर्शाता है कि 2019-20 में क्षति क्षमता विस्तार के कारण नहीं हुई थी।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

78. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	125	136
समग्र रूप से भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	120	129
संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	54	41	41
देश जिन पर एडीडी लागू है- इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	199	164
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	86	74

79. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद वृद्धि हुई है। मांग में चीन के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, तथापि यह अब भी काफी अधिक है और भारतीय मांग का 16 प्रतिशत है। शुल्क वाले अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग) मालसूची

80. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	212	223

81. घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि घरेलू उद्योग विभिन्न अन्य स्रोतों से पाटित आयातों के कारण उत्पादन की मात्रा की बिक्री करने में सक्षम नहीं था।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

82. क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
लाभ/हानि	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	(184)	(68)
पीबीआईटी	₹ लाख में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	(37)	72
प्रति यूनिट पीबीआईटी	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	(30)	50
नकद लाभ	₹ लाख में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	72	154
प्रति यूनिट नकद लाभ	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	58	107
आरओआई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	(16)	34

83. यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक सुधार हुआ और तत्पश्चात जब अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात बढ़ गए तो 2019-20 में भारी गिरावट आई। घाटों में कमी हुई है, तथापि उद्योग को घाटा होना जारी है।

84. क्षति अवधि के दौरान निवेश पर आय में लाभ के समान प्रवृत्ति रही है। ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) ऋणात्मक स्तर तक घट गया। घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर आय (आरओआई) ऋणात्मक स्तरों तक घट गया। इस प्रकार ये मापदंड प्रतिकूलत: प्रभावित रहे हैं।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

85. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या, उनकी उत्पादकता और प्रदत्त मजदूरी का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	117	120
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	123	148
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	106	124
मजदूरी	लाख ₹	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	121	125

86. यह देखा गया है कि क्षमता में वृद्धि के साथ रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के कारण क्षति अवधि में उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। प्रदत्त मजदूरी में 2018-19 में गिरावट आई और तत्पश्चात् पीओआई तक वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

87. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में सकारात्मक रही है। तथापि, घरेलू उद्योग ने सभी कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। लागू शुल्क से उद्योग को मात्रात्मक मापदंडों में सुधार में मदद मिली है, तथापि अन्य स्रोतों से तीव्र पाटन के कारण कीमत मापदंडों की वृद्धि बाधित हुई है, जिसमें वास्तव में गिरावट आई है।

वृद्धि	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	14.19	5.61	16.56
घरेलू बिक्रियां	%	-	12.28	7.45	14.59
नकद लाभ- लाख रु. में	%	-	16	(66)	54
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	0.34	(6.60)	2.75

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।

ज) पाटन मार्जिन की मात्रा

89. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहना जारी है।

झ) क्षति मार्जिन की मात्रा

90. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पादन की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है और जांच अवधि के लिए कार्यरत लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है। प्राधिकारी ने पीसीएन स्तर पर पहुंच मूल्य और एनआईपी की तुलना द्वारा एक पीसीएन के लिए पहले क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। तत्पश्चात् समग्र रूप से पीयूसी के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन निर्धारित किया

गया है। जहां कहीं भी घरेलू उद्योग द्वारा बिल्कुल सटीक पीसीएन की कोई बिक्री नहीं थी, वहां संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना सर्वाधिक मिलते-जुलते पीसीएन के एनआईपी के साथ की गई थी।

91. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	एलवी यूएसडॉ./मी.टन	एनआईपी यूएसडॉ./मी.टन	आईएम यूएसडॉ./मी.टन	आईएम%	रेंज
1	चीन	मै. जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	चीन	मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल	***	***	***	***	20-30
3	चीन	मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
4	चीन	मेसर्स हांगझोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
5	चीन	मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
6	चीन	अन्य सभी	***	***	***	***	35-45

झ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

92. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति होने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की मूल जांच में पहले ही जांच की गई है, तथापि प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घेरलू उद्योग को क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है। यह जांच भी की गई थी कि क्या एडी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है या योगदान देने की संभावना है।

पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

93. मलेशिया, थाइलैंड, इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्तमान जांच के लिए विचारित पीओआई के दौरान पाटनरोधी जांच के अधीन हैं। प्राधिकारी ने शुल्क की सिफारिश की है और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16

सितंबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी शुल्क भी लगाया है। अन्य देशों से आयात जो उच्च कीमत पर काफी अधिक हुए हैं और इसलिए उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

मांग में संकुचल या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

94. पूरी क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है इसलिए मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

खपत में परिवर्तन की प्रवृत्ति

95. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

96. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

प्रौद्योगिकी में विकास

97. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति का कारण नहीं है।

घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

98. घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति जांच की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कुछ खास नहीं हैं।

ञ. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे कोई निरंतर क्षति नहीं हो रही है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में उसे क्षति होने की संभावना है। तथापि जैसा कि ऊपर कहा गया है प्राधिकारी ने इस जांच के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन पाया है। तदनुसार प्राधिकारी ने पाटन जारी रहने और पाटित आयातों के कारण क्षति की पुनरावृत्ति के संभावित परिदृश्य की जांच की है यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की अनुमति दी जाती है।

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. याचिका में पाटन और क्षति की संभावना संबंधी सूचना बिल्कुल अधूरी और अविश्वसनीय है। नियम 23 में साफ तौर पर निर्धारित है कि शुल्क समाप्त हो जाएंगे यदि प्राधिकारी पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से संबंधित किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं।

ख. याचिकाकर्ताओं को सिद्ध करना होगा कि शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति होगी और केवल पाटन और क्षति की संभावना नहीं है।

ग. निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी विहित पद्धति के अभाव में नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) के अनुसार "वास्तविक क्षति के खतरे" के विश्लेषण पर भरोसा करते हैं।

घ. याचिकाकर्ता का दावा अनिवार्य रूप से यह है कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के विरुद्ध ईयू, यूएसए, मेक्सिको और तुर्की जैसे देशों ने समान उपाय लागू किए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे ये उपाय स्वयं ही संभावना का दावा करने के लिए पर्याप्त हैं।

ड. चीन जन.गण. में अतिरिक्त क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात आदि के दावे का कोई सहसंबंध नहीं है क्योंकि आयात काफी कम हो गए हैं और यह दावा कमजोर है और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

च. आयातों में भारी गिरावट पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमता वृद्धि के कारण है।

छ. लागू पाटनरोधी शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और घरेलू उद्योग आयातों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रचालनात्मक क्षमता हासिल कर चुका है और अब वह आयातों से खतरे में नहीं है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क का अनावश्यक लाभ मिल जाएगा।

ज. वर्तमान क्षति जांच अवधि के दौरान हुई क्षति के लिए पहले से ही हाल में हुई जांच के अनुसार मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात जिम्मेदार हैं। पीओआई में पूर्वोक्त जांच में लागू पाटनरोधी शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव शामिल नहीं है। इसलिए क्षति जांच अवधि के आधार पर क्षति की संभावना का आकलन उचित नहीं होगा।

झ. हांगझोऊ फाइव स्तार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की क्षमता में क्षति जांच अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई है और वे पीओआई के दौरान उच्च क्षमता उपयेाग (90 प्रतिशत) पर कार्य भी कर रहे हैं। प्रतिवादियों के पास अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है और वे विश्वभर में अनेक देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। संबद्ध वस्तु का क्षमता विस्तार के लिए कोई योजना नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादियों से निर्यात के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।

ञ. विभिन्न पहलुओं के साथ प्रतिवादियों की प्रचलित परिस्थिति में प्रतिवादियों के लिए क्षति की संभावना का अलग आकलन आवश्यक है और पाटन तथा परिणामी क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना अलग-अलग उत्पादकों/निर्यातकों के लिए आकलित की जा सकती है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 तथा यूएस – जंगरोधी –इस्पात निर्णायक समीक्षा में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया गया है

ट. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देश में अत्यधिक क्षमता का आरोप लगाया है किंतु वे कोई सकारात्मक साक्ष्य देने में विफल रहे हैं जो प्राधिकारी को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि भारत को आयात की संभावना है। इसके अलावा, प्रतिवादी के पास कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है और क्षमता उपयोग लगभग 100 प्रतिशत है और भविष्य में क्षमता विस्तार की कोई योजना नहीं है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा भारत को आयात की कोई संभावना नहीं है।

ठ. निर्यात संभावना से संबंधित आंकड़ों से यह संकेत नहीं मिलता है कि निर्यात की यह मात्रा वास्तव में की जाएगी क्योंकि इसमें ऐसे अन्य कारकों और परिस्थितियों की मौजूदगी पर विचार नहीं किया जाता है जो निर्यात क्षमता की प्राप्ति को बाधित करते हों जैसे कच्ची सामग्री की उपलब्धता, आपूर्ति, ऋृंखला की बाधाएं आदि।

ड. याचिकाकर्ता ने न तो बाजार आसूचना के रूप में या अन्य स्रोत से किसी साक्ष्य द्वारा यह संकेत नहीं किया है कि एक बार एडीडी के हटने पर संबद्ध देश से उत्पादक तत्काल पाटित कीमतों पर भारत को पीयूसी का निर्यात शुरु कर देंगे।

ढ. केवल अतिरिक्त क्षमताओं की मौजूदगी क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि भारतीय स्पिनर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 (170) ई.एल.टी. 144 (टीआरआई-डेल) में माना गया था।

ण. भारतीय बाजार आकर्षक नहीं हैं। मौजूदा एडीडी के कारण याचिकाकर्ता ने पहले ही आयातों से कारगर प्रतिस्पर्धा के अभाव में अपनी बाजार स्थिति को समेकित और मजबूत बना लिया है और निर्यातकों के लिए एडीडी को हटाए जाने के बाद अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार में प्रवेश करना मुश्किल है।

त. याचिका में प्रदत्त पाटन और क्षति की संभावना संबंधी सूचना नियम 23 में यथा-अधिदेशित किसी समाप्ति समीक्षा में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की स्थितियां सिद्ध करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त और अविश्वसनीय हैं।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

101. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. शुल्क लागू होने के बाद आयात घट गए हैं, तथापि पाटित और क्षतिकारी कीमत पर आयात जारी हैं।

ख. चीन के उत्पादक वैश्विक रूप से पाटन कर रहे हैं, जैसाकि अनेक देशों द्वारा लागू किए गए अनेक व्यापार उपचारात्मक उपायों से सिद्ध होता है:

i. यूएस ने चीन जन.गण. से एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर 23.62 प्रतिशत से 35.60 प्रतिशत का पाटनरोधी शुल्क लगाया है, शुल्क अवधि लागू है।

ii. यूरोपीय आयोग ने 2008 से चीन जन.गण. से एल्युमिनियम फॉयल के विभिन्न प्रकारों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इस प्रकार लागू शुल्क वर्तमान में लागू है।

iii. टर्की ने जनवरी, 2014 से एल्युमिनियम फॉयल पर शुल्क लगाया है और शुल्कों को 2020 में पुन: बढ़ाया गया है।

iv. मेक्सिको ने चीन से एल्युमिनियम फॉयल कॉयल्स पर शुल्क लगाया है और शुल्क 25 मई, 2019 से प्रभावी हैं।

v. ताइवानी प्राधिकारी ने 22 फरवरी, 2021 से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से आयातित कतिपय एल्युमिनियम फॉयल पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

vi 19 सितंबर, 2020 को थाइलैंड ने एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर रक्षोपाय जांच शुरु की थी; फरवरी, 2019 में इंडोनेशिया ने भी एल्युमिनियम फॉयल से संबंधित रक्षोपाय जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। यही शुल्क अभी लागू है।

vii. थाइलैंड से भेजे गए आयातों द्वारा पीआरसी के मूल की कतिपय एल्युमिनियम फॉयल के आयातों पर यूरोपीय आयोग द्वारा पाटनरोधी उपायों की परिवंचना पर शुल्क लागू किया गया है।

ग. चीन के उत्पादकों के पास काफी मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है। चीन के उत्पादकों की ये क्षमताएं भारतीय मांग से कहीं ज्यादा है। चीन में उत्पादकों की ज्ञात क्षमता 2,322,000 मी.टन हैं जबकि भारतीय मांग पीओआई में केवल लगभग 1,44,834 मी.टन है। यूएस और ईयू प्राधिकारियों ने भी चीन की घरेलू मांग की तुलना में कहीं अधिक क्षमताओं के चीन में होने का निष्कर्ष निकाला है।

घ. संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन सुविधाएं प्रतिस्थापित हैं, जो चीन के निर्यातकों के व्यवहार को दर्शाती हैं। यदि शुल्क समाप्त होता है तो भारत को निर्यात मात्राओं में संबद्ध देश के उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता को देखते हुए अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है और अन्य बाजार प्रतिबंधित भी हैं।

ड. भारतीय बाजार एक कीमत संवेदी बाजार है, जिसके कारण अनेक बार भारतीय बाजार में विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है। भारत चीन के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार भी है।

च. चीन के उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं। यह तथ्य कि अनेक देशों ने चीन पर उपाय लागू किए हैं, सिद्ध करता है कि चीन न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है।

छ. यूरोपीय आयोग ने चीन जन.गण. के मूल की कतिपय एल्युमिनियम फॉयल के आयातों का पता लगाया है, चीन के निर्यातक थाइलैंड को निर्यात कर रहे हैं और यूरोपीय आयोग को जलपोत अंतरण के रूप में थाइलैंड का प्रयोग कर रहे हैं। एक प्रतिवादी निर्यातक डिंगशेंग ग्रुप, जिसने ईयू की जांच में भी भागीदारी की थी, वह ईयू को निर्यात करने के प्रयोजनार्थ थाइलैंड को ऐसी लगभग 95 प्रतिशत वस्तुओं के निर्यात का आरोपी है। यह दर्शाता है कि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने परिवंचना का सहारा लिया है और निर्यात बाजार में उपस्थिति बनाए रखने के लिए अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं करना जारी रखा है।

ज. चीन के उत्पादक शेष विश्व से कम कीमत पर चीन को निर्यात कर रहे हैं।

झ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षक है। चीन में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है। विभिन्न बाजारों के व्यापार उपचारात्मक उपायों के माध्यम से सीमित होने के कारण सकारात्मक मांग के साथ भारतीय बाजार शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीन के उत्पादकों के लिए एक लाभकारी बाजार बन जाएगा।

ञ. यूएस प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक रूप से उपलबध सूचना यह दर्शाती है कि भारत में एल्युमिनियम क्षेत्र में भारी लाभ मौजूद हैं।

ट. शुल्क लागू होने के तुरंत बाद अन्य स्रोतों अर्थात् थाइलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होना शुरु हो गया। ये आयात एक बार फिर पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें चीन के उत्पादकों द्वारा 5.5 माइक्रोन से कम के एल्युमिनियम फॉयल का पाटन भी शामिल है जो संबद्ध देश में उत्पादकों के पास उत्पाद परिवर्तन की क्षमता को दर्शाता है।

ठ. ऐसे लगभग 350 उत्पादक और निर्यातक हैं जो अवशिष्ट श्रेणी में भारत को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। यद्यपि मात्रा कम है, तथापि यह तथ्य कि अवशिष्ट शुल्क के बावजूद काफी संख्या में उत्पादक और निर्यातक अब भी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, घरेलू बाजार में उत्पादकों की रुचि दर्शाता है।

ड. कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए भारत को घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री बढ़ गई है जबकि तीसरे देश को निर्यात बिक्री घट गई है। इस प्रकार, निर्यातकों के लिए तीसरे देश का बाजार घट गया है और यह तथ्य दर्शाता है कि उत्पादक अन्य कीमत आकर्षक बाजारों की तलाश में होंगे। लागत में वृद्धि के बावजूद भारत को बिक्री कीमत गिरावट दर्शाती है।

ढ. डिंगशेंग ग्रुप के लिए भारत को निर्यात बिक्रियों में निरंतर गिरावट आई है। तथापि, जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड ने स्थापित क्षमता में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इन कंपनियों के पास थाइलैंड में संबंधित कंपनिया हैं। इसके अलावा, भारत को निर्यात बिक्री प्राप्ति में भी गिरावट आई है और यह बात इस तथ्य को दर्शाती है कि उत्पादक अन्य कीमत आकर्षक बाजारों की तलाश में होंगे।

ण. जियांग्सु झोंगजी लैमिनेशनल मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने भारत को निर्यात बिक्रियों में आधार वर्ष से 33 गुना वृद्धि की है। अन्य देशों को निर्यात बिक्री में गिरावट आई है। इसके अलावा, भारत को निर्यात बिक्रियों के लिए बिक्री प्राप्ति में भी गिरावट आई है जबकि लागत में वृद्धि हुई है।

त. शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड ने भारत को निर्यात बिक्रियों में लगभग तीन गुना तक वृद्धि की है, अन्य देश को निर्यात बिक्रियों में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारत को निर्यात बिक्रियों के लिए बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

102. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच और इस जांच का फोकस पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य पर है चाहे वर्तमान में कोई क्षति न हो रही हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने अपने लक्षति उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

103. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने कहा है कि कोई निरंतर क्षति नहीं हो रही है, यह मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण है जो इसे रोक रहा है। घरेलू ने आगे दावा किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क के बिना क्षति मार्जिन सकारात्मक है । यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान घाटा हुआ जो कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति का संकेत देता है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बिना क्षति मार्जिन सहयोगी निर्यातकों के लिए सकारात्मक है और इसलिए क्षति की पुनरावृत्ति के संदर्भ में जांच की अवधि के लिए मूल्यांकन किए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की मात्रा को सुरक्षा की मात्रा के लिए उपयुक्त माना जाता है।

104. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने हेतु जांच की गई है कि शुल्क के समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उनके पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन या क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

105. ऐसा संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति नहीं है, तथापि नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में ऐसे कारक हैं जिन पर विचार करना अपेक्षित है। अर्थात:

i. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की अत्यधिक दर जो काफी बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हो;

ii. निर्यातक के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न क्षमता जिसमें भारी वृद्धि हुई हो, तथा किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में बढ़े हुए पाटित आयातों की अत्यधिक संभावना दर्शाती हो।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ा हो और आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना है।

iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

106. इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है। संभावना के मापदंडों की जांच निम्नानुसार है:

क. भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर निरंतर आयात

107. संबद्ध वस्तु का शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन.गण. से पाटन जारी है। आयातों की मात्रा समग्र और सापेक्ष रूप से काफी अधिक बनी हुई है। इस प्रकार, शुल्क की अनुपस्थिति में संबद्ध वस्तु के पाटन में वृद्धि होने की संभावना है। यह भी नोट किया गया है कि 5.5 माइक्रोन से कम कम माइक्रोन वाले एल्युमिनियम फॉयल का चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में शुल्क लागू होने के तुरंत बाद भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, उत्पादकों ने एल्युमिनियम फॉयल के घरेलू बाजार में अपनी मौजूदगी बनाकर रखी है। यह बात संबद्ध देश ने उत्पादकों की उत्पादन बदलने की क्षमता को भी दर्शाती है।

ख. संबद्ध देश में भारी अतिरिक्त क्षमताएं

108. घरेलू उद्योग ने साक्ष्य सहित विभिन्न उत्पादकों की क्षमता संबंधी सूचना भी दी है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना निम्नानुसार दर्शाती है:

उत्पादक/निर्यात	ज्ञात क्षमता
हेनान हुआवेई एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	>2,00,000 मी.टन
जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी लिमिटेड	5,00,000 मी.टन
लाफ्टन एल्युमिनियम (हांगकांग)	>1,00,000 मी.टन
झेजियांग झोंगजिन एल्युमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	72,000 मी.टन
झेजियांग जीकेओ न्यू मैटरियल कंपनी लिमिटेड	50,000 मी.टन
झेजियांग जुनमा एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज	12,000 मी.टन
लुओयांग लोंगडिंग एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	400,000 टन एल्युमिनियम शीट, स्ट्रिप और फॉयल
शानडोंग लाफ्टन एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड	200,000 टन एल्युमिनियम फॉयल और स्ट्रिप

109. यह भी नोट किया गया है कि यूरोपीय संघ, टर्की, मेक्सिको और यूएसए जैसे देशों ने भी चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी उपाय लगाए हैं। इन निष्कर्षों में देखी गई ज्ञात अतिरिक्त क्षमता नीचे तालिकाबद्ध है:

देश	वर्ष	ज्ञात क्षमता/ पाई गई अतिरिक्त क्षमता
यूएसए	2017	ज्ञात क्षमता - 14,44,954 मी.टन
ईयू	2019	ज्ञात क्षमता -28,00,000 मी.टन ज्ञात क्षमता - 4,50,000 मी.टन
टर्की	2020	ज्ञात क्षमता -41,76,000 मी.टन

110. उत्पादकों ने वर्तमान जांच में सहयोग किया है और अपनी क्षमता संबंधी सूचना दी है। निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना निम्नानुसार दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	क्षमता
कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	मी.टन	***
शंघाई सुनहुओ एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड ("सुनहुओ")	मी.टन	***
डिंगशेंग फाइव स्थन	मी.टन	***
जियांग्सु डिंगशेंग	मी.टन	***
कुल	मी.टन	***

111. यद्यपि किसी भी निर्यातक ने संबद्ध देश में घरेलू मांग संबंधी सूचना नहीं दी है, तथापि प्राधिकारी के समक्ष लाई गई सूचना और साक्ष्य दर्शाते हैं कि चीन जन.गण. संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और उसके पास घरेलू मांग से कहीं अधिक क्षमता मौजूद है। प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जांच में उत्तर देने वाले उत्पादकों की मौजूदा क्षमता ही भारतीय मांग का लगभग छह गुना है। इस दावे के संबंध में कि उन उत्पादकों के लिए क्षमता उपयोग काफी अधिक है, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार की कीमत आकर्षता संबंधी आगामी पैराग्राफ में संभावना की जांच के लिए तीसरे देश की पाटित और क्षतिकारी मात्रा की जांच की है।

ग. तीसरे देश से पाटन

112. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के संबंध में सूचना प्रदान की है कि संबद्ध देश से उत्पादक तीसरे देशों में संबद्ध वस्तु का पाटन भी कर रहे हैं, जैसाकि नीचे तालिका से देखा जा सकता है। भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता संबंधी आगामी पैराग्राफ में प्रतिवादी निर्यातक की सूचना की भी जांच की गई है। यह देखागया है कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षति कीमत पर निर्यात-पाटन	यूएसडॉलर/मी.टन	***
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का भाग	% रेंज	90-100

घ. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

113. प्राधिकारी ने चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बाजार में चीन जन.गण. से निर्यातों की मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की है। यह सूचना निम्नानुसार दर्शाती है:

विवरण	**यूनिट**	
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	डॉलर/ मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत	डॉलर/ मी.टन	***
कुल निर्यात में पाटित मात्रा का भाग	%	***

कुल निर्यात में क्षतिकारी मात्रा का भाग	%	***
ऐसे निर्यातों की मात्रा जिन्हें भारतीय कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है –आकर्षक मात्रा	मी.टन	***
मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	% रेंज	350-400

114. संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर निम्नानुसार दर्शाते हैं:

कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (कुनशान)

विवरण	यूनिट	
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिरी कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत	डॉलर/ मी.टन	***
कुल निर्यात में पाटित मात्रा का भाग	% रेंज	40-50
कुल निर्यात में क्षतिकारी मात्रा का भाग	% रेंज	40-50
ऐसे निर्यातों की मात्रा जिन्हें भारतीय कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है – आकर्षक मात्रा	मी.टन	-
मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	% रेंज	-
भारत में मांग		1,44,834

शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड. ("सुनहुओ")

विवरण	यूनिट	
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिरी कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत	डॉलर/ मी.टन	***
कुल निर्यात में पाटित मात्रा का भाग	% रेंज	70-80
कुल निर्यात में क्षतिकारी मात्रा का भाग	% रेंज	60-70
ऐसे निर्यातों की मात्रा जिन्हें भारतीय कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है – आकर्षक मात्रा	मी.टन	***
मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	% रेंज	0-10
भारत में मांग		1,44,834

डिंगशेंग ग्रुप

विवरण	यूनिट	
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***

पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात	मी.टन	***
क्षतिकारी कीमत	डॉलर/ मी.टन	***
कुल निर्यात में पाटित मात्रा का भाग	% रेंज	80-90
कुल निर्यात में क्षतिकारी मात्रा का भाग	% रेंज	80-90
ऐसे निर्यातों की मात्रा जिन्हें भारतीय कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है – आकर्षक मात्रा	मी.टन	***
मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	% रेंज	50-60
भारत में मांग		1,44,834

जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड

विवरण	इकाई	सीधे आयात	संबद्ध पक्षकार के माध्यम से निर्यात	कुल
चीन से कुल निर्यात	मी.टन	***	***	***
पाटित कीमत पर निर्यात	मी.टन	***	***	***
क्षतिकारी कीमत पर निर्यात	मी.टन	***	***	***
क्षतिकारी कीमत	डॉलर/ मी.टन	***	***	***
कुल निर्यात में पाटित मात्रा का भाग	% रेंज	90-100	90-100	90-100
कुल निर्यात में क्षतिकारी मात्रा का भाग	% रेंज	90-100	90-100	90-100
ऐसे निर्यातों की मात्रा जिन्हें भारतीय कीमत से कम पर निर्यात किया जा रहा है –आकर्षक मात्रा	मी.टन	***	***	***
मांग के संबंध में आकर्षक मात्रा का हिस्सा	% रेंज	-	-	30-40
भारत में मांग		-	-	1,44,834

115. यह देखा गया है कि पाटित और क्षतिकारी कीमत पर तीसरे देशों को भारी निर्यात किए जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरे देशों को निर्यात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जो भारतीय बाजार में निर्यात से काफी अधिक है और भारतीय बाजार में मांग से काफी अधिक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड(कुनशान) भारत से कम कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात नहीं करता है, तथापि भारत से इतर कुल निर्यातों के पाटित और क्षतिकारी मात्रा में कुनशान का हिस्सा काफी अधिक है। इसके अलावा, कुनशान से भारत को निर्यात मात्रा अधिक नहीं है। पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण कुनशान भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ा नहीं पाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जियांग्सु झोगजी ने निविष्टि सामग्री के उत्पादन/बिक्री/आपूर्ति में शामिल संबंधित कंपनियों के उत्तर नहीं देकर वर्तमान जांच में पूर्णत: सहयोग नहीं किया है, फिर भी जियांग्सु झोंगजी द्वारा दायर उत्तर दर्शाता है कि संबंधि व्यापारियों के साथ जियांग्सु झोंगजी के समस्त तीसरे देश के निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। इसके अलावा, तीसरे देशों को जियांग्सु झोंगजी के निर्यातों का हिस्सा ऐसी कीमतों पर है जिस कीमत पर वस्तुओं का भारत को निर्यात किया जा रहा है और वह काफी अधिक अर्थात भारतीय मांग का लगभग 36 प्रतिशत है।

ड. तीसरे देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाना

116. जैसा पहले भी नोट किया गया है यूएस, ईयू, टर्की, मेक्सिको, ताइवान और इंडोनेशिया सहित विभिन्न देशों ने चीन जन.गण. से अपने देश में संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है (जैसा नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट है)। इसमें संबद्ध देश के उत्पादकों की विभिन्न बाजारों में वस्तु के पाटन की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।

देश	लागू होने का वर्ष	शुल्क का रूप	शुल्क की राशि
यूएस	2017	मूल्यानुसार	95.44%
ईयू	2009	मूल्यानुसार	14.2% to 35.6%
टर्की	2014	मूल्यानुसार	22%
मेक्सिको	2018	स्थिर	$ 0.17968/ किग्रा. से $ 1.1634/ किग्रा.
अर्जेन्टीना	2019	मूल्यानुसार	28%
ताईवान	2021	मूल्यानुसार	19.42% से 31.36%
इंडोनेशिया	2020	मूल्यानुसार	4%-6%

117. यह बात भी ध्यान में लाई गई है कि निर्यातक यूरोपीय आयोग द्वारा शुल्क लगाने के बाद प्रवंचना के कृत्य में भी शामिल रहा है जो संबद्ध देश में निर्यातक के वस्तुओं के पाटन संबंधी व्यवहार को दर्शाता है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. माहले आनंद थर्मल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड प्राधिकारी द्वारा विचारित अपवर्जनों से सहमत हैं और उनसे अंतिम जांच परिणाम में इन अपवर्जनों की पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं।

ख. प्राधिकारी को विलंबित एसएसआर प्रश्नावली उत्तर भग-II की स्वीकृति की पुष्टि करनी चाहिए और उसे असहयेागी मानना चाहिए तथा प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में भी अपवर्जनों की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है।

ग. प्राधिकारी ने बताया है कि समर्थक ने व्यापार सूचना सं. 05/2021 दिनांक 29.07.2021 के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान की है। व्यापार सूचना सं. 05/2021 दिनांक 29.07.2021 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि समर्थक ने उस तारीख से पहले समर्थन पत्र दिया था जब प्राधिकारी द्वारा व्यापार सूचना सं. 05/2021 दिनांक 29.07.2021 जारी नहीं की गई थी। इसका कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि व्यापार सूचना सं. 05/2021 दिनांक 29.07.2021 का पूर्व-व्यापी प्रभाव होगा। प्राधिकारी ने ग्रीनबेरी फॉयल्स इंडिया लिमिटेड को समर्थक घरेलू उत्पादक माने जाने संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत करने का आग्रह किया जाता है।

घ. प्रकटन टिप्पणियेां में उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए की गई सामान्य मूल्य की गणना के लिए सीमित समायोजनों संबंधी कोई ब्यौरा नहीं हे।

ड. कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

च. नागरिक इंडकॉन प्रोडक्ट्स (प्रा) लिमिटेड द्वारा परिवर्तन लागत में अनुचित वृद्धि के संबंध में जताई गई चिंता का समाधान किया गया है। फॉयल उत्पादक किसी औचित्य के बिना परिवर्तन लागतों को बार-बार बढ़ा रहे हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता और व्यापार व्यवहारिता को प्रभावित करता है। परिवर्तन लागत जो अप्रैल, 2021 महीने में 60.35 रु./किग्रा. थी, दिसंबर, 2021 में बढ़कर 104/- कि.ग्रा. हो गई। इस प्रकार, इसमें लगभग 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

छ. हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल की मांग-आपूर्ति में अंतर है और प्राधिकारी इसके संबंध में संगत आकड़े मंगा सकते थे। यह मुद्दा भारत में पीयूसी स्तर में मांग-आपूर्ति के बीच अंतर का नहीं है बल्कि याचिकाकर्ता और भारतीय उत्पादकों के पास हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और प्रयोक्ताओं को काफी अधिक एडीडी का भुगतान करके इन उत्पादों के आयात के लिए बाध्य होना पड़ता है जो छोटे प्रयोक्ताओं के लिए अच्छी स्थिति नहीं है।

ज. घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन काफी अधिक रहा है और निरंतर क्षति के कोई संकेत नहीं है जो दर्शाता है कि लागू एडीडी की अब कोई जरूरत नहीं है।

झ. प्रकटन में जनहित/प्रयोक्ताओं पर प्रभाव के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।

ञ. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में भी प्रकटन विवरण में यथा-उल्लिखित प्रतिवादी की निर्यात कीमत संबंधी समुक्ति की पुष्टि कर सकते हैं।

ट. चीन जन.गण. में पीयूसी के उत्पादन में झोंगजी की कोई संबंधित कंपनी शामिल नहीं है और इस बात का उल्लेख संबंधित प्रश्नावली के उत्तर में भी था। यदि संबंधित कंपनियां कच्ची सामग्री की आपूर्ति में शामिल भी होती तो निविष्टि सामग्री के उत्पादन/बिक्री/आपूर्ति में शामिल संबंधित कंपनियों के लिए प्रश्नवली का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निविष्टि सामग्री के उत्पादन/बिक्री/आपूर्ति में शामिल संबंधित कंपनियों के लिए प्राधिकारी द्वारा कोई विहित प्रश्नावली प्रपत्र जारी नहीं किया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी कौन सी सूचना और किस प्रपत्र में उसे दिए जाने की आशा करते हैं। प्रतिवादी ने संबद्ध जांच में बाजार-अर्थाव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन के प्रयोजनार्थ उत्पादन और/या कच्ची सामग्री की आपूर्ति में शामिल संबंधित पक्षकार की सूचना की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

ठ. यदि पाटन और क्षति की संभावना का आकलन भागीदार उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग किया जाता है तो यह आकलन अतिरिक्त प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होना चाहिए।

ड. अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क प्रतिवादी के लिए क्षति मार्जिन पर आधारित होना चाहिए क्योंकि भारत कमतर शुल्क के नियम को अपनाता है। नियम 17 के अंतर्गत विहित कमतर शुल्क का नियम निर्णायक समीक्षा के मामले में भी लागू होता है।

ढ. औसत पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय अपनाया जाना एल्युमिनियम उद्योग और पीयूसी के लिए काफी अधिक है। प्राधिकारी से आय की ऐसी उचित दर पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है जो क्षति मार्जिन की गणना हेतु एनआईपी के निर्धारण के लिए उद्योग मानकों के अनुक्रम में हो।

ण. संबद्ध जांच की पीओआई घरेलू उद्योग की वास्तिवक स्थिति को नहीं दर्शाती है क्योंकि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन अप्रैल से जून, 2020 के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा जब पूरे भारत में सख्त लॉकडाउन लागू था।

त. प्राधिकारी एक ओर क्षमता, मूल्य ह्रास में समग्र वृद्धि और लागत में वृद्धि तथा संपूर्ण जांच अवधि के दौरान दूसरी ओर घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट का मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं। वह यह भी नहीं देख पाए हैं कि घरेलू उद्योग पीओआई में अब भी घाटा उठा रहा है और इस घाटे के लिए मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि जिम्मेदार हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुल पीबीआईटी/इकाई और कुल पीबीआईटी जांच अवधि में सकारात्मक हैं, परंतु घरेलू उद्योग को जांच अवधि में समग्र घाटा हुआ है और कुल नकद लाभ और नकद लाभ/इकाई पीओआई के दौरान काफी अधिक है जबकि घरेलू उद्योग को पीओआई में समग्र घाटा हुआ है।

थ. प्रकटन विवरण में तथ्यों के अनुसार भारत में पाटित आयातों की वृद्धि दर अधिक नहीं है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में निरंतर और भारी गिरावट आई है और तद्नुसार अनुबंध-II के खंड (vii) के उप खंड (क) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है।

द. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु के लिए चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध केवल कुल क्षमता की जांच की है और चीन के उत्पादकों के पास उपलबध अतिरिक्त या मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता के मूल्यांकन की जरूरत नहीं समझी है। प्रतिवादी के ईक्यूआर के परिशिष्ट 1 में दी गई तालिका कि अनुसार

झोंगजी के पास कोई खास अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता नहीं है और यह नोट किया जाए कि वे संबद्ध वस्तु का विश्व-भर में 30 देशों को निर्यात कर रहे हैं। घरेलू बिक्रियों या अन्य देश की बिक्रियों को भारत भेजे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

ध. पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का मूल्यांकन अलग-अलग उत्पादकों/निर्यातकों के लिए किया जा सकता है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 और 11.3 तथा यूएस – जंगरोधी अलगस्टील निर्णायक समीक्षा में अपीलीय निकाय का संदर्भ दिया गया था जिसके अनुसार प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा में अलग-अलग निर्यातकों और उत्पादकों के लिए अलग-अलग संभावना निर्धारण करने और तत्पश्चात उस कंपनी के लिए निर्धारण के अनुसार प्रत्येक कंपनी हेतु संगत शुल्क को जारी रखने या समाप्त करने से परहेज नहीं किया है।

न. प्राधिकारी यदि पाते हैं कि शुल्क को लागू रखने की सिफारिश करना उचित है, तो मूल जांच की तरह संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क की स्थिर राशि की सिफारिश कर सकते हैं।

प. भागीदार उत्पादक शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल के नाम को क्षति और पाटन मार्जिन तालिका में गलत ढंग्र से नोट किया गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम जांच परिणाम में इस त्रुटि को सुधार लें।

फ. प्रतिवादी उत्पादक हेंगझोऊ फाइव स्टार एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का नाम पाटन और क्षति मार्जिन तालिका में उल्लिखित नहीं है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

क. प्राधिकारी ने मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग, मैसर्स हांगझोऊ फाइव स्टार और मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी है। तथापि, उनके एनसीवी उत्तरों के अनुसार किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है।

ख. प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने जानबूझकर देश-वार क्षमता, मांग और तीसरे देशों को निर्यात की जानकारी नहीं दी है।

ग. मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मैसर्स जियांग्सु लेमिनेशन मैटिरियल कंपनी लिमिटेड और मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड ने मूल जांच में भाग नहीं लिया था और उनकी सीमित पीसीएन की काफी कम निर्यात मात्रा है। निर्णायक समीक्षा के स्तर पर अलग-अलग मार्जिन देने से पाटन तेज हो सकता है।

घ. संबद्ध देश से मूल जांच में जिन उत्पादकों ने उत्तर दिया है परंतु वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में उत्तर नहीं दिया है, उन्हें असहयोगी माना जाना चाहिए और शुल्कों की अवशिष्ट श्रेणी प्रदान की जानी चाहिए। यह बात 'नार्मल बुटानोल", "2 इथाइल हेक्सानोल", "इलेक्ट्रिकल इनसुलेटर्स", "नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक्स" आदि से संबंधित निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के विभिन्न पूर्व जांच परिणामों के अनुरूप भी है।

ड. शुल्क की वर्तमान राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। आवेदकों ने शुल्क के रूप या बेंचमार्क में किसी संशोधन की मांग नहीं की है बल्कि केवल वर्तमान शुल्क की समयाविधि बढ़ाने की मांग की है। यूरोपीय संघ (ईयू), यूएसए, चीन, अर्जेन्टीना आदि जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्य देश पाटनरोधी शुल्क की समान राशि का समय बढ़ाते हैं और निर्णायक समीक्षा में राशि में संशोधन नहीं करते हैं। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ सदस्य देश जिनमें वर्तमान मामले में संबद्ध देश चीन भी शामिल है, में निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क की राशि में संशोधन करने की परिपाटी नहीं है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/अनुरोध अधिकांशत: पूर्ववर्ती अनुरोधों का दोहराव हैं, जिनकी प्रकटन विवरण में या वर्तमान जांच परिणाम के संगत पैराओं में उपयुक्त और पर्याप्त रूप से पहले ही जांच की गई है और उचित ढंग से समाधान किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए नए मुद्दों के संबंध में आगे निम्नानुसार विचार किया है।

क. इस तर्क के संबंध में कि ग्रीन बैरी द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि ग्रीन बैरी के समर्थन पर विचार किए बिना भी, कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक कम्पनियों के उत्पादन का हिस्सा प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदन स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ख. भारतीय उत्पादकों द्वारा विशेष रूप से जांच अवधि के बाद परिवर्तन लागत में की गई भारी वृद्धि से संबंधित तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्शाते हैं कि पीओआई के दौरान एलएमई की कीमत में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बिक्री कीमत में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

ग. हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल की मांग-आपूर्ति अंतर संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि इन उत्पाद प्रकारों के लिए किसी अलग या विशिष्ट मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। सभी उत्पाद प्रकार समान मशीनरी में उत्पादित होते हैं। इस प्रकार सभी उत्पाद प्रकार के उत्पादन में तकनीकी बाधा नहीं हो सकती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमता की अल्प-प्रयुक्त है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने हाउस फॉयल कन्वर्टेड और एसआरसी कन्वर्टेड का उत्पादन किया है जिसका अर्थ है कि वह हाउस फॉयल और एसआरसी का भी आसानी से उत्पादन कर सकता है। घरेलू उद्योग ने हाउस फॉयल और एसआरसी की बिक्रियां की हैं, जिसका विधिवत् रूप से सत्यापन किया गया है। घरेलू उद्योग इस प्रकार हाउस फॉयल और एसआरसी की मांग को उचित कीमत पर आसानी से पूरा कर सकता है।

घ. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त या मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता की अनदेखी की है क्योंकि उसने अपनी समस्त क्षमता का उपयोग किया है, यह नोट किया गया है कि तीसरे देश के पाटित और निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात की क्षतिकारी मात्रा जो ऐसी कीमत से कम कीमत पर हुई है, जिस पर भारत को वस्तु का निर्यात किया जाता है, उत्पादक के पास मुक्त रूप से उपलब्ध निपटान योग्य क्षमता है जिसका वह भारत को निर्यात कर सकता है।

ड. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कोविड से प्रभावित अवधि का घरेलू उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक घरेलू उद्योग कोविड अवधि के दौरान बंद हो जाता है। इसके अलावा पीआईओ के दौरान मांग भी बढ़ी है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं हो सकता था।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

120. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एडीडी का अत्यधिक प्रभाव इस तथ्य से पड़ता है कि इनपुट फॉयल तैयार हाउस फॉयल और एसआरसी की लागत की कच्ची सामग्री के रूप में लगभग 80-85 प्रतिशत होती हे और ऐसे परिदृश्य में वर्तमान मामले में एडीडी की अत्यंत उच्च राशि डाउनस्ट्रीम और अंतिम प्रयोक्ताओं, दोनों पर शुल्क का असाधारण प्रभाव डालेगी। हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल के प्रयोक्ता उत्पाद के लिए अवास्तविक उच्च कीमत दे रहे हैं और ऐसी कीमतें चीन जन.गण.से हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल सहित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू एडीडी की बड़ी राशि का प्रत्यक्ष परिणाम है। अंतिम प्रयोक्ता पर एडीडी का बोझ 16 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच है।

ख. संबद्ध वस्तु की हाल की कीमत वृद्धि ने प्रयोक्ताओं के लिए और समस्याएं खड़ी कर दी हैं और उत्पाद के अनेक डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की सहायता के लिए हाउस और एसआरसी फॉयल पर एडीडी को समाप्त कर देना चाहिए। उत्पादक मूल एल्युमिनियम की कीमत में वृद्धि से अलग संबद्ध वस्तु की कीमत को बढ़ा रहे हैं और स्पष्ट रूप से एलएमई कीमत को किसी बेंच मार्क के रूप में नहीं अपनाया जा रहा है।

ग. वर्तमान समय विस्तार जनहित में नहीं होगा।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

121. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

क. घरेलू उद्योग वास्तव में आत्म-निर्भर है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ रही है, इसलिए उद्योग उसे पूरा करने हेतु अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

ख. घरेलू उद्योग आरंभ में शुल्क लागू होने के बाद काफी वृद्धि कर चुका है। आरंभिक 12 उत्पादकों जो भारतीय उद्योग थे, की बजाय आज देश में 21 उत्पादक हैं। इसके अलावा उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाने और देश में

पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवेश किया है। यह इसलिए संभव है क्योंकि सरकार ने अनुचित व्यापार से उद्योग की रक्षा की है और चीन से आयातों पर शुल्क लगाकर समान अवसर प्रदान किए हैं।

ग. नए संयंत्र लगाए गए हैं और नई कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया है। चूंकि इन कंपनियों ने हाल में उत्पादन शुरु किया है, इसलिए वे घरेलू उद्योग में अभी पैर नहीं जमा पाए हैं। चीन से कम कीमत पर आयात उन कंपनियों के लिए अस्तित्व बचाना और मुश्किल कर देंगे।

घ. घरेलू उद्योग की योजना निकट भविष्य में पर्याप्त निवेश करने की है। अनुमानित रूप से 2022 में क्षमता विस्तार और विकास के लिए घरेलू उद्योग द्वारा लगभग 1200 करोड़ रु. का निवेश किया जा रहा है तथापि यदि शुल्क नहीं लगाया जाता तो चीन से कम कीमत पर आयात में पुन: वृद्धि हो जाएगी जिससे घरेलू उद्योग का यह निवेश हतोत्साहित हो जाएगा।

ड. घरेलू उद्योग भविष्य में भारी निवेश की योजना बना रहा है, ऐसे निवेश से न केवल देश में स्थानीय बाजार की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी बल्कि घरेलू उद्योग के भावी निर्यात में भी वृद्धि होगी।

च. आयातों पर अत्यधिक निर्भरता का अर्थ यह भी है कि प्रयोक्ताओं को पर्याप्त मालसूची रखनी होगी। जैसा ऊपर उल्लिखित है, निरंतर बदलते माहौल को देखते हुए आयातों पर पूरी तरह निर्भर रहना प्रयोक्ताओं के हित में नहीं है।

छ. भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौजूद है।

ज. शुल्क लगाया जाना उपभोक्ता के हित में होगा क्योंकि अत्यधिक निर्यात निर्भरता का यह अर्थ है कि प्रयोक्ता निर्यातकों की दया पर आश्रित होंगे। इससे निर्यातकों द्वारा प्रयोक्ता उद्योग का शोषण भी हो सकता है।

झ. संबद्ध देश में उत्पादक भारी क्षमता को देखते हुए लागत कम करने हेतु अधिकतम क्षमता उपयोग का लक्ष्य सदैव रखेंगे, इस प्रकार चीनी उत्पादकों के निर्यातोन्मुख होने के साथ यह अतिरिक्त क्षमता भारतीय बाजार को बुरी तरह प्रभावित करेगी और इससे भारी नुकसान होगा।

ञ. चीन के निर्यातक अपने वैश्विक निर्यातों की तुलना में चुनिंदा रूप से कम कीमत पर भारतीय बाजार में बिक्री कर रहे हैं।

ट. पीयूसी के लिए भारत की आयात निर्भरता 52.68 प्रतिशत से घटकर 36.41 प्रतिशत रह गई है। यदि घरेलू उत्पादकों को अनुचित पाटन से बचाया जाता है तो यह शीघ्र ही 10 प्रतिशत से कम हो जाएगी।

ठ. प्रयोक्ता उद्योग एक पास-थ्रू उद्योग है जहां लागत में कोई वृद्धि उद्योग द्वारा नहीं झेली जाती है बल्कि उसे मूल्य श्रृंखला में आगे पास कर दिया जाता है। इस प्रकार, शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप लागत में प्रयोक्ता उद्योग को नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसे उपभोक्ताओं को पास कर दिया जाएगा।

ड. भेषज ब्लिस्टर और स्प्रिट पैक; फलेक्शिबल पैकेजिंग; हाउस फॉयल; एसआरसी; ब्लिस्टर फॉयल, अलु अलु जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव अत्यंत कम है और 0.0011 प्रतिशत से 0.17 प्रतिशत के बीच है।

ढ. भारतीय उद्योग द्वारा किए गए आगामी क्षमता विस्तार की योजना से देश में रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग का विकास और वृद्धि न केवल उद्योग के हित में है बल्कि सारे देश के हित में भी है।

ण. शुल्क का उद्देश्य आयातों पर पूरी तरह रोक लगाना नहीं है। घरेलू उद्योग को अब भी आयातों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इससे केवल अनुचित व्यापार प्रक्रिया समाप्त होगी और देश में स्वस्थ बाजार दशाएं सुनिश्चित होंगी।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों

को किसी तरह प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से पाटन की प्रक्रिया से अर्जित अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध देश के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

123. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से जन हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर शुल्क को जारी रखने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और व्यापक तौर पर आम जनता पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों और साक्ष्यों पर आधारित है।

124. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाते हुए जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर पड़ने वाले किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने आयातों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के प्रचालन पर एडीडी के प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी देने के लिए उपभोक्ताओं के लिए प्रश्नावली भी विहित की। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई उत्पाद की अप्रतिस्थापनीयता, स्रोत बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव, एडीडी लागू होने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन को तेज या उनके विलंब करने की संभावना वाले कारकों, वर्तमान शुल्क के निरसन या अनुरक्षण के प्रभाव के संबंध में सूचना मांगी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक आयातक अर्थात जिल पैक को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के किसी उपभोक्ता या आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया है। जिल पैक ने भी प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि एडीडी लगाए जाने और पांच वर्षों तक उसकी मौजूदगी से उपभोक्ताओं अथवा आम जनता पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

125. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अपनी प्रस्तुतियों में की गई प्रस्तुतियों पर इस संबंध में विचार किया गया है। जहां तक उपभोक्ता उद्योग द्वारा निर्धारित शुल्क के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है और इसलिए भविष्य में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित कर्तव्यों के प्रभाव पर विचार करने से पहले, प्राधिकरण को पहले शुल्क के प्रभाव पर विचार करना चाहिए जो पहले लगाया गया था। ऐसी स्थिति में जहां एडीडी पिछले चार वर्षों से अधिक समय से जगह में है, उत्पाद की कीमत में वृद्धि (कच्चे माल की कीमतों के आंदोलनों के लिए उचित समायोजन के बाद) और उसी का प्रभाव उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा संकेतक है। इस प्रभाव को शुल्क लगाने के बाद घरेलू और आयातित उत्पाद के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग या चीनी उत्पादकों द्वारा उत्पाद की कीमत में कोई भौतिक वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का निवेश पर प्रतिफल काफी कम है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न तो घरेलू उद्योग की कीमत और न ही आयातों की कीमत में पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पाद के मूल्य में पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा से भी वृद्धि नहीं हुई थी, यह विचार करना उचित नहीं होगा कि शुल्क जारी रहने के कारण भविष्य में प्रति-डंपिंग शुल्क की मात्रा से उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी।

126. यह तर्क भी दिया गया है कि घरेलू उद्योग परिवर्तन लागत और पीओआई तथा पीओआई के बाद एलएमई कीमतों में संगत वृद्धि के बिना अपनी कीमतें बढ़ा रहा है। प्राधिकारी ने एलएमई कीमतों के साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में मासिक वृद्धि की जांच की है। यह देखा गया है कि यद्यपि बिक्री कीमत में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, एलएमई कीमतों में 44% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह दावा कि उद्योग ने लागू एडीडी का दुरुपयोग किया है, गलत है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को अन्य पाटित स्रोतों के कारण क्षति हुई थी और एडीडी, जांच अवधि के बाद लगाया गया था। शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कुछ वृद्धि होनी चाहिए थी जो पाटन के कारण कम हो गई थी। इसके अलावा, यद्यपि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के पीओआई के बाद के

आंकड़ों पर विचार नहीं करते हैं, तथापि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी को देखते हुए, पीओआई के बाद की अवधि में एलएमई की कीमतों में और वृद्धि हुई है।

127. घरेलू उद्योग ने ध्यान दिलाया है कि उत्पादकों की संख्या में 2008 में लगभग 12 उत्पादकों से वर्तमान में लगभग 21 उत्पादकों की वृद्धि हुई है। उद्योग के पास 1,54,814 मी.टन से अधिक की स्थापित क्षमता है। इस वृद्धि को प्राप्त को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग ने इस उत्पाद में लगभग 10,000 करोड़ रु. का निवेश किया है। क्षमताओं में वृद्धि से भारतीय उद्योग द्वारा सृजित रोजगार बढ़ गया है और उद्योग 1100 व्यक्तियों को सीधे रोजगार दे रहा है और आगामी वर्षों में इसमें दुगुनी वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, उत्पादकों की उत्पाद रेंज विकसित हो गई है और वे लगभग सभी प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं।

128. घरेलू उद्योग पिछले पांच वर्षों में सुधार में सक्षम रहा है और घरेलू बाजार में वृद्धि पर विचार करते हुए अपनी क्षमताएं बढ़ा पाया है। नए संयंत्रों की स्थापना हुई और बाजार में नई कंपनियों ने प्रवेश किया है। तथापि, अन्य स्रोतों से भी निरंतर पाटन में घरेलू उद्योग को संवेदनशील बना दिया है। चूंकि इन कंपनियों ने अभी अभी उत्पादन शुरु किया है इसलिए ये भारतीय बाजार में अब तक पैर जमाने में सक्षम नहीं हुई हैं और इस प्रकार संवेदनशील हैं। चीन से कम कीमत पर आयात कंपनी के अस्तित्व को संकट में डाल देंगे। यदि नई स्थापित उत्पादन क्षमता का अल्प उपयोग होता है और अपेक्षित आरओआई का सृजन नहीं होता तो कंपनी को घाटा उठाना पड़ेगा। ऐसे मामले में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भारतीय उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

129. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग ने शुल्क की अवधि के दौरान वृद्धि हासिल की है। तथापि, चूंकि उद्योग अब भी संवेदनशील बना हुआ है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना उद्योग के हित में होगा।

130. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के हितों पर शुल्क जारी रखने के प्रभाव की जांच भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे बल्कि केवल यह सुनिश्चित होगा कि वस्तुएं उचित कीमत पर उपलक्ध हों। इसके अलावा, देश में मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। लगभग 1,48,000 मी.टन की मांग के मुकाबले भारतीय उत्पादकों की क्षमता लगभग 154,000 मी.टन अनुमानित की गई है, जिसके 192,000 मी.टन तक और बढ़ जाने की उम्मीद है। घरेलू उत्पादकों की क्षमता देश में मांग से अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमताएं कम प्रयुक्त होती हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पीसीएन स्तर में विशेष रूप से हाउस फॉयल और एसआरसी फॉयल के लिए मांग-आपूर्ति में अंतर है, तथापि जैसा इस जांच परिणाम में कहीं और नोट किया गया है। इन पीसीएन के लिए भी घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।

131. अत: यदि संबद्ध देश से कोई आयात नहीं होता है तो भी घरेलू आपूर्ति मांग पूरी करने के लिए काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त उत्पाद को ईयू, सिंगापुर, यूएसए और अन्य देशों सहित दूसरे देशों से भी उचित कीमत पर आयात किया जा सकता है।

132. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में काफी संख्या में उत्पादक हैं और उत्पादकों के पास घरेलू मांग और निर्यातों से अधिक क्षमता है। अत: घरेलू उत्पादकों के बीच काफी कीमत प्रतिस्पर्धा है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ताओं के पास प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क से कोई अनावश्यक लाभ होने की संभावना नहीं है।

ड. निष्कर्ष

133. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उक्त जांच जांच परिणाम में दर्ज उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन जारी है और शुल्क समाप्त होने पर आयातों के पाटित कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की आशंका है।

ii. आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम बना रहा है। आयातों से बाजार में कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग संवेदनशील बना हुआ है।

iv. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु यूरोपीय संघ, टर्की, मैक्सिको और यूएसएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाटनरोधी शुल्क के अधीन है।

v. रिकॉर्ड में सूचना इस स्तर पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लगभग समस्त निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर भारत से इतर देशों को हुए हैं। इसके अलावा, ऐसी कीमत से कम कीमत पर पर्याप्त निर्यात हुए हैं जिस पर भारतीय बाजार में काफी निर्यात किया गया है। ये कारक संचयी रूप से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यातों को पाटनरोधी उपाय समाप्त होने की स्थिति में भारत में भेजे जाने की प्रबल संभावना दर्शाते हैं।

vi. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। एडीडी के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सभी प्रकारों को प्रदान करने और यह स्पष्ट करने के बावजूद कि एडीडी लागू होना उन्हें कैसे प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर एडीडी का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है।

vii. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी देखा गया है कि उपभोक्ताओं पर एडीडी का प्रभाव बिल्कुल मामूली है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं कि वर्तमान उपाय को जारी रखने से देश में उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है।

ढ. सिफारिशें

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के पहलू पर सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है।

135. इस प्रकार, नियमों के नियम 4 (डी) नियम 17 (एल) (बी) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन और चोट के मार्जिन के कम के बराबर, यथासंशोधित, एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को डंपिंग और चोट की संभावना को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए, विषय देश में उत्पन्न या निर्यातित विषय वस्तुओं के सभी आयातों पर लगाया जाना अनुशंसित है।

क्र.सं.	*उपशीर्ष/ टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी देश चीन जन.गण.	मैसर्स जियांग्सु झोंगजी लेमिनेशन मैटिरियल्स	556	मी. टन	यूएस डॉलर

				समेत	कंपनी लिमिटेड			
2.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी देश चीन जन.गण. समेत	मैसर्स शंघाई सुनहो एल्युमिनियम फॉयल कंपनी लिमिटेड	886	मी. टन	यूएस डॉलर
3.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी देश चीन जन.गण. समेत	मैसर्स जियांग्सु डिंगशेंग न्यू मैटिरियल्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड	469	मी. टन	यूएस डॉलर
4.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी देश चीन जन.गण. समेत	मेसर्स हांगझोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं, लिमिटेड	469	मी. टन	यूएस डॉलर
5.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी देश चीन जन.गण. समेत	मैसर्स कुनशान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	691	मी. टन	यूएस डॉलर
6.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	चीन जन.गण.	कोई भी अन्य देश चीन जन.गण. के अथवा	क्रमांक 1 से 5 . के अलावा कोई भी निर्माता	1106	मी. टन	यूएस डॉलर
7.	7607	एल्युमिनियम फॉयल*	कोई भी अन्य देश चीन जन.गण. के अथवा	चीन जन.गण.	कोई भी	1106	मी. टन	यूएस डॉलर

**इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए एल्यूमीनियम फॉयल का मतलब है "एल्युमिनियम फॉयल चाहे मुद्रित या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकिंग सामग्री के साथ हो अथवा नहीं, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन हो" जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:*

i. एलु एलु लेमिनेट: एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टी लेयर्ड ओपेक लेमिनेट होता है जहां एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग कैप्सूल/टैबलेट में प्रयोग के लिए गोंद के साथ दोनों ओर प्लास्टिक फिल्म से समर्थित होती है।

ii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड: 5.50 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर या स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से समर्थित हो, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और टी बैग्स एप्लीकेशन में प्रयोग के लिए प्लेन या मुद्रित हों।

iii. एल्युमिनियम फॉयल कम्पोजिट: एल्युमिनियम फॉयल जो क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ से लेमिनेटेड या समर्थित हो, चाहे पोलि एथीलीन सहित हो या उसके बिना, चाहे मुद्रित हो या अमुद्रित हो। तथापि, क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या समर्थित एल्युमिनियम फॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे के भीतर है।

iv. कैपेसिटर के लिए एल्युमिनियम फॉयल: कैपिसिटरों के लिए एल्युमिनियम फॉयल 99.35 प्रतिशत शुद्धता से कम चौड़ाई सहित 5 माइक्रोन गेज की एल्युमिनियम फॉयल होती है जो विद्युत उपकरणों जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेटोज, इलैक्ट्रोनिक टैस्टिंग उपकरण, कापी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, फ्लोरोसेंट लाइट, मर्करी वेपर स्ट्रीट लैंप, विद्युत ट्रांसमिशन उपकरण, विद्युत मोटर, कंट्रोल यूनिट और समान वस्तुओं में प्रयोग होती है।

v. एच्ड या फोर्म्ड एल्युमिनियम फॉयल: इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली एल्युमिनियम फॉयल।

vi. एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल: एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल फैकेड क्लेडिंग और साइनेज में प्रयोग के लिए एल्युमिनियम की दो परतों के बीच जुड़ा हुआ एक गैर-एल्युमिनियम कोर (प्राय: पीई) होता है।

vii. क्लैड, कम्पेटिबल गैर क्लैड एल्युमिनियम फॉयल सहित: एल्युमिनियम सरफेस लेयर से बनी एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट, जिसे ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन पूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणाली में प्रयोग के लिए उच्च मजबूती के एल्युमिनियम अलॉय कोर सामग्री से धात्विक रूप से जोड़ा जाता है, जैसे रेडिएटर, कन्डेन्शर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

viii. बीयर बॉटल के लिए एल्युमिनियम फॉयल: रफ सर्फेश और परफोरेटेड के साथ 10.5 माइक्रोन की एल्युमिनियम फॉयल, चाहे प्रिंटेड हों अथवा नहीं; जो बीयर बॉटल में प्रयुक्त होती है।

ix. एल्युमिनियम-मैगनीज-सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमिनियम-मैगनीज सिलिकॉन आधारित अलाय, चाहे क्लैड या अनक्लैड हों।

x. एडहेसिव टेप

xi. कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉयल

136. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सीमा सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

आगे की प्रक्रिया

137. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार करने के बाद इनकी विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट पदाधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 14th March, 2022

(Case No. (SSR) 22/2021)

Subject: Final Findings - Sunset review investigation concerning imports of "Aluminium Foil 5.5 Micron to 80 Micron" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/27/2021 – DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. An anti-dumping investigation concerning imports of Aluminium Foil 5.5 Micron to 80 Micron' (hereinafter referred to as subject goods or product under consideration or PUC), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as 'the Authority') vide Notification No. 14/06/2015-DGAD dated 15th December 2015. The Authority notified the final findings on 10th March 2017 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country. The definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 23/2017-Customs dated 16th May 2017.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

> *"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."*

3. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And whereas, M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., and M/s Jindal India Ltd., (hereinafter referred to as the 'applicants' or 'applicant companies' or "domestic industry") jointly filed a duly substantiated application before the Designated Authority, in accordance with the Act and the Rules, requesting initiation of sunset review investigation concerning imports of Aluminium Foil 5.5 Micron to 80 Micron', originating in or exported from China PR.

5. The applicants sought the continuation of the anti-dumping duty against imports of subject goods from the subject country. The request was based on the ground that the expiry of the anti-dumping duty was likely to result in continuation/recurrence of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.

6. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants to justify initiation of the investigation issued a public notice vide Notification No. 07/27/2021 - DGTR dated 16th September 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

7. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. No. 14/06/2015-DGAD dated 10th March 2017.

B. PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed with regard to the present review:

a. The Authority notified the Embassy/Representative of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice dated 16th September 2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers, and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR.

f. The Authority sent Exporter's Questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. Aardee Import Exports Co., Ltd.	2. Longxi Northwest Aluminium Foil Co., Ltd.
3. ATEC New Material Industry Co., Ltd.	4. Luoyang Longding Aluminium Industries Co Ltd, China
5. Dingsheng Aluminium Industries Hong Kong Trading, China	6. PeixianFengyuan Import and Export Trade Co. Ltd., China
7. Dong Guan Kai Yuan Plastication, China	8. Qingdao Donghai Aluminium Co., Ltd
9. Fengcheng HuaqiangMachiney Co., Ltd.	10. Shandong Deli Aluminium Technology Co., Ltd.
11. Guangzhou Mywow Decor Co. Ltd	12. Shanghai SntalAluminum Co., Ltd
13. Gulf Worldwide Distribution	14. Targray Technology International Inc
15. Hangzhou Dingsheng Imp Exp Co Ltd, China	16. Tawazon Chemical Company LLC
17. Hebei North China Aluminium Co. Ltd.	18. Tetra Pak Jurong Pte Ltd.
19. Henan Mingtai Technology Development Co Ltd, China	20. TJPFTZ L.X. International Trading Co., Ltd.
21. Herose Limited	22. Victory Food Specialities FZE
23. Hugematic Industries Co., Ltd.	24. Wuxi Giant Brand Thermal Insulation Material Co., Ltd.
25. Jiangsu Alcha Aluminium Co., Ltd.	26. Wuxi Myriad Corporation
27. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd, China	28. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

29. Jiangsu Fengyuan Aluminium Master Technology Co Ltd, China	30. Xiamen Kolysen Packaging Integration Co., Ltd
31. Jiangsu Zhongji Lamination Material Co Limited, China	32. Yunnan Haoxin Aluminium Foil Co., Ltd.
33. Jiangyin Bondtape Technology Corporation	34. Zhangzhou Banruo Import Export Co., Ltd.
35. Konmax Jiaxing New Material Co., Ltd.	36. Zhengzhou Mingtai Industry Co, Ltd, China
37. Kunshan Aluminium Co. Ltd, China	38. Shandong Mingda Packing Product Company
39. Flightpartsxiamen Import and Export Co Ltd	

g. In response, the following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire in the prescribed format:

i. Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co., Ltd (Exporter)

ii. Hangzhou Dingsheng Import and Export Co., Ltd. (Exporter)

iii. Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd. (Producer)

iv. Jiangsu Dingsheng New Material Joint Stock Co., Ltd. (Producer)

v. Jiangsu Zhongji Lamination Material Co. Ltd (Producer)

vi. Kunshan Aluminium Co., Ltd. (Producer)

vii. Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd. (Exporter)

viii. ShangqiuYangguang Aluminium Material Co., Ltd. (Exporter)

h. Kunshan Aluminium Co., Ltd did not file SSR questionnaire part II along with the questionnaire response. Belated SSR questionnaire response was filed by Kunshan Aluminium Co. Ltd has been accepted having regard to the justifications provided by them.

i. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1. 3DCOM Impex	2. Mahesh Metalloys Pvt Ltd
3. AAR DEE Industries	4. Malindi Retail Pvt Ltd
5. Abhijit Enterprises	6. Marudhar Industries Ltd
7. Accumen Laminators LLP	8. Maruti Paper India Company
9. Ace Overseas	10. Masters India Pvt Ltd
11. ACG PharmapackPvt. Ltd.	12. Mazda Agencies
13. Aero Incorporation	14. Medicap Healthcare Ltd
15. Air India Ltd.	16. Megha Handles
17. Ajanta Pack Mart Pvt. Ltd.	18. Merino Industries Ltd
19. Alpine International	20. Modern Laminators Private Limited
21. Alstone Industries Pvt. Ltd.	22. Mohan Mutha Polytech Pvt Ltd
23. Alufoil Products Pvt. Ltd.	24. Montage Enterprises Pvt Ltd - New Delhi
25. Alutech Packaging Pvt. Ltd.	26. Montex Glass Fibre Ind Pvt Ltd

27. Aluware Packaging Pvt. Ltd.	28. NagreekaIndcon Products Pvt Ltd
29. Amco India Ltd.	30. Nd Laminates Private Limited
31. Amcor Flexibles India Pvt. Ltd.	32. Nobel Chocolatz
33. AnsapackPvt. Ltd.	34. Oswal Extrusion Ltd
35. Asawa Insulation Pvt. Ltd.	36. Phoenix Innovative Healthcare Manufacturers Privat
37. Ashoka Tessiles	38. Pillar Chemicals Pvt Ltd
39. Audax Protective Fabrics Pvt. Ltd.	40. Polybond Insulation Private Limited
41. AV Enterprises	42. Pragya Flexi Film Industries
43. Balaji Packaging Company	44. Printmann Offset Pvt Ltd
45. Banco Products (India) Ltd.	46. Radhika Exports Corporation
47. Betts India Private Limited	48. Raheja Polymers and Chemicals
49. Bilcare Ltd.	50. Purity Flex Pack Ltd
51. BK Javars Sons	52. R S Foils Pvt Ltd
53. CG Power and Industrial Solutions Ltd.	54. Royal International
55. D B International	56. S L Packaging Pvt Ltd
57. Daga Poly Laminators Pvt. Ltd.	58. Sharbin International
59. Deesha Company	60. Shree Mahavir Sales Corporation
61. Devi Chand Sons Rectangle	62. Shree Rama Multitech Ltd
63. Enapy Transformer Components India Pvt. Ltd.	64. ShrinathRotopack Pvt Ltd
65. EsselPropack Ltd	66. Siddhee Products Pvt Ltd
67. EsselThermowarePvt. Ltd.	68. Silver Foils Private Limited
69. Flora Industries	70. Silvershine Corporation
71. Futuristic Marketing Solutions	72. Sipla Solutions
73. G K EnetrprisesPvt. Ltd.	74. SparshPackagings Pvt Ltd
75. G L S Films Industries Pvt. Ltd.	76. Smv Impex
77. Gajra Glass Fibre Pvt. Ltd.	78. Sns Overseas Pvt Ltd
79. Geep Industries India Pvt. Ltd	80. Sorich Foils Ltd
81. Gujarat Polyfilms Private Limited	82. Thermopads Pvt Ltd
83. Heena Roto Prints	84. Swastik Metal Rolling Mills
85. Hind Foils LLP	86. Synthiko Foils Ltd
87. Hind Global	88. Tania Polyfilms Pvt Ltd
89. Homemade Bakers India Limited	90. Tcpl Packaging Ltd
91. Huhtamaki Ppl Ltd	92. Tetra Pak India Pvt Ltd
93. Inox India Pvt Ltd	94. The Supreme Industries Ltd
95. International Traders	96. Thermal Engitech Pvt Ltd

97. ITC Ltd	98. Trade Channels
99. J V Conbuild Pvt Ltd	100. Trafomec India Pvt Ltd
101. Jash Packaging Co	102. Trendz International
103. Jil Pack	104. True Value International
105. Jupiter Laminators Pvt Ltd	106. U.P. Twiga Fiberglass Ltd
107. K H Exports India Pvt Ltd	108. Vandana Impex
109. Kanodia Technoplast Ltd	110. Unitech Enterprise Pvt Ltd
111. Kap Cones Pvt Ltd	112. United Breweries Ltd
113. Kflex India Pvt Ltd	114. Vishal Containers Ltd
115. Kinjal Impex	116. Viva Composite Panel Pvt Ltd
117. Kuloday Udyog	118. Zaf Overseas Llp
119. Lily Pins Private Limited	120. Uflex Ltd
121. M Y Traders	122. Zeus And Triumph Packaging
123. Mahavir Paper Trading Co.	
124. Natrip Implementation Society Natis	125. Parikh Packaging Pvt Ltd
126. Rockdude Impex Pvt Ltd	127. Ram Kishore Nagarmal Marketing Private Limited
128. Satnam Print N Pac - Na - Volz	129. SAPL Steel LLP
130. Shell N Tube Pvt Ltd	131. Sanwariya Packaging Pvt Ltd
132. Singhania Alufoil Containers Manufacturing Co	133. Shree Tirupati Trading Co
134. Sr 3 Corporation	135. Suvjay Industries India Llp
136. Sri Venkateshwara Coil Mill Pvt Ltd	137. SvamToyal Packaging Industries Pvt Ltd
138. Super Packagings	139. Sterlite Technologies

i. In response, only one importer i.e., M/s. Jil Pack, has filed importer questionnaire response.

j. The Association of Aluminum Foil Container and Roll Manufacturer of India (AAFCRM), an association of users/importers submitted comments on initiation. However, none of the member have filed user/importer questionnaire response.

k. The Authority, upon request by different stake holders, granted extension till 07th November, 2021 to file the questionnaire response.

l. The Authority directed the parties to share the non-confidential version of their response with the list of interested parties. The parties exchanged the non- confidential version of the response with the other interested parties through email.

m. Further information was sought from the applicants and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the information provided by applicant domestic industry by way of table study and physical verification, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.

n. Investigation was conducted for the period from 01st April 2020 to 31st March 2021 (12 months) (hereinafter referred to as the 'Period of Investigation' or 'POI'). The injury analysis covered the period from 01st April 2017 – 31st March 2018, 01st April 2018 – 31st March 2019, 01st April 2019 – 31st March 2020 and the POI.

o. Request was made to the Directorate General of Commercial intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

p. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been worked out based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to all the interested parties to present their submissions orally in the oral hearing held on 15thDecember 2021 which was attended by various parties. The interested parties who presented their views at the oral hearing were advised to file written submissions of their views expressed orally. The interested parties were also provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by the opposing interested parties.

r. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.

s. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

t. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

u. In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 04th March, 2022 to the concerned interested parties. Owing to some inadvertent typographical errors, a corrigendum was also issued with respect to relevant paragraphs of the disclosure statement. Comments were requested by 9th March, 2022. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.

v. '***' in this final findings represents information furnished by an interested party/any other party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

w. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as 1 US$ = Rs. 75.22.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the other interested parties

9. Submission made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article are as follows:

a. The product under consideration in the present investigation is different in comparison to the scope of the PUC defined in the parallel ADD investigation on imports of Aluminium Foil 80 microns and below originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia.

b. Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad; adhesive tapes; and color coated aluminium foil have been excluded in the recently concluded anti-dumping investigation for subject goods from Malaysia, Thailand, and Indonesia as the same are not produced by the domestic industry. Since these product types can be in the range of 5.5 micron to 80 micron, the same should be excluded from the present review investigation.

c. None of the three petitioners are producing PCN-Light Gauge converted, hence the said product type should be excluded from the product scope.

C.2. Submissions made by the Domestic industry

10. Submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

a) The product under consideration is "Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron" excluding the following:

b) Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

c) Ultra-Light Gauge Converted: Aluminium foil having thickness of 5.56 mic to 7 micron which is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

d. Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

e. Aluminium Foil for capacitors: Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5-micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

i Etched or formed Aluminium Foils: Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

ii Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

iii Clad with compatible non clad Aluminium Foil: A corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry, such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

iv Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

f. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act 760711, 76071110, 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 and 76072010. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

g. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

h. The applicants proposed for the adoption of Product Control Numbers (PCNs) on two broad categories as bare foil and converted foil for fair comparison between different types of products. Bare foil is plain foil and converted foil is backed with, paper, kraft, polythene etc.

i. With regard to requests made by the interested parties for exclusion of certain type of foil, the domestic industry has submitted as follows:

i Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad - The domestic industry has no objection to exclusion of the same from the product scope of the present investigation.

ii Adhesive tapes - The domestic industry has no objection to exclusion of the same from the product scope of the present investigation.

iii Color coated Aluminium Foil - The domestic industry has no objection to exclusion of the same from the product scope of the present investigation.

iv Light Gauge converted - The domestic industry has not produced PCN-Light Gauge converted during the POI. However, the product type has been produced in the injury period and in the original investigation period. This is not a fresh investigation, the capacity and capability of the domestic industry to produce various types of subject goods have been examined at length in the original investigation. Further, the domestic industry has produced light gauge bare and the only process that is added after making bare is to convert it by adding LDP, Paper, BOPP etc. Thus, the domestic industry can easily produce light gauge converted. Moreover, there are other domestic producers who have produced and sold light gauge converted during the POI.

C.3. Examination by the Authority

11. The present investigation is a sunset review and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation vide Final Findings No. 14/06/2015-DGAD dated 10.03.2017 and is reproduced herein below:

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 5.5 micron to 80 micron excluding the following:

i *Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.*

ii *Ultra-Light Gauge Converted: Aluminium foil having thickness of 5.5 micron to 7 micron which is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.*

iii *Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.*

iv *Aluminium Foil for capacitors: Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5 micron gauge with smaller width having 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.*

v *Etched or formed Aluminium Foils: Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.*

vi *Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.*

vii *Clad with compatible non clad Aluminium Foil: A corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to highstrength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry, such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.*

viii *Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.*

12. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act 760711, 76071110 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 and 76072010. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

13. The Authority notes that the subject goods are being imported in various microns. The applicants had proposed product control numbers (PCN) in order to make PCN to PCN comparison. Considering the parameters that impact the associated cost and prices of the product, and after taking into account the submissions made by the

various interested parties, the Authority notified a PCN methodology vide communication no 07/27/2021 - DGTR, dated 28th October, 2021. The PCN methodology adopted in the present investigation is as follows:

SN	Description	PCN	
		Micron Range	Bare/converted
1.	Alu Alu Stock	45-60	Bare
2.	Home Foil	8-22	
3.	Light Gauge (LG)	7-<20	
4.	Medium Gauge (MG)	20-60	
5.	Semi Rigid Container (SRC)	30-80	
6.	Ultra-Light Gauge	5.5 - <7	
7.	Battery Foil	9-20	
8.	Cigarette Foil	<- 7	Converted
9.	House Foil Converted	8-22	
10.	LG Converted	7-<20	
11.	MG Converted	20-60	
12.	SRC Converted	30-80	
13.	Battery Foil Converted	9-20	

14. The product under consideration is manufactured from foil stock. Foil stock is flat rolled aluminium (FRP) and is produced by rolling ingot. In other words, Aluminium Flat Rolled products (FRP) are rolled further into foils. It may be rolled into foil or consumed as it, or printed/laminated (also called backed) with paper, board, plastic or other packaging materials. Aluminium foils may be printed either by the producers or by converters or by end consumers. A significant investment is involved to roll FRP into foils.

15. The opposing interested parties have requested for the following exclusions

i Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad

ii Adhesive tapes

iii Color coated Aluminium Foil

iv Light Guage converted

16. It is clarified that (a) Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad (b) Adhesive tapes and (c) Color coated Aluminium Foil is outside the product scope of the product under consideration as admittedly these product types were not produced by the domestic industry during the POI of the original case and has not been produced in the present injury period as well.

17. As regards the contention that Light Gauge converted should be excluded as the domestic industry has not produced PCN-Light Gauge converted during the POI, it is noted that the product type has been produced in the injury period and was produced in the original investigation period as well. Light Gauge converted was considered explicitly as part of the product scope in the original investigation and in the anti-dumping investigation concluded on imports of subject goods from Malaysia, Thailand and Indonesia vide Final Findings dated 18th June 2021. The capacity and capability of the domestic industry to produce various types of subject goods have been examined at length in the original investigation. Further, the domestic industry has produced

light gauge bare during the POI and the domestic industry can easily produce light gauge converted by converting light gauge bare as significant process is not involved in making converted foil from bare foil. Thus, the Authority considers that exclusion of Light Gauge converted from the present scope of product under consideration is not warranted.

18. In view of the foregoing, the scope of product under consideration for the purpose of present investigation is as follows:

"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 5.5 micron to 80 micron excluding the following:

i. Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

ii Ultra-Light Gauge Converted: Aluminium foil having thickness of 5.5 micron to 7 micron which is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

iii Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

iv Aluminium Foil for capacitors: Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5 micron gauge with smaller width having 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

v Etched or formed Aluminium Foils: Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

vi Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

vii Clad with compatible non clad Aluminium Foil: A corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to highstrength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry, such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

viii Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

ix Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad

x Adhesive tapes

xi Color coated Aluminium Foil

19. After considering the information on record, the Authority determines that there is no known difference in the product under consideration exported from the subject country and the product produced by the Indian industry. The subject product produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the product under consideration, in accordance with the AD Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

20. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope and the standing of the domestic industry:

D.2. Submissions made by the Domestic Industry

21. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:

a. The application has been filed by M/s Raviraj Foils Limited, M/s Hindalco Industries Ltd., and M/s Jindal India Ltd. The applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer in India or producer/ exporter from the subject country. The application was further supported by M/s. Green Berry Foils India Ltd at the stage of initiation. Various other producers of the subject goods (prospective and existing) have now supported the present investigation, these are (a) LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. (b) ShyamSel and Power Limited (c)Marudhar Industries Limited.

b. The production of the applicant companies constitutes “a major proportion” of the total Indian production and is thus eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and that the application satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) of the Rules.

D.3. Examination by the Authority

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

a) domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

23. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., and M/s Jindal India Ltd. Further, the application has been supported by M/s. Green Berry Foils India Ltd. The production of the applicant companies along with supporter i.e., M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., M/s Jindal India Ltd K Paper Ltd., and M/s. Green Berry Foils India Ltd constitutes ***% of the total domestic production in India. The applicants, thus constitute domestic industry within the meaning of the Rules. Post initiation of the present review investigation, M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. ShyamSel and Power Limited, and M/s. Marudhar Industries Limited also filed support letters requesting extension of antidumping duty on subject imports.

24. The Authority further notes that none of the applicant companies have imported the subject goods during the period of investigation and are not related to any producer or exporter of the subject goods from the subject country or any importer of the subject goods in India.

25. In view of the above, the Authority determines that M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd., and M/s Jindal India Ltd. constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).

E. ISSUES OF CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

26. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to issues of confidentiality:

a. The applicants have claimed excessive confidentiality in their petition in violation of the respective Trade Notice and have merely claimed them as business sensitive information without showing any good cause for departure from the requirements of the Trade Notice. The applicants have an obligation to disclose the non-confidential version of Formats A-E & I-L containing relevant heads of costs, expenses, time period etc.

b. Absence of reasonable information relating to non-injurious price prejudices interested parties as it provides no reasonable estimate of the actual non-injurious price claimed by the domestic industry.

E.2. Submissions made by the domestic industry

27. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to issues of confidentiality:

a. Excessive confidentiality has been claimed by all the producers/exporters in blatant contravention to the Trade Notice issued vide notification no. 10/2018 dated 7th September 2018. The deficiencies in the responses are so grave that the applicants have not been able to offer comments on the merits of the information filed but have remained restricted to offer comments on excessive confidentiality.

b. The Trade Notice cannot be selectively binding of the domestic industry alone, but instead it is binding on all the parties irrespective of type of response being filed by them.

c. All the participating producers/exporters have kept the names of related parties and relevant information with reference to the same as confidential despite disclosure of the same regularly in the findings. The domestic industry is prevented from commenting upon whether the value chain is even complete or not.

d. The adjustments claimed have been claimed confidential entirely. This information is not confidential by nature itself as the Authority, if allowing, adjustments clearly discloses in the findings.

e. In response to the "raw material or utility purchased from related parties, details of supplies, fair market thereof" in the questionnaire response, the interested parties have merely referred to the concerned annexures which have been claimed confidential.

f. Information on ownership, joint links etc. have been claimed entirely confidential.

g. The domestic industry has declared all the necessary information and has claimed only sensitive information as confidential. The application was accompanied with confidentiality summary which explained the reason for claiming certain information confidential.

h. The NIP and consequently injury margin is to be determined by the Authority to determine the quantum of duty after it concludes that dumping of the subject goods has resulted into injury to the domestic industry, as per the order of the Hon'ble Ahmedabad High Court in the matter of Nirma Ltd v. Union of India. Thus, when NIP is relevant only at the stage of conclusion, how can an interested party claim any prejudice during the course of the investigation for non-disclosure of such information.

E.3. Examination by the Authority

28. Various submissions have been made by the applicants as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.

29. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

a. *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated* authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

b. *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

30. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person

acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

31. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicants and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submission made by the other interested parties

32. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

a) Information provided by the supporter Greenberry Foils India Ltd., is not in the required format as stipulated in the relevant Trade Notice.

b) Imports from the subject country are only occurring to meet the gap between demand and supply in India and the domestic industry does not have sufficient capacity to cater to the domestic demand in India. Further, a portion of the domestic industry's production would also be utilized in captive consumption and for exports to other countries making the gap wider.

c) The petitioners were not supplying House Foil and SRC as per the demand in the market resultantly imports happened in these categories of PCN.

d) The Trade Notice No. 6 of 2021 dated 29.07.2021 supersedes all previous trade notices on the subject of questionnaire responses and M/s. Kunshan Aluminium Co., Ltd. has submitted complete response as per this trade notice. There is no additional format prescribed with respect to sunset review. The details regarding capacity, capacity utilisation, surplus capacities and volume and value of exports to third countries are already available in Appendix-1.

e) The Respondent were under bona fide and genuine belief that the additional questionnaire format was not applicable in view of the statement in Paragraph-5 of the Trade Notice No. 6 of 2021. Therefore, the respondent requests the Authority to treat them as cooperative since they have filed all the requisite data as required under law.

f) The continuation of duty after five years is an exception to the norm.

g) The Flexible Packaging Association of India in one of their communications to this Directorate have contended that Aluminium Foil (PUC) is one of the major inputs in manufacturing of aseptic packaging material. According to footnote of the duty notification, the above product would be eligible for anti-dumping duty protection and the importers cannot dodge the anti-dumping duty merely on the contention that aseptic packaging paper falls under Chapter 48 and not under Chapter 76.

F.2. Submission made by the Domestic Industry

33. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

a. The supporter has provided necessary information as provided by the recent vide Trade Notice no. 05/2021 dated 29th July 2021, which provided that supporters need to provide information on installed capacity, production quantity and Sales Volume & Value (separately for Domestic, Export and Captive consumption).

b. Various users/importers and user's association have participated and most of them have not followed any guidelines/formats prescribed by the Authority.

c. There is no demand supply gap in the country. The Indian industry has sufficient capacity to meet the growing demand in the country.

d. The Trade Notice No. 6 of 2021 modified the anti-dumping questionnaire and the same has been updated on DGTR's website as well. However, there is no change to "Exporters Questionnaire Part II", suggesting the continuing requirement to file the same.

e. The Appendix 1 does not cover the total production in the exporting country; other producer sales in the domestic market, total sales in the domestic market, imports in the subject country, total demand in the exporting country, other producer's export to India and other producers export to countries other than India.

f. The Authority should not accept the response filed by the exporter in absence of response to exporter questionnaire part II and should consider such exporters as non-cooperative.

g. Extension of duties are an exception to the general rule of existence of duties for five years, however, Section 9 A (5) is subject to the proviso. Thus, if the requirement under the proviso is met, i.e., if the Central Government is of the opinion that the cessation of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, pursuant to Rule 23 of the AD Rules, the duties have to be extended for a further period of five years.

F.3. Examination by the Authority

34. Miscellaneous submissions by the interested parties have been examined as under:

a. With regards to the submission made by the interested parties that M/s. Greenberry Foils India Ltd. has not provided information as per Trade Notice, the Authority notes that M/s. Greenberry Foils India Ltd. had provided information concerning installed capacity, production quantity and sales volume & value as is permitted under trade notice No. 05/2021 dated 29th July 2021. In any case, the production by the applicant companies alone constitutes a major proportion of total Indian production and the application satisfies the requirement of standing, irrespective of consideration of the support given M/s Greenberry Foils India Ltd.

b. With regard to the submissions made by the interested parties that there is demand supply gap, the Authority notes that demand supply gap does not justify dumping. Further, these submissions on demand supply gap have not been made with any credible evidence. Some of the interested parties have compared demand in the country with the capacity of the applicant domestic industry alone, while, admittedly that there are several other producers who are also involved in the production of the subject goods. Furthermore, even the capacity available with the domestic industry is not utilised optimally, thus leaving sufficient capacity to be utilised to cater any demand. The specific arguments made on shortage of supply of SRC and House Foil has also not been substantiated with any evidence.

c. In any case, there are various other producers of the subject goods which can also cater to the demand of various PCNs and thus demand supply gap cannot possibly be the reason for continued presence of dumped imports.

d. With regard to the submissions made by the domestic industry that response filed by Kunshan Aluminium Co. Ltd, China should be rejected as SSR questionnaire part II has been filed at much belated stage, the Authority acknowledges that the SSR questionnaire response part II is an integral and important part of questionnaire response and filing of belated information cannot be accepted considering that antidumping investigation is a time bound investigation. However, the Authority also notes that the exporter had bonafide reasons for believing that such questionnaire response was not required to be filed in view of the trade notice No. 06/2021. Thus, the Authority has considered to accept the information provided by the exporter.

e. The Authority in regard to the submissions made by the Flexible Packaging Association of India notes that the appearance of the footnote in duty notification and original findings was linked to clearly identified PUC in the original investigation and the rationale being given by the Association with respect to the inclusion of aseptic packaging material also liable to anti-dumping duties is misplaced.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Normal Value

35. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

a. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption

in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

c. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

d. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6): Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2. Submissions made by the other interested parties

36. The following are the submissions made by the other interested parties with regard to normal value:

a. Imports from European Union to India are not representative for it to be considered as a surrogate country for the purposes of determining normal value for imports of subject goods from China PR.

b. There are no imports of 7 PCNs from European Union to India which includes the 3 most imported products from China PR - Home Foil, Light Gauge, and Semi-rigid Container (SRC). Further, even among PCNs imported, two PCNs have significant quantity. There is no clarity on how normal value was determined for PCNs not imported from EU.

c. The petitioners have not provided any evidence for deductions made under the categories of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission, and bank charges. Moreover, certain adjustments are grossly inflated and liable to be rejected. For instance, marine insurance is normally 0.125% of 110% of the CIF value and it is never as high as. 0.5% of CIF as claimed by the applicants. The Authority is requested to verify these from the responses to determine net factory export price and dumping margin.

d. As per the criteria stipulated in paragraph 7 and the Manual of Operating Practices for the selection of a surrogate country is the 'level/status of development of the country concerned'. EU is a developed country unlike China and there is significant difference in per capita GDP of EU and China. The Government also considers EU as developed country.

e. The reference has been made to Final Findings (Notification F. No. 6/8/2020-DGTR) dated 08.06.2021 in the Anti-Dumping investigation concerning imports of "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade" from China PR wherein the Authority had rejected European Union as a surrogate country to China PR since the quantity of imports from European Union was not comparable to that of China PR.

G.3. Submissions made by the domestic industry

37. The following submissions were made by the domestic industry with regard to normal value:

a. The Authority should follow para 1 to 6 of Annexure I to the rules for determination of normal value only if the responding Chinese producers are able to demonstrate that their costs and prices can be adopted. The Authority should follow para 7 of Annexure I to the rules for determination of normal value for Chinese producers.

b. The domestic industry has not been able to gather information on prices of the subject goods in market economy third country and thus constructed value in such third market economy was not possible. Apart from the sources attracting anti-dumping duties, the imports into India from EU are significant.

c. Normal value has been calculated on the basis of export price from EU to India.

d. The reference has been to the Hon'ble CESTAT decision in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India wherein the Hon'ble CESTAT had held that that the level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from surrogate country to third country or India is considered as the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.

e. It is not necessary to have imports of all PCNs for determination of normal value considering prices from third country to India. For the PCNs where there are no imports from EU, the normal value has been considered after due adjustments for the cost differences on the basis of Indian production and sales. Even when the exporters respond in an investigation involving different PCNs, if normal value cannot be considered for some PCNs based on the domestic selling price of the exporter, the Authority constructs normal value for such PCNs. The reference has been made to Authority's findings in the matter of Flat Rolled Products of Stainless Steel from China PR, Korea RP, European Union, Japan, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, UAE, Hong Kong, Singapore, Mexico, Vietnam and Malaysia.

f. The domestic industry has considered conservative approach in claiming the allowances. Dingsheng group companies in their responses have simply stated that no adjustments are applicable. Further, the producers as well as exporters have claimed appendices for domestic and export sales as confidential. As a result, the domestic industry is precluded from understanding whether the producer/ exporter has even reported the necessary expenses incurred post clearance of factory.

g. The reference to natural mica based pearl pigments is incorrect as the said finding did not say that owing to difference in the level of development EU is not being considered as an appropriate surrogate.

h. The new exporters responding in the present case should not be given individual margin as the import volume to India has declined significantly and as per market intelligence the export volume from these exporters are also (a) low and (b) are of limited PCNs. This low volume of export and limited product types exports cannot give the correct picture of dumping being reported by the exporters.

G.4. Examination by the Authority

38. The Authority had sent questionnaire to the know producer/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in the investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co. Ltd.,

ii. M/s Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co. Ltd.

iii. M/s Hangzhou Dingsheng Import and Export Co. Ltd.,

iv. M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd.,

v. M/s Shanghai SunhoAluminum Foils Co. Ltd.

vi. M/s ShangqiuYangguang Aluminium Materials Co., Ltd.

vii. M/s Kunshan Aluminium Co. Ltd.,

viii. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. China PR

A.1 Market Economy status for Chinese producers

39. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation

or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that my conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

40. It is noted that while, the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since neither of the responding producer and the exporter from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provision of para 7 of Annexure I of the Rules.

41. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR have been determined as below.

A.2 Determination of normal value for China PR

42. As none of the producers from China PR has filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record regarding "the price or constructed value in the market economy third country" enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "the price from such a third country to other countries, including India".

43. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including lndia, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure I.

44. The applicants submitted that the price at which the product under consideration has been sold from a market economy third country, i.e., European Union to India should be considered for the purpose of determination of normal value.

45. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non-market economy contained in the Supreme Court's judgement in Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs. M/s Exide Industries Ltd. (Civil Appeal No. 61711/2003 dated 23/12/2005), Guwahati High Court in M/s Century Plyboards (I) Ltd &Anr. Vs. Union of India & Anr. (W.P No. 6568/2017 dated 4/0l/20l8) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in Apollo Tyres Ltd. vs Union of India (Appeal Nos. C1768,600,601,773,769/2005-AD-dated 09/09/2005), Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding implementation of Para 7 of Annexure 1 to AD Rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.

46. It is seen that apart from the subject country, import volume from other countries attracting anti-dumping duty and the European Union were significant. Since dumped sources cannot be considered as an appropriate country, the Authority, prima facie, found imports from the European Union into India as an appropriate basis to determine normal value at the stage of initiation.

47. During the course of the investigation, the Authority considered submissions by the interested parties and further investigated to determine an appropriate methodology for determination of normal value. The Authority also examined the constructed normal value for the subject goods based on the domestic industry's verified information. It is seen that there does not exist significant difference between the constructed normal value and the normal value considered based on the import price from European Union. Thus, it is concluded that adoption of import price from European Union at the stage of initiation is indicative and representative of the normal value for subject goods in China. The Authority has, therefore, determined the normal value for China PR on the basis of prices from EU to India. The normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

48. Further, as regard the argument raised by the interested parties that not all PCNs are entering the market from European Union, it is noted that normal value for the PCNs which have not been imported from EU have been considered after making conservative adjustments for the price differences between the PCNs, to maintain uniformity in the determination of normal value for the product.

A.3 Determination of export price

i. **M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd & M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co Ltd**

49. M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd ("Jiangsu Dingsheng") and M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co Ltd ("Hangzhou Five Star") are related companies engaged in manufacturing of the subject goods in China PR. Jiangsu Dingsheng and Hangzhou Five Star have exported the subject goods directly to India and also through related trading companies, M/s Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd ("Dingsheng I&E") and M/s Dingsheng Aluminium Industries (Hongkong) Trading Co., Limited ("Dingsheng HK"). All the four companies, namely, Jiangsu Dingsheng, Hangzhou Five Star, Dingsheng I&E and Dingsheng HK have provided the relevant information in the prescribed exporters questionnaire format.

50. It is noted that during the POI, M/s Jiangsu Dingsheng has produced and exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India and *** MT has been exported to India through related exporters. It is further noted that during the POI, M/s Hangzhou Five Star has produced and exported *** MT to India through related exporters. All these exports were made to unrelated customers in India. The exporter/producer has claimed adjustments i.e. ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost along with losses and the same have been considered. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

ii. M/s Shanghai SunhoAluminum Foil Co. Ltd.

51. M/s Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. It is noted that the company has exported the subject goods to India manufactured by itself and also purchased from a related trader M/s ShangqiuYangguang Aluminium Materials Co., Ltd who in turn has purchased the subject goods from an unrelated Chinese producer. It is also noted that some minor quantities have also been exported by M/s Shanghai SunhoAluminum Foil Co.,

Ltd. purchased from unrelated producers in China PR. The unrelated Chinese producers whose goods have been exported to India by M/s Shanghai SunhoAluminum Foil Co., Ltd. have not filed exporter questionnaire response. Therefore, Authority has taken only those export transactions to India which are manufactured by M/s Shanghai SunhoAluminum Foil Co., Ltd. for determining the ex-factory export price and landed value. M/s Shanghai Sunhuo Aluminium Foil Co., Ltd and M/s ShangqiuYangguang Aluminium Materials Co., Ltd have provided the relevant information in the prescribed exporters' questionnaire format.

52. It is noted that during the POI, M/s Shanghai SunhoAluminum Foil Co., Ltd. has produced and exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India. The exporter has claimed adjustments i.e. ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and the same have been considered. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

iii. M/s Kunshan Aluminium Co. Ltd., China PR

53. M/s Kunshan Aluminium Co. Ltd is producer of the subject goods. During the POI M/s Kunshan has exported *** MT subject goods directly to unrelated customer in India. The producer/ exporter has claimed the adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

iv. M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

54. M/s Jiangsu Zhongii Lamination Materials Co., Ltd.("Zhongii") is a producer of the subject goods in China PR. Zhongii has exported the subject goods directly and also through an un-related trading company namely, Caterlinx Corporation (HK) Limited to un-related customers in India. Zhongii has provided all the relevant information in the prescribed Exporters questionnaire format. Caterlinx Corporation (HK) Limited has not filed separate questionnaire response in the subject investigation.

55. It is noted that during the POI, Zhongii has exported ***MT of subject goods directly and *** MT (less than 10%) through Caterlinx Corporation (HK) Limited to un-related customers in India. Zhongii has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority. Since Caterlinx Corporation (HK) Limited has not provided the relevant information, the Authority has considered best facts available for the calculation of ex-factory price for the export transactions made to India through Caterlinx Corporation (HK) Limited. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level as determined is given in the dumping margin table.

Dumping Margin Table

Sr No	Country	Producer	NEP USD/MT	NV USD/MT	DM USD/MT	DM%	Range
1	China	M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
2	China	M/s Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
3	China	M/s Jiangsu Dingsheng New Materials JointStock	***	***	***	***	10-20

		Co. Ltd					
4	China	M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
5	China	M/s Kunshan Aluminium Co Ltd.	***	***	***	***	20-30
6	China	All Others	***	***	***	***	60-70

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the Other interested parties

56. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

a. The drastic drop in imports is not because of anti-dumping duty in place but due to some additions in capacity carried out by the domestic industry.

b. The claims made by the domestic industry are at the stage of aluminium foil production level where the product mix is crucial, and some averages will not show any realistic picture.

c. The situation during the POI was very conducive for the domestic industry where it registered stupendous volume growths and increased its market share from ***% to ***% in the POI. The domestic industry also registered strong performances in terms of profitability parameters.

d. The anti-dumping duty put in place has met its purpose and the domestic industry has gained operational strength to be capable enough to compete with the imports and is not vulnerable to imports anymore. The continuation of anti-dumping duty would lead to the domestic industry taking undue advantages of the anti-dumping duty.

e. The capacity, production and sales claim of the petitioner has to be strictly scrutinised as the product mix is an issue and the production, sales and imports must be examined on PCN basis to gauge the actual situation of demand supply gap in India.

f. Users are depending on domestic supplies to the extent possible to meet the demand for the subject goods on PCN basis and some imports are made only to fill the gap in demand-supply. This will not create any injury to the domestic industry and continuation of anti-dumping duty is not justified.

g. The performance of the domestic industry would have been impacted the most during April 2020 to June 2020 when strict lockdown was imposed pan India. Hence, the Authority should exclude first quarter of 2020-21 from the POI for injury analysis to eliminate the adverse impact caused during the POI on account of COVID-19 pandemic. Reference was made to the recent final findings of "Viscose Staple Fibre" originating in or exported from China PR and on "Uncoated Copier Paper" originating in or exported from Indonesia and Singapore, where the Authority has conducted injury examination after excluding the COVID-19 affected period.

h. As per the Manual of Operating Practices of Trade Remedy Investigations, it has been a consistent practice of the Authority to analyze post-POI data for assessing the likelihood of injury to the domestic industry.

i. There is significant improvement in the performance of the domestic industry since the imposition of anti-dumping duty on import of subject goods from China PR as the imports and market share in demand of China PR has reduced and production of the domestic industry has also increased consistently.

j. The domestic industry is incurring losses due to the recent capacity expansion and not due to import of subject goods from China PR. This decline in profit is expected and as fixed costs normalized in the coming years, profitability of the domestic industry will also improve.

H.2. Submissions made by the Domestic Industry

57. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. Demand has declined initially in 2018-19 and then again increased in 2019-20 and the POI.

b. Imports from the subject country declined till 2019-20 and thereafter increased in the POI. Imports in relation to production has declined over the injury period, whereas imports in relation to consumption declined till 2019-20 and marginally increased again thereafter in the POI.

c. Landed price of imports from the subject country are much below the net sales realization of the domestic industry and are significantly undercutting the domestic prices.

d. The cost of sales and selling price has increased over the injury period. The increase in selling price is less than the increase in the cost of sales. While the domestic industry faced significant price depression in 2019-20, the domestic industry is now facing significant price suppression.

e. The capacity, production, sales and capacity utilisation increased. The capacity utilisation declined in 2019-20 and the POI.

f. With imposition of duties, profitability of the domestic industry improved in 2017-18 and thereafter in 2018-19. The domestic industry suffered losses in 2019-20 and the POI. PBIT, ROI have followed the same trend.

g. Market share of both the domestic industry, and the domestic producers, have increased over the injury period, whereas market share of the subject country has declined.

h. The level of inventories with the domestic industry increased throughout the injury period.

i. Employment and wages increased with increase in capacity. Productivity has also increased over the injury period.

j. The domestic industry has registered a negative growth in the POI across all price parameters.

k. The demand of the subject goods increased in the POI which covers the COVID period. There was no impact of COVID-19 on the subject goods' demand due to its relevance in COVID-19 related supplies. Further, the plants were also not shut down for the whole period of lockdown as the product falls under "essential category".

l. References made to Viscose Staple Fibre and Uncoated Copier paper by the interested parties also shows that in case of Viscose Staple Fibre, the Authority modified the POI for injury examination in order to nullify the effect of lockdown. Further, in the case of Copier Paper, the Authority additionally examined the POI after excluding COVID-19 period as there was a shutdown of 14 days and the demand had declined in view of COVID-19.

m. The Manual has listed various parameters that could be examined in a sunset review investigation. There have been several cases where the Authority has not conducted post POI examination. When the Authority has sufficient information on record to examine likelihood and make a determination, it need not even go into the post POI examination to see the likely behaviour. Reference has been made to the final findings of the Authority in the matter of 'Front Axle Beam' and 'Steering Knuckles' meant for heavy and medium commercial vehicles originating in or exported from China PR, wherein the Authority had clearly held that post POI examination is not mandatory in sunset review examination.

n. The performance of the domestic industry improved till 2018-19 and declined in 2019-20 with some improvement in the POI. The performance in the POI is still below the level achieved in 2018-19. The domestic industry has not been able to come out of the past ill effects of dumping. The persistent dumped imports in the market have made the domestic industry vulnerable.

o. The domestic industry has established capacities to cater to the domestic demand. The domestic industry is bound to incur certain expenses on account of expansion, however, costs on account of these are quite low as compared to the overall costs of the product.

H.3. Examination by the Authority

58. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

59. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7,8,9,10,11,16,18,19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a sunset review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

60. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed in this finding.

61. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

62. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.

A. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a) Assessment of Demand/apparent consumption

63. Demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	123	144
Sales of Supporters	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	135	162
Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	110	125
Subject Country China	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	40	44
Imports from other countries dumping	MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	144	396	424
Other Countries	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	85	79
Total Indian Demand	MT	1,36,181	1,32,843	1,34,618	1,44,834

64. It is noted that the demand for the product under consideration declined initially from 2017-18 to 2018-19. The demand increased thereafter in 2019-20 and in the POI.

b) Import Volumes from subject country

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
Imports from Subject Country	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*53*	*40*	*44*
Imports from Countries attracting ADD- Indonesia, Malaysia, Thailand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*158*	*196*	*174*
Imports from Other Countries	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*91*	*85*	*79*
Domestic sales - DI	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*114*	*123*	*144*
Domestic sales - supporter	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*130*	*135*	*162*
Domestic sales – other producers	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*109*	*110*	*125*
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
Imports from subject country in relation to consumption	%	26.84	14.56	10.96	11.07
Trend	*Indexed*	*100*	*54*	*41*	*41*
Imports from subject country in relation to production	%	48.87	22.59	16.64	15.74
Trend	*Indexed*	*100*	*46*	*34*	*32*

66. It is seen that imports from the subject country, in absolute terms, has seen a declining trend till 2019-20 and then increased in the POI. Imports on overall basis shows decline. However, imports from other countries have increased and have taken away the market share vacated by the subject imports. It is also noted that China also started to export Aluminium Foil of below 5.5 micron in significant volume and antidumping duties have been imposed on such imports vide Notification No. 51/2021 dated 16.09.2021.

67. Imports in relation to production and consumption declined throughout the injury period. Subject imports in both absolute terms and relative terms have declined since imposition of duties, however, remains significant. ***% of the domestic market is with Chinese imports despite duties in place.

B. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation, selling price and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country. The Authority has carried out the analysis on PCN basis as there is difference in the per unit prices of various PCNs.

a) Price Undercutting

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*100*	*101*
Landed price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*102*	*101*
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*35*	*76*	*103*
Price undercutting	% Range	10-20	0-10	10-20	10-20

70. It is seen that landed price of imports is below selling price of the domestic industry throughout the injury period and are thus undercutting the prices of the domestic industry.

b) Price Suppression and Depression

71. In order to assess as to whether imports from subject country were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry over the injury period, and shown in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of Sales	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*103*	*104*
Selling Price	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*100*	*101*
Landed price	₹/MT	***	***	***	***

Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*102*	*101*

72. It is seen that cost of sales and selling price both increased initially from 2017-18 to 2018-19 at same rate. The cost of sales and selling price declined thereafter in 2019-20 with selling price declining more than the decline in cost of sales. On overall basis as well, selling price increase is lower than the increase in the cost of sales. This was also as an effect of dumping resorted to by other countries, however, the landed price of the imports has been below the level of both, cost of sales and selling price of the domestic industry. Thus, it is seen that the domestic industry prices are supressed during the POI and the subject imports are likely to further cause suppression and depression in the domestic market in the event of cessation of duties.

C. Economic Parameters of the Domestic Industry

73. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has examined the injury parameters objectively considering various facts and submissions made before the Authority.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

74. Capacity, production, sales, and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*103*	*131*	*170*
Production	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*123*	*148*
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*94*	*87*
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*114*	*123*	*144*

75. It is noted that:

i. The capacity of the domestic industry has increased throughout the injury investigation period in view of the demand in the country.

ii. Resultantly, production, sales and capacity utilisation have also increased throughout the injury investigation period.

76. It is seen that various interested parties have contended that the applicant industry does not have sufficient capacity to cater the demand in the country, however the domestic industry has not been able to utilise its capacities to the optimum level. Significant capacity with the domestic industry is lying idle. Persistent dumping

in the country from China and intensified dumping from other sources have prevented the domestic industry from increasing its production and sales to optimum level.

77. At the same time interested parties have also argued that capacity expansion has increased and have caused injury to the domestic industry in 2019-20 and the POI. It is noted that while depreciation and interest cost must have increased in this period, it is not significant enough to cause injury to the domestic industry. The depreciation and interest cost increased in the POI as compared to 2019-20 whereas the losses have infact declined. This shows that the injury in 2019-20 was not on account of expansion of capacities.

b) Market Share in Demand

78. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

Particulars	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*125*	*136*
Indian producers as a whole	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*116*	*120*	*129*
Subject country imports	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*54*	*41*	*41*
Countries attracting ADD- Indonesia, Malaysia, Thailand	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*162*	*199*	*164*
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*93*	*86*	*74*

79. It is seen that the market share of the domestic industry and that of Indian domestic industry as a whole has increased after the imposition of anti-dumping duty. The market share in demand of China has declined however still remains significant and constitutes 16% of the Indian demand. Market share of other countries attracting duties increased.

c) Inventories

80. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	**Units**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*147*	*212*	*223*

81. Average inventory level with the domestic industry has increased throughout the injury period. The domestic industry has contended that the domestic industry was not able to sell even to the extent of production in view of dumped imports from various other sources.

d) Profitability, Return on Investment and Cash Flow

82. The profit/loss per unit, return on investment and cash profit during the injury period is indicated in the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Profit/Loss	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*162*	*(184)*	*(68)*
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*135*	*(37)*	*72*
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*119*	*72*	*154*
ROI	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*(16)*	*34*

83. It is seen that after the imposition of anti-dumping duty, the profitability of the domestic industry improved till 2018-19 and declined thereafter significantly in 2019-20 when dumped imports of subject goods intensified from other countries. The losses have reduced, however the industry continues to be in losses.

84. Return on investment over the injury period has shown the same trend as that of profits. Profit before interest and taxes (PBIT) and return on investment (ROI) have declined to negative levels in 2019-20 as compared to base year. However, it is positive during the POI.

e) Employment, Productivity and Wages

85. The analysis of the number of employees employed by the domestic industry, its productivity and wages paid shows as follows:

Particulars	**Unit**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI**
No. of employees	No.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*117*	*120*
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*123*	*148*
Productivity per employee	MT/No	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*113*	*106*	*124*
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*131*	*121*	*125*

86. It is seen that the level of employment increased with increase in capacity. Productivity has also increased over the injury period in view of increase in production. Wages paid declined in 2018-19 and increased thereafter upto POI.

f) Growth

87. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive in respect of volume parameters. However, the domestic industry has registered a negative growth across all price parameters. The duties in force helped the industry to improve on volume parameters, however, aggressive dumping by other sources prevented the growth in price parameters, which, in fact, have shown a decline.

Growth	Units	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	%	-	14.19	5.61	16.56
Domestic Sales	%	-	12.28	7.45	14.59
Cash Profit - Rs. Lacs	%	-	16	(66)	54
Return on Capital Employed	%	-	0.34	(6.60)	2.75

g) Ability to Raise Capital Investments

88. The Authority notes that the ability to raise capital investment have not been impacted.

h) Magnitude of Dumping Margin

89. The dumping margin continues to remain positive and significant.

i) Magnitude of Injury Margin

90. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin. The Authority has first determined injury margin for each PCN by comparing the landed value and NIP at PCN level. Thereafter, weighted average injury margin for the PUC as a whole has been determined. Wherever there were no sales of exactly matching PCN by domestic industry, comparison of landed value of imports from subject countries was made with NIP of closely resembling PCN.

91. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers and exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

Injury Margin Table

Sr No	Country	Producer	LV USD/MT	NIP USD/MT	IM USD/MT	IM%	Range
1	China	M/s Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2	China	M/s Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
3	China	M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd	***	***	***	***	10-20
3	China	M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
6	China	M/s Kunshan Aluminium Co Ltd.	***	***	***	***	30-40
7	China	All Others	***	***	***	***	35-45

I. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

92. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

Volume and value of imports not sold at dumping prices

93. Imports of product under consideration from Malaysia, Thailand, Indonesia were under antidumping investigation during the POI considered in the present investigation. The Authority has recommended the duties and the Ministry of Finance also imposed antidumping duties vide Notification dated 16th September 2021. Imports from other countries which are significant have been made at high price and has thus not caused injury to the domestic industry.

Contraction in demand or changes in the pattern of consumption

94. There is increase in demand throughout the injury period thus possible decline in demand could not have caused injury to the domestic industry.

Pattern of change in consumption

95. The pattern of consumption for the product under consideration has not undergone a change thus, changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

96. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in Technology

97. Technology for production of the product under consideration has not undergone any change. Developments in technology is, therefore, not a factor of injury claimed by the domestic industry.

Export Performance of the domestic industry

98. Injury examination has been conducted for the domestic operations of the domestic industry. Furthermore, the exports by the domestic industry is not significant.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

99. The Authority notes that this is a sunset review investigation. The domestic industry has claimed that it is not suffering any continued injury and that it is likely to suffer injury in the event of cessation of anti-dumping duty. However, as stated above the Authority has during the course of this investigation found a positive injury margin. Accordingly, the Authority has examined the likely scenario of continuation of dumping and recurrence of injury on account of dumped imports, if anti-dumping duty is allowed to expire.

J.1 Submissions made by other interested parties

100. The following submissions were made by other interested parties with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:

a. The information on likelihood of dumping and injury in the petition is grossly insufficient and unreliable. Rule 23 clearly lays down that the duty shall expire unless a conclusion by the Authority concerning likelihood of continuation or recurrence of dumping as well as injury to the domestic industry.

b. The petitioners must establish that the termination of duty will result in dumping and injury and not mere a possibility of dumping and injury.

c. The Authority, in a sunset review investigation, in absence of prescribed method relies on ‘threat of material injury’ analysis as per Para (vii) of Annexure II of the Rules.

d. The claim of the petitioner is essentially that there are similar measures against exports of subject goods from China PR by countries like EU, USA, Mexico and Turkey and conclusion is reached as if such measures alone is sufficient to claim likelihood.

e. The claims of excess capacity in China PR, exports to third countries etc. have no correlation when the imports have drastically dropped, are very sketchy and not supported by any evidence.

f. The drastic drop in imports is not because of anti-dumping duty in place but due to some additions in capacity carried out by the domestic industry.

g. The anti-dumping duty put in place has met its purpose and the domestic industry has gained operational strength to be capable enough to compete with the imports and is not vulnerable to imports anymore. The continuation of anti-dumping duty would lead to the domestic industry taking undue advantages of the anti-dumping duty.

h. The injury caused during the current injury investigation period was already attributed to imports of the subject goods from Malaysia, Thailand, and Indonesia as per the recently concluded investigation. The POI does not cover the remedial effect of anti-dumping duty imposed in the aforementioned investigation. Hence, assessment of likelihood of injury based on this injury investigation period would not be appropriate.

i. There is no increase in capacity for Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd. during the injury investigation period, and they are also operating at high-capacity utilization during the POI (90%). There is no excess capacity with the respondents for increasing their production and have been exporting subject goods to many countries across the globe. There are no plans for capacity expansion of the subject goods. Hence, there exists no likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury due to exports from the respondents.

j. The prevalent circumstances with the respondents with various aspects necessitates a separate assessment of likelihood of injury for the respondents and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury can be evaluated for individual producers/exporters. Reference was made to Article 11.2 and 11.3 of the Anti-Dumping Agreement and also on the report of the Appellate Body in US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review.

k. The petitioners have alleged excess capacity in the subject country, but they have failed to provide any positive evidence which enables the Authority to determine that the imports to India are 'likely'. Further, the respondent does not have any spare capacity and the capacity utilization is almost 100% and have no plans to expand capacity in the future, hence there is no likelihood of imports by the respondent to India.

l. The data regarding export potential does not suggest that this volume of exports will actually be realized as it does not take into account the existence of other factors and circumstances that may hinder the realization of export potential such as availability of raw material, supply chain constraints, etc.

m. The petitioner has not provided any evidence either by way of market intelligence or other sources to suggest that once anti-dumping duty ceases to exist, producers from subject country will immediately start exporting PUC to India at dumped prices.

n. Mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish the likelihood of recurrence of injury as was held in Indian Spinners Association v. Designated Authority 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri.-Del).

o. The Indian market is not attractive. Due to the existing ADD, the Petitioner has already consolidated and strengthened its market position in the absence of effective competition from imports and it is difficult for the exporters to enter the highly competitive Indian market after the ADD is revoked.

p. The information on likelihood of dumping and injury provided in the petition is grossly insufficient and unreliable to prove the conditions for continuation of existing anti-dumping duty in an expiry review as mandated in the Rule 23.

J.2 Submission made by the domestic industry

101. The following submissions were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury:

a. The imports have declined post imposition of duty, however, the import continues at dumped and injurious prices.

b. The Chinese producers are dumping globally as is evident from multiple trade remedial measures have been imposed by several countries:

i. The US imposed anti-dumping duty of 23.62% to 35.60% on imports of Aluminium Foil from China PR, duties are still in force.

ii. The European commission imposed anti-dumping duty on imports of various types of Aluminium Foil from China PR since 2008. The duties so imposed in currently in force.

iii. Turkey has imposed duties on aluminium foil since January 2014 and the duties were once again extended in 2020.

iv. Mexico has imposed duties on Aluminium Foil Coils from China and the duties are in force since 25th May 2019.

v. Taiwanese Authority have imposed definitive anti-dumping duties on certain aluminum foil originating in or imported from China since February 22, 2021.

vi. On 19th September 2020, Thailand began a safeguard investigation into imports of Aluminium Foil; in February, 2019 Indonesia also issued final findings in safeguard investigation concerning Aluminium Foil. The duty is still in force.

vii. Circumvention of the anti-dumping measures imposed by the European Commission on imports of certain Aluminium Foil originating in the PRC by imports consigned from Thailand.

c. There is significant freely disposable capacity with the Chinese producers. The capacities with these Chinese producers are way beyond the Indian demand. The known capacity with the producers in China is 2,322,000 MT as against the Indian demand of around 1,44,834 MT only in the POI. US and EU authorities have also concluded on significant high capacity in China much beyond Chinese domestic demand.

d. The production facilities for the subject goods are fungible, suggesting the behaviour of Chinese exporters. In case the duty ceases to exist, the export volume to India is likely to intensify further, given the surplus capacity available with the producers in subject country and other markets getting restricted

e. The Indian market is a price sensitive market due to which various countries have dumped subject goods into the Indian market time and again. India is also one of the major export markets for the Chinese producers.

f. Produces/exporters in China are highly export oriented. The fact that multiple countries have imposed measures on China evidences that China is exporting the subject goods at dumped and injurious prices, not only to India but to all over the world.

g. The European Union found on imports of certain aluminium foil originating in the People's Republic of China, Chinese exporters have been exporting to Thailand and using Thailand as trans-shipment for European Union. One of the responding exporters Dingsheng Group, which had participated in the EU investigation as well was accused of exporting almost 95% of such goods to Thailand for the purpose of exporting to EU. This indicates that the responding producers/ exporters have resorted to circumvention and continue unfair trade practices in order to maintain its presence in the export market.

h. The Chinese producers are exporting to India at price lower than rest of the world.

i. The Indian market is price attractive. The producers in China are riddled with excess capacity. With various markets getting restricted by way of trade remedial measures, the Indian market with positive demand becomes a lucrative market for the producers in China in the event of cessation of duties.

j. The reports of the US Authorities as well as publicly available information suggests that there are huge benefits available to the aluminium sector in China.

k. Soon after the imposition of duty, imports of the subject goods started to increase from other sources viz.

Thailand, Malaysia and Indonesia. The imports, once again started to enter the domestic market at dumped prices. This also included Chinese producers dumping Aluminium foil below 5.5 micron, indicating the potential for product shifting with the producers from the subject country.

l. There are around 350 producers and exporters who are exporting subject goods from the subject country to India in residual category. Even though the volume is low, the fact that significant number of producers and exporters are still exporting goods even with residual duty shows the interest of the producers in the domestic market.

m. The domestic sales and export sales to India for Kunshan Aluminium Co., Ltd. has increased, whereas, the export sales to third country have declined. Thus, the third country market has declined for the exporters and is indicative of the fact that the producer will be keen to look for other price attractive markets. Despite increase in costs, the selling price to India shows decline.

n. The export sales to India for Dingsheng group have shown to have consistently declined. However, Jiangsu Dingsheng New Materials Joint Stock Co., Ltd. has increased installed capacity by 25%. These companies have related companies in Thailand. Further, the export sales realization to India has also declined and is indicative of the fact that the producer will be keen to look for other price attractive markets.

o. Jiangsu Zhongji Lamination Material Co., Ltd. has increased export sales to India by 33 times from the base year. Export sales to other country has declined. Further, the sales realization for export sales to India has also declined whereas the costs have increased.

p. Shanghai Sunho Aluminium Foil Co., Ltd. has increased export sales to India by almost 3 times, the export sales to other countries have also increased. Further, the sales realization for export sales to India has declined.

J.3 Examination by the Authority

102. The present investigation is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duty is allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

103. It is further noted that though the domestic industry has stated that there is no continuing injury, the same is on the account of the existing anti-dumping duty which is preventing the same. The domestic has further claimed that there is a likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is removed. The Authority notes that during the POI, the injury margin without anti-dumping duty is positive. It also notes that the domestic industry suffered losses during POI which indicates of recurrence of injury if anti-dumping duty is ceased. However, the Authority notes that the injury margin without anti-dumping duty is positive for the cooperating exporters and hence the quantum of dumping margin and injury margin evaluated for POI in the context of recurrence of injury are considered appropriate for the quantum of protection.

104. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the interested parties during the course of investigation, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.

105. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased imports;

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

iv. Inventories of the article being investigated.

106. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the parameters of the likelihood as follows:

a. Continued imports at dumped prices in significant volume

107. The dumping of the subject goods have continued from China PR despite duties being in force. The volume of imports has also remained significant in absolute and relative terms. Thus, in absence of duties, the dumping of subject goods is likely to intensify. It is also noted that the import volume from China PR of Aluminium Foil of micron just below the thickness of 5.5 micron increased significantly immediately after the imposition of duties. Thus, the producers have maintained their presence in the domestic market of Aluminium foil. This also shows the ability of the producers in the subject country to shift production.

b. Significant surplus capacities in the subject country

108. The domestic industry has also provided information on the capacity of various producers along with evidence. The information provided by the domestic industry shows as follows:

Producer/Exporter	Known Capacity
Henan Huawei Aluminum Co., Ltd	>2,00,000 MT
JinagsuDingsheng New Material Joint - Stock Co. ltd.	5,00,000 MT
Loften Aluminium (Hong Kong)	>1,00,000 MT
Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd	72,000 MT
Zhejiang GKO New Material Co. Ltd.	50,000 MT
Zhejiang Junma Aluminium Industry	12,000 MT
Luoyang LongdingAluminum Industries Co., Ltd.	400,000 tons of aluminium sheet, strip and foil.
Shandong Loften Aluminium Foil Co.,Ltd.	200,000 tons of aluminium foil and strips

109. It is also noted that countries such as European Union, Turkey, Mexico and USA have also imposed antidumping measures on subject goods from China PR. The known excess capacity observed in these findings is tabulated below:

Country	Year	Known Capacity/ Excess capacity found
USA	2017	Known capacity- 14,44,954 MT
EU	2019	Known capacity-28,00,000 MT Excess capacity- 4,50,000 MT
Turkey	2020	Known capacity-41,76,000 MT

110. The producers have cooperated in the present investigation and have provided information on their capacity. Information provided by the exporters shows as follows:

Particulars	Unit	Capacity
Kunshan Aluminium Co. Ltd.	MT	***
Shanghai SunhoAluminum Foil Co., Ltd. (“Sunho”)	MT	***
Dingsheng Five Star	MT	***

Jiangsu Dingsheng	MT	***
Total	MT	***

111. While none of the exporters have provided information on the domestic demand in the subject country, information and evidence brought before the Authority indicates that China PR is the largest producer and exporter of the subject goods and has capacity far in excess of the domestic demand. The Authority notes that the existing capacity of the producers who have responded in the present investigation alone is around six times of the Indian demand. As regards the claim that capacity utilisation is very high for these producers, the Authority has examined third country dumped and injurious volume to examine likelihood at subsequent paragraph on price attractiveness of Indian market.

c. Third country dumping

112. The domestic industry has provided information with regard to exports from the subject country to show that the producers in the subject country are also dumping the subject goods in third countries as can be seen from the table below. The information for the responding exporters have also been examined at subsequent paragraph on price attractiveness of the Indian market. It is seen that significant volume of exports are being made by the responding exporters at dumped price.

Particulars	Unit	China PR
Total exports from China	MT	***
Exports at dumped price	MT	***
Exports at dumped prices – dumping	USD/MT	***
Share of dumped volume in total exports	%	***
Share of dumped volume in total exports	% Range	90-100

d. Price attractiveness of Indian market.

113. The Authority has examined the information provided by the domestic industry of volume of exports from China PR to global market as per Chinese Customs data. The information shows as follows:

Particular	**Unit**	
Total export from China	MT	***
Exports at dumped prices	MT	***
Exports at dumped prices	$/MT	***
Exports at injurious price	MT	***
Injurious price	$/MT	***
Share of dumped volume in total exports	%	90-100
Share of injurious volume in total exports	%	90-100
Volume of exports which is being exported below India price-Attractive volume	MT	***
Share of attractive volume in relation to demand	%	350-400

114. The responses filed by producers/exporters from subject country shows as follows:

Kunshan Aluminium Co. Ltd. (Kunshan)

Particulars	Unit	
Total Export from China	MT	***
Exports at Dumped Prices	MT	***
Exports at Injurious Price	MT	***
Injuries Price	$/MT	***
Share of dumped Volume in total exports	%	40-50
Share of injurious Volume in total exports	%	40-50
Volume of Exports which is being exported below India price - Attractive Volume	MT	-
Share of Attractive volume in relation to Demand	%	-
Demand in India		1,44,834

Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. ("Sunho")

Particulars	Unit	
Total Export from China	MT	***
Exports at Dumped Prices	MT	***
Exports at Injurious Price	MT	***
Injuries Price	$/MT	***
Share of dumped Volume in total exports	%	70-80
Share of injurious Volume in total exports	%	60-70
Volume of Exports which is being exported below India price - Attractive Volume	MT	***
Share of Attractive volume in relation to Demand	%	0-10
Demand in India		1,44,834

Dingsheng Group

Particulars	Unit	
Total Export from China	MT	***
Exports at Dumped Prices	MT	***
Exports at Injurious Price	MT	***
Injuries Price	$/MT	***
Share of dumped Volume in total exports	%	80-90
Share of injurious Volume in total exports	%	80-90
Volume of Exports which is being exported below India price - Attractive Volume	MT	***

Share of Attractive volume in relation to Demand	%	50-60
Demand in India		1,44,834

Jiangsu Zhongji Lamination Material Co. Ltd

Particulars	Unit	Direct Export	Exports through Related party	Total
Total Export from China	MT	***	***	***
Exports at Dumped Prices	MT	***	***	***
Exports at Injurious Price	MT	***	***	***
Injuries Price	$/MT	***	***	***
Share of dumped Volume in total exports	%	90-100	90-100	90-100
Share of injurious Volume in total exports	%	90-100	90-100	90-100
Volume of Exports which is being exported below India price - Attractive Volume	MT	***	***	***
Share of Attractive volume in relation to Demand	%	-	-	30-40
Demand in India		-	-	1,44,834

115. It is seen that the significant exports to third countries are being made at dumped and injurious prices. Further share of exports to third countries at prices below the price at which goods is being exported to Indian market is also significant, much beyond the entire demand in the Indian market. The Authority notes that while Kunshan Aluminium Co. Ltd. (Kunshan) does not export to third country at prices lower than India, however, Kunshan's share of dumped and injurious volume of total exports other than India is quite significant. Further, the export volume to India from Kunshan is not significant. Kunshan was not able to grow its presence in Indian market due to earlier imposed anti-dumping duty. The Authority notes that while Jiangsu Zhongji has refrained from co-operating fully in the present investigation by not filing responses of related entities involved in production/sale/supplier of input material. In any case, the response filed by JinagsuZhongi shows that almost entirety of third country exports of Jiangsu Zhongji along with its related traders are at dumped and injurious price. Further, Jiangsu Zhongji's share of exports to third countries at prices below the price at which goods is being exported to Indian market is also substantial, almost 36% of the Indian demand.

e. Imposition of anti-dumping duty by third countries

116. As also noted earlier, various countries including US, EU, Turkey, Mexico, Taiwan, and Indonesia have imposed anti-dumping duty on imports of subject goods in their country from China PR (as specified in the table below). This highlights the tendency of the producers from the subject country to dump goods in various markets.

Country	Year of imposition	Form of duty	Quantum of duty
US	2017	Ad-valorem	95.44%
EU	2009	Ad-valorem	14.2% to 35.6%
Turkey	2014	Ad-valorem	22%
Mexico	2018	Fixed	$ 0.17968/ Kg to

			$ 1.1634/Kg
Argentina	2019	Ad-valorem	28%
Taiwan	2021	Ad-valorem	19.42% to 31.36%
Indonesia	2020	Ad-valorem	4%-6%

117. It has also been brought to the notice that the exporters have been involved in the practice of circumvention after duties were imposed by European Commission further indicating the behaviour of exporters in subject country to dump goods.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions made by the other interested parties

118. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties:

a. Mahle Anand Thermal Systems Private Limited agrees with the exclusions considered by the Authority and requests to confirm these exclusions in the final findings.

b. The Authority should confirm the acceptance of belated SSR Questionnaire Response Part II and treat them co-operative and requests the Authority to confirm the exclusions in the final findings as well.

c. The Authority has stated that the supporter has provided requisite information in terms of Trade Notice No. 05/2021 dated 29.07.2021. The Trade Notice No. 05/2021 dated 29.07.2021 is not applicable in the present case since the supporter had provided the support letter before the date on which Trade Notice 05/2021 dated 29.07.2021 was issued by the Authority. It is nowhere explicitly mentioned that Trade Notice 05/2021 dated 29.07.2021 will have retrospective effect. The Authority is requested to reject the request of Greenberry Foils India Ltd. to be regarded as a supporting domestic producer.

d. The disclosure comment has no details on conservative adjustments for calculation of normal value made to ensure proper comparison.

e. There is no likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury on account of Kunshan Aluminium Co., Ltd.

f. The concern shared by NagreekaIndcon Products (P) Ltd on unscrupulous increase in conversion costs has not been addressed. Foil producers are frequently increasing the conversion charges without any justification which impacts the profitability and business viability of downstream users. The conversion cost which was Rs60.35/Kg in the month of April-2021 increased to Rs 104/-Kg in December 2021, i.e. increase by about 72%.

g. There is demand supply gap of House Foil and SRC Foil and the Authority could have called relevant data regarding this. The issue is not any demand supply gap at PUC level in India, but the petitioners and the Indian producers as such do not have enough capacity earmarked for House Foil and SRC foil and the users are constrained to import these products by paying hefty ADD which is not a fair situation for the small-scale users here.

h. The performance of the domestic industry has been robust and there have been no signs of continued injury which shows the ADD in force is no longer required.

i. The disclosure contains no discussion on public interest/impact on the users.

j. The Authority may confirm the observation regarding the export price of the respondent as mentioned in the disclosure statement in the final findings too.

k. There is no related entity of Zhongji involved in the production of the PUC in China PR and the same was mentioned in the respective questionnaire response. Even if the related entities are involved in the supply of raw material, there is no requirement for the related entities involved in the production/sale/supply of input material to file questionnaire response. There is no prescribed questionnaire format issued by the Authority for the related entities involved in the production/sale/supply of input material and there is no

clarity as to what information is expected by Authority and in what format. Respondent has not claimed market economy treatment in the subject investigation thus, there is no relevance of information from related party involved in production and/or supply of raw materials for the purpose of for normal value determination and assessment of likelihood and injury to the domestic industry.

l. If assessment of likelihood of dumping and injury is made separately for participating producer/exporter, such assessment must be based on information provided by the producer/exporter in the questionnaire response along with additional questionnaire.

m. The anti-dumping duty recommended should be based on injury margin for respondent as India follows lesser duty rule. The lesser duty rule prescribed under Rule 17 is also applicable in case of sunset review.

n. Adoption of return of 22% on average capital is unreasonably high for the aluminium industry and the PUC. The Authority is requested to consider a fair rate of return that is in line with industry standards to determine NIP for calculation of injury margin.

o. The POI of the subject investigation is unrepresentative of the actual situation of the domestic industry as the domestic industry's performance would have been severely impacted during April to June 2020 when strict lockdown was imposed pan India.

p. The Authority failed to evaluate the overall increase in capacity, depreciation, and increase in cost on one hand and the decline in profit of the domestic industry on the other during the entire injury investigation period. It also failed to observe that the domestic industry is still incurring losses in the POI and such losses are attributable to increase in depreciation and interest cost. This is evident from the fact that total PBIT/unit and total PBIT is positive in the POI, but domestic industry has incurred overall loss in the POI and total cash profit and cash profit/unit is quite significant during the POI whereas the domestic industry has incurred overall loss in the POI.

q. According to the facts in the disclosure statement, there is no significant rate of increase of dumped imports into India. There is consistent and substantial decline in volume of imports of subject goods from subject country during the injury investigation period and accordingly the requirement under sub-clause (a) of clause (vii) of Annexure II is not fulfilled.

r. The Authority has only examined the total capacity available with the Chinese producers for subject goods in the current investigation and ignored the requirement to evaluate surplus or freely disposable capacity available with the Chinese producers. As per the table given in Appendices 1 of the EQR of the respondent, there is no significant freely disposable capacity with the Zhongji and note that they are exporting subject goods to 30 countries across the globe. There is no scope of diversion of sales from the domestic sales or other country sales to India.

s. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury can be evaluated for individual producers/ exporters. Reference was made to Article 11.2 and 11.3 of the Anti-dumping agreement and the Appellate Body in US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, according to which the Authority is not precluded from making separate likelihood determinations for individual exporters or producers in a sunset review and then continuing or terminating the relevant duty for each company according to the determination for that company.

t. The Authority may recommend a fixed form of duty on import of subject goods as in the original investigation if the Authority finds it appropriate to recommend continued imposition of duties.

u. The name of the participating producer Shanghai Sunho Aluminium Foil has been noted incorrectly in the Injury and Dumping Margin Table. The Authority is requested to rectify the error in the final findings.

v. Name of respondent producer Hangzhou Five Star Aluminium Co. Ltd. is not mentioned in the Dumping and Injury Margin Table.

K.2 Submissions made by the domestic industry

a. The Authority has allowed adjustments claimed by M/s Jiangsu Dingsheng, M/s Hangzhou Five Star and M/s Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. However, no adjustments have been claimed as per their NCV responses.

b. The responding producers/exporters have deliberately not provided country wide capacity, demand and export to third countries.

c. M/s. Kunshan Aluminium Company Ltd., M/s. Jiangsu Zhongji Lamination Material Co. Ltd., and M/s. Shanghai SunhoAluminium Foil Co., Ltd. had not participated in the original investigation and further have very low export volume of limited PCNs. Awarding individual margin at the stage of sunset review might lead to intensified dumping.

d. The producers from the subject country that responded in the original investigation but have not responded in the present sunset review investigation should be considered as non-cooperating and be awarded residual category of duties. The same is in conformity with various past findings of the Authority such as Sunset review concerning "Normal Butanol", "2-Ethyl Hexanol", "Electrical Insulators", "Nylon Tyre Cord Fabrics" etc.

e. The present quantum of duties should be extended. The applicants have not sought any modification of the duty form or benchmark, rather have sought only extension of present duties. WTO member countries, such as European Union (EU), USA, China, Argentina etc. extend the same quantum of anti-dumping and do not modify quantum in sunset review. Thus, WTO member country, including China – the subject country in the present case – has a practice not to modify the quantum of anti-dumping duty in sunset review.

K.3 Examination by the Authority

119. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the interested parties are mostly reiterations of their earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The Authority further considers as follows with regard to the new issues raised by the interested parties.

a. As regards the argument that information provided by Greenberry should not be considered, it is noted that even without considering the support of Greenberry the applicant companies' share of production in total Indian production constitutes a major proportion and the application satisfies the requirement of standing.

b. As regards the arguments on significant increases in conversion costs being carried out by the Indian producers particularly in the post POI period, it is noted that the evidence supplied by the applicants shows that during the POI, the LME price increased by 44%, whereas the selling price increased by 6%. Further, the conversion cost of the domestic industry has also not shown significant increase.

c. As regards the arguments on demand supply gap of House Foil and SRC Foil, it is noted that these product types do not require any different or specific machinery. All product types are produced in the same machinery. Thus, there cannot be any technical limitation in the production of all product types. Further, the existing capacities with the domestic industry itself is underutilised. It is noted that the domestic industry has produced House Foil converted and SRC converted, which means it can easily produce House Foil and SRC also. The domestic industry has indeed made sales of House Foil and SRC as has been duly verified. The domestic industry can thus easily cater to the House Foil and SRC demand at fair price.

d. As regards the arguments that the Authority has ignored the requirement to evaluate surplus or freely disposable capacity available with the Chinese producer as it has utilised all its capacity, it is noted that the third country dumped and injurious volume of exports made by the exporter at price below the price at which goods are exported to India is the freely disposable capacity available with the producer which it can export to India. Likelihood examination not just focusses on freely disposable capacity, this determination extends to consideration of exports to third countries, surplus unutilised capacities with the foreign producers, and the prices at which different exports took place to India and globally. This examination shows that the exporter is likely to intensify dumping and cause injury to the domestic industry.

e. As regards the argument that period affected from COVID has also had adverse impact on the domestic industry, it is noted that the applicant domestic industry comes under the "essential industry" category and thus did not had to completely undergo shut down during COVID period. Further, the demand has also

increased during the POI. It is thus noted that there could not have been any material effect of COVID on the performance of the domestic industry.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

L.1 Submissions made by the other interested parties

120. The following submissions were made by the other interested parties with regard to Indian industry's interest:

a. The very high impact of ADD stems from the fact that the input foils as raw material holds about 80-85% of the cost of the finished House Foils and SRCs and in such a scenario the very high quantum of ADD in the present matter creates extraordinary duty impacts on the users, both downstream and ultimate end users. The users of House Foil and SRC Foil are paying unrealistically high price for the product and such prices are the direct fall out of very high quantum of ADD in place on import of subject goods including House Foil and SRC Foil from China PR. The burden of ADD on end user is in the range 16% to 31%.

b. Recent price increases of subject goods have created further issues for the users and ADD on House and SRC foil must be discontinued to support the large number of downstream users of the product. The produces have been increasing the prices of the subject goods disproportionate to the increase in price of the basic aluminium and clearly LME price is not being followed as any benchmark.

c. The current extension will not be in public interest.

L.2 Submissions made by the domestic industry

121. The following submissions were made by the domestic industry with regard to Indian industry's interest:

a. The domestic industry is truly AtmaNirbhar. Further, as the demand for the product under consideration is increasing, the industry is increasing its capacity to support it.

b. The domestic industry since the duties were imposed initially has grown significantly. From the initial 12 producers that constituted the Indian industry, today there are 21 producers in the country. Moreover, the industry has made notable investments to expand their capacities and to ensure sufficient availability in the country. This has been possible because the government protected the industry from unfair trade and provided a level playing field by imposing duties on the imports from China.

c. New plants have been set up and new market players have entered the market. Since, these companies have just started producing, they have not been able to set a foothold in the domestic industry. Imports at low prices from China would further made it difficult for the company to survive.

d. The domestic industry has plans to make noteworthy investments in the near future. Roughly, around Rs 1200 crore is being invested by the domestic industry in 2022 for capacity expansion and development. However, if the duties are not imposed, imports from China will increase again at reduced prices, discouraging such investments by the domestic industry.

e. The domestic industry plans on making significant investments in the future. Such investments will not only help cater to the local market of the country but also increase the exports prospects of the domestic industry.

f. High dependency on the imports would also mean that the users will have to maintain a higher inventory. As mentioned above, due to the ever-changing nature of the environment, it is not in the interest of the users to rely completely on the imports.

g. There is a healthy competition in the Indian market.

h. Imposition of the duty would be in the interest of the consumer since high degree of import dependency would mean that the users are at the mercy of the exporters. This may even lead to exploitation of the user industry by the exporter.

i. The producers in the subject country will always aim for maximum capacity utilization, considering huge capacity, to reduce costs, hence these excess capacities coupled with the export orientation of the Chinese producers have the capability to severely distort the Indian market and cause severe damage.

j. The Chinese exporters are selling in the Indian market at selectively lower prices as compared to their exports globally.

k. India's import reliance for the PUC has shrunk from ***% to ***%. This should reach to below 10% soon, should the domestic producers be protected against unfair dumping.

l. User industry is a pass-through industry where any increase in the cost is not absorbed by the industry but simply passed down the value chain. Thus, any increase in the cost as a result of the imposition of duty would not cause harm to the user industry as it would simply be passed on to the consumers.

m. The impact on various sector such as pharmaceutical blister and strip pack; flexible packaging; house foil; SRC; blister foil, Alu Alu is very minimal and in the range 0.0011% to 0.17%.

n. The upcoming capacity expansions plans undertaken by the Indian industry will help generate employment in the country. The development and growth of the Indian industry is not only in the interest of the industry but also the country as a whole.

o. The purpose of the duties is not to curb the imports completely. The domestic industry will still be required to compete with the imports. It will only reduce unfair trade practices and ensure healthy market conditions in the country.

L.3 Examination by the Authority

122. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the continuation of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

123. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

124. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD, impact of repealing or maintaining the present duty. The Authority notes that barring one importer, i.e., Jil Pack, no consumer and importer of the product under consideration filed the questionnaire response or attended the oral hearing. Jil Pack has also not filed user questionnaire response. The authority notes that there is no evidence showing that imposition of ADD and its existence over last five years has had any significant adverse effect either on the consumers or at public at large.

125. The submissions made by the other interested parties in their submissions have been considered in this regard. As regards the impact of duty quantified by the consumer industry, the authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and therefore before considering the impact of the proposed duties on consumers in future, the Authority should first consider the impact of duty that was imposed earlier. In a situation where the ADD has been in place for last more than four years, the increase in the price of the product (after due adjustments for raw material price movements) and the impact of the same is the best

indicator of the likely impact of proposed duty on the consumers. This impact is required to be determined considering the increase in price of the domestic and imported product post imposition of duty. It is seen that there is no material increase in the price of the product either by domestic industry or by Chinese producers. Further, the return on investment of the domestic industry is considerably low. It can therefore be concluded that neither the domestic industry nor the import has increased by the quantum of anti-dumping duty that was earlier imposed. The price of the product did not even increase by the quantum of anti-dumping duties earlier imposed, it would not be appropriate to consider that the price of the product would increase in future by the quantum of anti-dumping duty because of continuation of duty.

126. It has also been argued that the domestic industry is increasing its prices without corresponding increase in conversion cost and LME prices in the POI as well as post POI. The Authority has examined monthly increase in prices of the domestic industry with LME prices. It is seen that whereas selling price increased by 6 %, the LME prices have increased by 44%. Thus, the claim that the industry has misused ADD in force is incorrect. It is also noted that the domestic industry was suffering injury on account of other dumped sources and ADD was imposed post POI. Imposition of duties should have also led to some increase in selling price of the domestic industry which was supressed on account of dumping. Further, while the Authority did not consider post POI data of the domestic industry, it is seen from the information on record that LME prices have increased further in the post POI period.

127. The domestic industry has highlighted that the number of producers has increased from about 12 producers in 2008 to 2l producers at present. The industry has installed capacity of more than 1,54,814 MT. ln order to achieve this growth, the Indian industry has invested about Rs. 10,000 crores in the product. With increase in capacities, the employment generated by the Indian industry has increased and the industry is providing employment to 1100 individuals directly and is expected to increase by double in coming years. Further, the product range of the producers has evolved, and they are supplying almost all types of products.

128. The domestic industry has been able to improve in last 5 years and have been able to expand capacities considering the growth in the domestic market. New plants have been set up and new market players have entered the market. However, continued dumping from other sources as well has made the domestic industry vulnerable. Since, these companies have just started producing, they have not been able to set a foothold in the Indian market and are thus vulnerable. Imports at low prices from China would make it difficult for the company to survive. If the newly established production capacity is under-utilized and does not generate the required ROI, the company will incur losses. In such a case, dumping of product under consideration is likely to adversely impact the performance of the Indian industry.

129. In view of the foregoing, the Authority notes that the Indian industry has achieved growth during the life of the duty. However, since the industry continues to be vulnerable and there is likelihood of recurrence of injury if the anti-dumping duty is removed, continuation of anti-dumping duty would be in the interest of the industry.

130. The Authority has also examined the impact of the continuation of duty on the interests of the users. The Authority notes that the imposition of duty does not restrict imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. Further, there is no demand-supply gap in the country. As against a demand of around 144,834 MT, the capacity of the Indian producers has been estimated to be around 154,000 MT, which is further expected to increase up to 192,000 MT. The capacity of the domestic producers is more than the demand in the country. Further, the existing capacities with the domestic industry itself are under-utilised. It has been claimed by some interested parties that there is demand supply gap at PCN level particularly for House Foil and SRC Foil, however, as noted elsewhere in this findings there is no demand supply gap in the domestic market even for these PCNs.

131. Therefore, even if there are no imports from the subject country, the domestic supply is more than sufficient to cater to the demand. Additionally, the product can also be imported from other countries, including EU, Singapore, USA and other countries, at fair prices.

132. The Authority also notes that there is a significant number of producers in India, and the producers have capacities exceeding the domestic demand and exports. Therefore, there is significant price competition between the domestic producers. This ensures that the users have ample availability of the products at competitive prices. No undue advantage of the antidumping duty is possible in such a situation.

M. CONCLUSION

133. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

i. There is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.

ii. The landed value of imports has remained below the selling price of the domestic industry. Imports are likely to have significant suppressing/ depressing effects on the prices in the market.

iii. The domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject country.

iv. The subject goods from the subject country is subject to anti-dumping duties in various jurisdictions such as European Union, Turkey, Mexico and USA.

v. The information on record shows likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage. The data analysis shows that almost entirety of exports of the subject goods from the subject country to countries other than India are at dumped and injurious price. Further, significant exports at prices below the level of prices at which goods are exported to Indian market is also significant. These factors cumulatively indicates strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from subject country to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist.

vi. The Authority notes that the imposition of anti-dumping duties on the product under consideration has led to significant increase in number of domestic producers.Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information.

vii. From the information on record, it is also seen that the impact of ADD on the consumers is quite insignificant. Therefore, there is no reason to believe that continuation of present measure is likely to lead to increase in the prices of the product in the country

N. RECOMMENDATIONS

134. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on subject goods from the subject country.

135. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule l7(l) (b) of the Rules, the Authority recommends continued imposition of anti-dumping duty, as modified, equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

S.N.	*Subheading/Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7607	Aluminium Foil *	China PR	Any country	M/s Jiangsu Zhongji	556	MT	USD

				including China PR	Lamination Materials Co., Ltd			
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.	886	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.	469	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd.	469	MT	USD
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Kunshan Aluminium Co., Ltd.	691	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country other than China PR	Any producer other than Sr. no 1 to 5	1106	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1106	MT	USD

** Aluminium Foil for the purpose of this notification means "Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 5.5 micron to 80 micron excluding the following:*

i *Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.*

ii *Ultra-Light Gauge Converted: Aluminium foil having thickness of 5.5 micron to 7 micron which is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.*

iii *Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.*

iv *Aluminium Foil for capacitors: Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5 micron gauge with smaller width having 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.*

v *Etched or formed Aluminium Foils: Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.*

vi *Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.*

vii *Clad with compatible non clad Aluminium Foil: A corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry, such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.*

viii *Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.*

ix *Aluminium-Manganese-Silicon based and/or clad Aluminium-Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad*

x *Adhesive tapes*

xi *Color coated Aluminium Foil*

136. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the customs under the customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time.

FURTHER PROCEDURE

137. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the customs Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, l975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.15 16:38:03 +05'30'